लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय ,

नई दिल्ली ।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . . १६९९—१७४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से ११:१७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ . १७४०—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . . १७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ . १७७७—१८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ . १८२५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३ १८४९—८२

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७–२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८–२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत ई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

इस्पात-संयंत्र

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६, श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्तावित नवीन स्पात-संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में रूसी शिल्पिक शिष्टमंडल ने, अभी तक किन किन स्थानों का ौरा किया है ;

(ख) क्या शिष्ट मंडल ने, विभिन्न संभावनाओं के सम्बन्ध में, तत्सम्बन्धी आंकड़ों की जांच पूरी कर ली है;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने, इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन अर्पित किया है कि द्वितीय चवर्षीय योजना के अधीन उस राज्य में, संयं स्थापित करने के लिये स्थान निर्धारित किया जाए; तथा

603 L.S.D.

(घ) क्या सरकार ने, मद्रास राज्य के सैलम जिले में कच्चेलो हे की सर्व प्रसिद्ध खानों के सम्बन्ध में, प्राप्य शिल्पिक आंकड़ों को शिष्टमंडल के सम्मुख रखा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) रूसी विशेषज्ञों के दल ने पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास तथा मैसूर राज्य के विभिन्न स्थानों का दौरा किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मेरे विचारानुसार स्थान-निर्धारण के निर्णय करने में, कच्चे लोहे की निकटता, विद्युत्-शक्ति तथा कच्चे लोहे की अधिकता इत्यादि कुछेक मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिये। यदि ऐसा ही है, तो क्या शिष्टमंडल का ध्यान नैवेली में लिगनाइट तथा सैलम में कच्चे लोहे की निकटता की ओर दिलाया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्न के उत्तरार्द्ध के सम्बन्ध में मेरा उत्तर हां में है। रूसी शिष्टमंडल का ध्यान लिगनाईट क्षेत्र तथा सैलम के कच्चे लोहे की ओर दिलाया गया है। परन्तु, जहां तक प्रश्न के पूर्वार्द्ध का सम्बन्ध है, मैं कोई निश्चित उत्तर न ीं दे सकता।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि शिष्टमंडल के सम्मुख सैलम की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कौन से आंकड़े रखे गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : कच्चे लोहे तथा डोलोमाइट की प्राप्यता, कोयले की खानों की निकटता, विद्युत् शक्ति के संसाधनों, परिवहन सुविधाओं इत्यादि के सम्बन्ध में आंकड़े ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सैलम में कच्चे लोहे तथा दक्षिणी आरकोट में लिग्नाईट के विकास की कोई सूत्रबद्ध योजना तैयार की गई है और क्या उसे विचार हेतु इस शिष्टमंडल के सम्मुख रखा गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न की सीमा से बहुत दूर है ।

श्री टी० सुब्राह्मण्यम: क्या मैसूर सरकार ने रूसी विशेषज्ञों का ध्यान, बेल्लारी जिले में बहुत बढ़िया प्रकार के कच्चे लोहे की विद्यमानता तथा अन्य अनेकों प्रकार की सुविधाओं की ओर दिलाया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार ने शिष्टमंडल के इस विषय में सोच विचार करने के लियेष कोई विशेष बातें बताई हैं और यदि बताई हैं, तो वे क्या हैं ? क्या, उत्पादन के सस्ते होने पर भी सोच विचार किया जायेगा ?

श्री के० सी रेड्डी : मैं केवल तना ही बता सकता हूं कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के पास जितने भी आंकड़े थे, उन सब को रूसी विशेषज्ञों के सम्मुख रख दिया गया है। उन्हों ने न समस्याओं से उत्पन्न होने वाले विभिन्न पहलुओं पर भी विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि ों से विचार-विनिमय किया है । वे अभी अभी अपने दौरे से वापिस आये हैं और अब वे एक किये पूरे आंकड़ों पर विचार कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या लोहे तथा इस्पात के संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में भारत का दौरा करने वाला रूसी विशेषज्ञों का यह शिष्टमंडल, भारत के कहने पर आया है, अथवा रूसी सरकार के कहने पर ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन की जांच के सम्बन्ध में कितना व्यय लगा है ?

श्री के सी० रेड्डी : इस के विषय में स सभा में, पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। माननीय सदस्य, स सम्बन्ध में, सभा में दिये गये मेरे वक्तव्य, का स्मरण करें। रूसी दल पर होने वाला सारा व्यय, भारत सरकार द्वारा नहीं, अपितु रूसी सरकार के ारा वहन किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज साधारण प्रश्नों के लिये कोई अवसर नहीं । आज तो, केवल कुछेक विशेष प्रश्न, अर्थात् अल्पसूचना प्रश्न ही पूछे जायेंगे । क्योंकि स में बहुत से माननीय सदस्य रुचि ले रहे हैं, अतः मैं अनुपूरक प्रश्नों की भी अनुमति देता हूं । मैं उन्हें एक-एक कर के बुलाऊंगा, अतः उन्हें इस विषय में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि इन सभी स्थानों का दौरा करने की क्या आवश्यकता थी, जबकी जर्मन-विशेषज्ञों का एक दल पहले ही उ सभी स्थानों का दौरा कर चुका ह और कुछेक चुने हुए स्थानों के विषय में अपनी सिफारिश दे चुका है और जिन में से एक को पहले ही चुना गया है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि दूसरा स्थान, जिस के बारे में उन्हों ने सिफारिश की थी, क्यों नहीं लिया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय एकत्र किये गये आंकड़ों की परिगणना तथा उन का परीक्षण करने के लिये, अब रूसी विशेषज्ञ आए हैं। जब जर्मन-विशेषज्ञ आए थे, उस समय एकत्र किए गये आंकड़े भी मौजूद हैं, और उन म, तत्पश्चात् कुछ और भी जानकारी प्राप्त की गई है, और समस्या के कुछेक पहलुओं की ओर अधिक जांच भी की गई है। इस समय हर प्रकार के आंकड़े प्राप्त हैं, अब तो रूसी विशेषज्ञों का काम है कि वे स सारी समस्या की जांच करें, सम्पूर्ण आंकड़ों का परीक्षण करें और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

श्री गिडवानी : प्रश्न काल को स्थगित करने का वास्तविक आशय यह था कि आज होने वाली इस चर्चा पर अधिक समय दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को भी शीघ्र समय दूंगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि यद्यपि माननीयामंत्री द्वार निर्धारित तीनों शर्तें अर्थात् कोयले की अधिकता, कच्चे लोहे की निकटता तथा ताप सम्बन्धी स्टेशन-हैदराबाद के आदिलाबाद जिले में पूरी होती है, तो भी इन विशेषज्ञों ने हैदराबाद का दौरा क्यों नहीं किया ?

श्री के० सी० रेडडी : माननीय सदस्य अपनी बात के समर्थन में तर्क दे रहे हैं, और कोई निश्चित जानकारी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ? जहां तक हैदराबाद का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है, क्योंकि लोहे तथा इस्पात के संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक सुविधायें वहां प्राप्त नहीं हो सकतीं।

श्री गिडवानी : मै यह कहना चाहता था कि कल मैं ने यह प्रस्तावित किया था कि आज के लिये प्रश्न काल को स्थगित कर दिया जाए, ताकि सामुदायिक परियोजनाओं आदि की चर्चा के लिये अधिक समय दिया जा सके। आज, एक ही प्रश्न पर दस मिनट लग गये हैं। यदि यही स्थिति रहनी थी, तो हम प्रश्नकाल को स्थगित करने के बारे में कहते ही क्यों !

उपाध्यक्ष महोदय : तो इस स्थिति में मैं से अभी बन्द करता हूं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच है कि जापान के विशेषज्ञों का एक दल, जो कुछ वर्ष पूर्व भारत आया था, सेलम में एक संयंत्र की स्थापना के पक्ष में था ? क्या यह भी सच है कि इंग्लैंड के विशेषज्ञों के दल ने, जो कि हाल ही में नीवेली आया था, इस परियोजना की संभावना की पुष्टि की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कौन सी परियोजना ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : नीवेली परियोजना।

श्री के० सी० रेड्डी : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या जापानी शिष्टमंडल ने सेलम में लोहे और इस्पात के संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की थी। मेरे पास केवल इतनी ही सूचना है कि इस स्थान से मैगनेटाइट निर्यात किया जा सकता है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इंग्लैंड के एक प्रौद्योगिक सेवा सार्थ ने नीवेली में लिगनाईट निकालने की संभावना के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है। लोहे और इस्पात के संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में उन्होंने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है ?

कई माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : कल, जब यह तय हुआ था कि चर्चा के लिये अधिक समय देने के हेतु आज प्रश्न काल नहीं रखा जाये, उस समय मैं उपस्थित नहीं था। अगला प्रश्न।

भारतीय विमान बल के स्पिट फ़ायर विमान उतरते समय टकरा जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ सरदार ए० एस० सहगल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान-बल का एक स्पिट फायर विमान २१ दिसम्बर, १९५४ को कलकत्ता से १६ मील दूर मंडल पुर ग्राम के एक खेत में उतरते हुए टकरा गया;

(ख) क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये बैरकपुर से कोई सहायता करने वाला विमान गया था;

(ग) उस विमान में कितने विमान चालक पदाधिकारी थे और उन में से कितने मारे गये; और

(घ) विपत्तिग्रस्त लोगों को क्या सहायता दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां । एक 'स्पिट फायर' विमान एच० एस०-६४८, २१ दिसम्बर, १९५४ को १२-३० बजे काकनाड़ा से ५ मील दक्षिण पश्चिम की ओर टकरा गया था ।

(ख) जी हां । एक डकोटा विमान खोज में निकला था । किन्तु वह टक्कर के स्थान का पता नहीं लगा सका । साथ ही साथ बैरकपुर के विमान बल के प्राधिकारी सड़क से दुर्घटना स्थल को गये ।

(ग) केवल उड्डयन पदाधिकारी डी० के० भटनागर जो कि विमान में अकेले थे, गुम हैं ।

(घ) कोई सहायता नहीं दी जा सकी, क्योंकि विमान के जमीन में गहरे धंस जाने के कारण विमान चालक का, जो कि विमान में अकेला ही था, अब तक कोई पता नहीं लग पाया है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि विमान चालक के उड़ने से पूर्व विमान के इंजिन की अच्छी प्रकार परीक्षा कर ली गई थी अथवा नहीं ?

सरदार मजीठिया : जी हां ! यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि विमान के उड़ने से पूर्व केवल इंजिन ही नहीं अपितु पूरे विमान की अच्छी प्रकार परीक्षा कर ली जाती है और उस के सेवा योग्य होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं। विमान को उड़ाने से पूर्व विमान चालक फार्म ७०० पर इस सम्बन्ध में हस्ताक्षर कर देता है कि उस ने इस बात की परीक्षा कर ली है कि विमान सेवा योग्य है ।

श्री एम० एल० दिवेदी : स के क्या कारण हैं कि विमान चालक नहीं मिल पाया है और विमान जमीन से खोद कर नहीं निकाला जा सका है ?

सरदार मजीठिया : उस स्थान की मिट्टी चिकनी तथा नम होने के कारण विमान जमीन में २० से २५ फीट तक नीचे धंस गया है और यद्यपि हम ने खोदने का भरसक प्रयत्न किया है, किन्तु पानी के बार बार भर जाने के कारण हम अभी तक विमान चालक के बैठने के स्थान तक नहीं पहुंच पाये हैं । हम ने १५ से २० फीट तक गहरी भूमि खोद डाली है और अभी ५ फीट और खोदनी है । अब हम ने आवश्यक उपकरण वहां पहुंचा दिये हैं, और हमें आशा है कि विमान खोद कर निकाल लिया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : यह विमान कब तक खोद कर निकाल लिया जायेगा, विमान चालक के उपयुक्त सहायता दे दी जायेगी और उस का परिणाम सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस विमान चालक को बचाना, जो कि जमीन में २५ फीट नीचे धंसा हुआ है ?

सरदार ए० एस० सहगल : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे कब तक निकाल लिया जायेगा और उचित कार्यवाही की जायेगी तथा उस के परिणाम सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

सरदार मजीठिया : जहां तक विमान-चालक का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि संभवत, वह मर गया है, क्योंकि उस के हवाई छतरी ले कर उतर जाने के कोई प्रमाण नहीं हैं। खुदाई के बारे में, संभवत: इस समय तक विमान खोद कर निकाल लिया गया होगा। एक जांच न्यायालय बैठेगा, जो इस सम्बन्ध में सरकार को पूर्ण प्रतिवेदन देगा ।

श्री जोकीम अल्वा : दुर्घटना सम्बन्धी इन सभी मामलों में क्या मंत्रालय ने इस बारे में अपना पूर्ण सन्तोष कर लिया है कि विमान को उड़ाने से पूर्व निरीक्षण, विमान-चालक का अपनी ओर से प्रमाणपत्र देना इत्यादि तीनों अवस्थाओं का पूरी तरह से पालन किया जाता है ।

सरदार मजीठिया : यह हमेशा होता है । यदि कोई गलती हुई हो, जिस के बारे में मेरा विश्वास है कि यह नहीं हुई है, तो जांच न्यायालय इस सम्बन्ध में अच्छी प्रकार जांच करेगा ।

स्टाक कसचेंज

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९: डा० जे० एन० पारिख: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० दिसम्बर, १९५४ को इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में उन के द्वारा दिये गये वक्तव्य का स्पष्टीकरण होने तक कुछ स्टाक एक्सचेन्जों ने इम्पीरियल बैंक और दूसरे बैंकों के अंशों का सौदा बन्द कर दिया है; और

(ख) क्या सरकार अग्रेतर भ्रम और कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक सपष्टीकरण करेगी ?

राजस्व और रक्षा के व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में समाचार देखे हैं कि कुछ स्टाक एक्सचेन्जों ने भारत के इम्पीरियल बैंक और अन्य राज्य बैंकों के अंशों का लेन-देन बन्द कर दी है। २२ तारीख को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के प्रधान का एक तार प्राप्त हुआ था जिस से यह प्रतीत होता है कि २० दिसम्बर को सरकार द्वारा जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति का अन्तिम से पहली कंडिका का अर्थ गलत समझा गया है। सरकार की इस प्रैस विज्ञप्ति का यह गलत अर्थ लिया गया है कि उन्हीं अंशधारियों को प्रतिकर दिया जायेगा जो कि सरकारी घोषणा के एक दिन पूर्व अर्थात् १९ दिसम्बर को समवाय की पुस्तकों में पंजीबद्ध थे । सरकार का आशय यह है कि किसी अंशधारी को दिये जाने वाले प्रथम १०,००० रुपये का नगद प्रतिकर का वैकल्पिक भुगतान उन अंशधारियों तक ही सीमित रखा जायेगा, जो कि घोषणा के एक दिन पूर्व समवाय के बही खाते में पंजीबद्ध होंगे । अन्य सारा प्रतिकर सरकार की शोध्य प्रतिभूतियों द्वारा दिया जायेगा ; अर्थात् यदि कोई व्यक्ति १९ दिसम्बर, १९५४ के बाद अंशधारी बनता है, तो वह सारा प्रतिकर सरकार की शोध्य प्रतिभूतियों के रूप में पायेगा और उस को नगदी के रूप में इस का कछ अंश लेने की छूट नहीं होगा। स्टाक एक्सचेंज सन्था बम्बई के प्रधान को उन के तार के उत्तर में स्थिति तुरन्त ही स्पष्ट कर दी गई थी।

आज के समाचारपत्रों के समाचारों के अनुसार, जिन को माननीय सदस्यों ने स्वयं भी देखा होगा, बम्बई तथा अन्य स्थानों में इम्पीरियल बैंक और अन्य राज्य बैंकों के अंशों का सौदा शुरू हो गया है ।

डा० जे० एन० पारिख : क्या बन्द होने की तिथि अन्य राज्य बैंकों पर भी

लागू होगी? केवल ये दस बैंक किस आधार पर चुने गये हैं।

श्री ए० सी० गुहा: अन्य राज्य बैंकों को लेने पर यह तिथि उन पर भी लागू होगी। प्रतिवेदन में यह आधार पहले ही बता दिया गया है। मैं नहीं समझता जो कुछ प्रतिवेदन में कहा गया है, उस से अधिक मैं कुछ कह सकता हूं।

श्री ी० दास: राज्य बैंक विधेयक स सभा में कब पुरः स्थापित किया जायेगा और इस नये राज्य बैंक के कब से कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है?

श्री ए० सी० गुहा: मेरा विचार है कि जब सभा पटल पर विवरण रखा गया था उस माननीय सदस्य ने प्रैस विज्ञप्ति अवश्य पढ़ ली होगी। इस में कुछ समय लगेगा। रिज़र्व बैंक को सारे विषय पर विचार करना पड़ेगा। यह एक जटिल विषय है। किन्तु फिर भी, इसे यथाशीघ्र लिया जायेगा।

श्री मुरारका: वस्तुतः किन अंशधारियों को यह तिकर दिया जायेगा? माननीय मं ी ने कहा कि यह प्रतिकर उन अंशधारियों को दिया जायेगा जिन के नाम घोषणा तिथि से एक दिन पूर्व पंजीबद्ध थे। बहुत से अंशधा ी ऐसे हो सकते हैं जिन के पास खाली अंश हों। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन खाली पूंजी वाले अंशधारियों के लिये अपने नामों को सम्मिलित कराने का क्या उपाय है।

श्री ए० सी० गुहा: मेरे विचार में मैं ने यह अच्छी प्रकार बता दिया है। १९ दिसम्बर के बाद अंश लेने वाले व्यक्ति को भी तिकर दिया जायेगा, किन्तु से नकदी के रूप में प्रथम १०,००० ० लेन की छूट नहीं होगी, उस को केवल शोध्य बं क पत्रों के प में ही प्रतिकर मिलेगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य ैंक की यथाशीघ्र स्थापना की जायेगी। इस बात को देखते हुए कि छः लम्बे वर्षों से यह मामला चल रहा है क्या हम जान सकते हैं कि इस की स्थापना अनुमानतः कितने महीने लगेंगे?

श्री ए० सी० गुहा: यह मामला छः लम्बे सालों से नहीं चल रहा है। इस का निर्णय अभी किया गया है ....

श्री टी० बी० विट्ठल राव: यह मामला १९४८ से चल रहा है।

श्री ए० सी० गुहा: जैसा मैं ने कहा, स में कुछ समय लगेगा। यह एक जटिल विषय है। अतः मैं कोई लगभग तिथि नहीं बता सकता।

एक परिषद्-सदस्य का अपहरण

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १० सरदार ए० एस० सहगल: क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सलाहकार परिषद् के एक सदस्य श्री कृष्ण मोहन सिंह को १७ दिसम्बर, १९५४ को २,००० लोगों की एक भीड़ ने अपहृत कर लिया था;

(ख) क्या यह सच है कि तब उसे सलाहकार परिष् से त्यागपत्र देने के लि हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया था;

(ग) क्या उस समय भीड़ पर कोई गोली चलाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गये थे?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) १७ दिसम्बर, १९५४ को लग-भग २०० प्रजा समाजवादी दलके आन्दोलन कारियों की भीड़ ने इम्फाल में कांग्रेस के कार्यालय को घेर लिया था और वे श्री कृष्ण मोहन सिंह को वहां से बलपूर्वक ी फर्लांग की दूरी पर उठा ले गये।

(ख) भीड़ ने उस से यह मांग की वह तुरन्त ही सलाहकार के अपने पद से त्याग-लिख दें किन्तु उन्हों ने ऐसा करने से इन्कार पत्र कर दिया ।

(ग) श्री कृष्णमोहन सिंह के अपहरण के समय कोई गोली नहीं चलाई गई । किन्तु पुलिस ने उस दिन इम्फाल में दो और स्थानों पर गोली चलाई ।

(घ) अपहरण की इस घटना के सम्बन्ध में उस दिन १५ व्यक्तियों को पकड़ा गया था । पुलिस अभी अन्य ऐसे व्यक्तियों का पता लगा रही है जिन्हों ने सलाहकार को बलपूर्वक रोकने के कार्य में भाग लिया था ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सलाहकार परिषद् के किसी और सदस्य को भी, जो उस समय वहां उपस्थित था, भीड़ ने घेर लिया था, किन्तु वह बच निकला ?

डा० काटजू : यह ठीक है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि बहुत समय पूर्व किसी निहित स्वार्थ दल द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन के परिणाम स्वरूप एक भीड़ इकट्ठी हुई थी और उस ने सलाहकार परिषद् के सदस्य का अपहरण किया था ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह उन की अपनी राय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे और ढंग से पूछ सकते हैं,और अपनी राय देने की बजाय इस का कारण पूछ सकते हैं । वह अधिक अच्छा होगा ।

श्री अमजद अली : मैं उन दोनों स्थानों के नाम जानना चाहता हूं जहां गोली चलाई गई थी और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन पुलिस वालों के साथ गोली चलाने से पूर्व डाधिकारी थे ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे पता है डाधिकारी वहां नहीं थे । पुलिस ने आत्म-रक्षा के लिये गोली चलाई थी । उन्हों ने केवल दो गोलियां चलाई थीं जो व्यक्तियों को चोटें लगी थीं, एक की कलाई में और दूसरे की टांग में । कोई मरा नहीं । एक आदमी अस्पताल में है और दूसरा अपने घर पर है ।

श्री चट्टोपाध्याय : मणीपुर में प्रजातन्त्र स्थापना में और कितना समय लगेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं देता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि जब कि स्टेट्स रिआरगना-इजेशन कमीशन की ओर से तमाम राज्यों के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक निर्णय होता है तो क्या यह सच है कि गवर्नमेंट ने यह फैसला दिया है कि वह मणीपुर और त्रिपुरा के सम्बन्ध में एक बयान कि उन के बारे में फैसला रिआरगनाइजेशन कमीशन के फैसले के बाद होगा ?

डा० काटजू : जी हां, बिल्कुल ठीक है ।

कुछ दिन पहले, यह मामला अध्यक्ष के सम्मुख उठाया गया था और इस की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया था; मैं उस समय यहां नहीं था , और प्रधान मंत्री ने कहा था कि जांच की जायेगी और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा । मेरे पास वह विवरण है । क्या मैं इसे सभा पटल पर रख दूं ? इस में जो कुछ लिखा है, उसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्रीमती खोंगमन : क्या यह सच है कि उक्त व्यक्ति का अपहरण स्कूल की छात्राओं ने किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी छात्रायें पकड़ी गई हैं ?

डा० काटजू : यह सच है कि मनीपुर में स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक सक्रिय हैं।

श्रीमती खोंगमैन : कितनी पकड़ी गई थीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या लड़कियों ने उस लड़के को घेर लिया था और उस का अपहरण किया था ?

डा० काटजू : मैं ने प्रश्न का इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वैधानिक भाषा में, अपहरण वह होता है, जो कि व्यक्ति के वयस्क होने से पूर्व किया जाये।

श्रीमती खोंगमैन : इस सम्बन्ध में कितनी लड़कियां पकड़ी गई हैं ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे पता है, कोई भी नहीं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। पिछले छः सप्ताहों में इन सब गड़बड़ों में कुल १०७ हवालात में डाले गये थे। ४३ को जमानत पर छोड़ दिया गया है और ६४ अभी हिरासत में हैं।

श्री अमजद अली : क्या विवरण में उन दो स्थानों के नाम भी हैं ?

डा० काटजू : मेरे पास कोई नाम नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि उन के पास कोई नाम होते, तो वह उन्हें बता देते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि मनीपुर में अधिकांश दल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वहां विधान मण्डल बनाया जाये और भाग 'ग' राज्य समाप्त किया जाये ?

डा० काटजू : उन का कहना यह है। क्या मैं विवरण का अन्तिम भाग पढ़ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

डा० काटजू : "मैं यह भी बता दूं, कि यह विशेष आन्दोलन पूर्णतया अनावश्यक एवं अवांछनीय है। इस का सम्बन्ध किसी विशेष प्रशासनिक शिकायत से नहीं है, किन्तु उस के द्वारा यह मांग की गई है कि तुरन्त ही मनीपुर में विधान मण्डल स्थापित किया जाये और वहां मंत्रिमंडल बनाया जाये। राज्य के वर्तमान प्रशासन के स्वरूप का निश्चय संविधान के लागू होने और भाग 'ग' राज्य अधिनियम के बनने के समय अच्छी प्रकार सोच विचार कर किया गया था। हाल ही में, मनीपुर त्रिपुरा, और कच्छ के लिये एक सलाहकार परिषद् नियुक्त की गई है। इन राज्यों के भविष्य के प्रशासन के प्रश्न पर राज्य पुनर्संगठन आयोग विचार कर रहा है जो कि, आशा है अगले वर्ष के मध्य तक अपना प्रतिवेदन दे देगा। आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मनीपुर, त्रिपुरा और कच्छ राज्यों के भावी प्रशासन पर सभी पहलुओं को लेकर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा और उन राज्यों के लोगों की राय का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा। इस मध्य में, मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता जिस से इतना अधीर हुआ जाये अथवा आन्दोलन आरम्भ किये जायें, जिन से केवल शान्ति भंग होती है और समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को अनावश्यक कष्ट, असुविधायें और तकलीफें होती हैं।"

विवरण

जो वक्तव्य मैं ने इस सभा में इस महीने की ३ तारीख को दिया था, उस में मैं ने उन घटनाओं का वर्णन किया था जो इम्फाल में प्रजा समाज वादी दल के तथाकथित सत्याग्रह आन्दोलन के परिणामस्वरूप ३० नवम्बर तक वहां हुई थीं। ३० नवम्बर के बाद वह आंदोलन कुछ दिनों के लिये कमजोर पड़ गया क्योंकि

उस आन्दोलन को चलाने वाले अपने काम के लिये अधिक लोगों को अपने साथ न लगा सक । किन्तु वे छोटे छोटे दलों के साथ सलाहकारों के घरों और कार्यालयों के सामने इकट्ठे होते रहे जिस से कि वे सलाहकारों और सरकारी कर्मचारियों को वहां प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने से रोक सकें ।

१४ दिसम्बर को प्रातः प्रदर्शनकारियों के जन समूह जिन में बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे, इम्फाल नगर की सड़कों पर पांच स्थानों पर एकत्रित हो गये और उन्हों ने राजपथों पर सारे यातायात को रोकने का प्रयत्न किया । जन समूह चार महत्वपूर्ण सड़कों के पुलों पर धरना दे कर बैठ गये और उस राजपथ पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ गये क्योंकि भीड़ ने पुलिस के तितर बितर हो जाने के निर्देश को नहीं माना अतः सड़कों पर से बाधा हटाने के लिये पुलिस का बालप्रयोग आवश्यक हो गया। धरना मारने वालों ने पुलिस का सामना किया और हिंसात्मक आचरण अपनाया। पुलिस ने यह ध्यान रखा कि न्यूनतम बल प्रयोग किया जाये । मणीपुर में पुलिस प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अब लाठियों का प्रयोग नहीं करती किन्तु बेतों का प्रयोग करती है । १४ दिसम्बर को किसी स्त्री का अपमान नहीं किया गया और न ही किसी को बेंत लगाये गये । वास्तव में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि यथा समय स्त्रियों को स्पर्श भी न किया जाये । दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और एक स्थान पर भारतीय एयरलाइन्ज निगम के कर्मचारियों को रोक लिया गया । एक स्थान पर जहां स्त्री प्रदर्शनकारी हिल नहीं रही थी, पुलिस ने उन पर ठंडे पानी की कुछ बाल्टियां फेंकी ताकि वे चलती रहें ।

१५ दिसम्बर को कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई ।

१६ और १७ दिसम्बर को फिर प्रदर्शनकारी सड़कों के विभिन्न पुलों और महत्वपूर्ण स्थानों पर एकत्रित हो गये और उन्हों ने सारे यातायात को रोकने का प्रयत्न किया । इन भीड़ों में स्त्रियों का आधिक्य था । १६ तारीख को अश्रुगैस दल को भीड़ को तितर बितर करने के लिये लगाया गया, किन्तु उस से किसी को कोई हानि नहीं हुई । १७ तारीख के प्रदर्शनकारी विशेषतया हिंसात्मक हो गये और उन्हों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और सोडा वाटर की बोतलें भी फेंकीं और लाठियां भी प्रयोग कीं । पुलिस के मुख्य निरीक्षक के कई घाव हो गये और एक सिपाही के भी छुरा घोंपा गया । पुलिस की तीन गाड़ियों को क्षति पहुंची । एक कांग्रेस का कार्यालय घेर लिया गया और भवन को भी हानि पहुंचाई गई । प्रदर्शनकारी दो पुलिस के सिपाहियों को भी बलपूर्वक उठा ले गये और उन्हें कई घंटे तक अवैध रूप से रोके रखा । एक सलाहकार, श्री कृष्णमोहन सिंह को भी घेर लिया गया और भीड़ उन्हें बलपूर्वक उठा कर ले गई और कुछ मिनट तक जब तक उन्हें पुलिस ने नहीं छुड़ाया रोके रखा गया । भीड़ ने यह मांग की थी कि वह सलाहकार के पद से त्यागपत्र दे दें । एक स्थान पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिये हवाई फायर किया था । एक दूसरे स्थान पर भीड़ ने प्रहार किया और अश्रुगैस वाले दल को दबाना चाहा, जिसने आत्मरक्षा के लिये गोली चलाई जिससे दो व्यक्तियों को चोट लगी ।

१८ दिसम्बर को कोई घटना नहीं हुई । २२ दिसम्बर को श्री रिशांग किशिंग संसद् सदस्य गिरफ्तार किये गये थे । १८ नवम्बर को हुए प्रदर्शन में एक सिपाही पर प्रहार करने के लिये उन पर अभियोग चलाया जा रहा है । उन्हों ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है इसलिये वे जेल में हिरासत में हैं

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पुलिस की ज्यादतियों तथा पाशविकता और घायल व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में बहुत बढ़ा चढ़ा कर सूचना परिचालित की जा रही है। भीड़ को तितर बितर करने के लिये चलाये गये बेतों तथा दंगे के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों के चोटें लगी थीं। जिन लोगों के कुचलने से मामूली चोटें या खरोंचे लगी हैं उन की संख्या का पता लगाना सम्भव नहीं, किन्तु उन लोगों का पूरा हिसाब रखा गया है जिन को उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया था। १५ नवम्बर से १५ दिसम्बर तक अर्थात् एक मास में उपद्रवी घायलों की संख्या १४० और पुलिस के घायलों की संख्या ५६ थी। १७ दिसम्बर को प्रदर्शनकारियों की प्रवृत्ति विशेष रूप से हिंसात्मक थी और उस दिन ड्यूटी पर उपस्थित ५५ सिपाहियों को भिन्न भिन्न प्रकार की चोटें लगी थीं। १६ और १७ दिसम्बर को २२ उपद्रवियों के चोटें लगी थीं। पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को न तो ठोकरें लगाईं और न कटीले तारों पर धक्का ही दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों के कुचले जाने से चोटें लगी थीं। ऐसा उस समय होता है जबकि भीड़ पीछे की ओर धक्का देती है। १७ तारीख को जो गोली चलाई गई थी उस में दो व्यक्तियों को गहरी चोटें लगने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रदर्शनकारी के गहरी चोटें नहीं आईं। इस के विपरीत दो सिपाहियों के छुरे के घाव लगे, जिस में से १७ दिसम्बर को जिस एक सिपाही के चोट आई है वह गम्भीर प्रकार की है। मुझे खेद है कि मैं अपने पहले वाले वक्तव्य में कुछ गलत सूचना दे गया हूं। जिस दूसरे कान्स्टेबल के छुरे का घाव लगा था वह २७ नवम्बर को बजाय २५ नवम्बर को लगा था। जितने घायल प्रदर्शनकारी अस्पताल गये थे उन में से अधिकांश को उपचार के पश्चात् तत्काल ही घर वापस भेज दिया गया था। कुछ लोगों को दो-तीन दिनों के लिये रोका गया था। गोली चलाने के फलस्वरूप घायल प्रदर्शनकारियों में से केवल एक व्यक्ति इस समय अस्पताल में है। इस के साथ ही छः घायल सिपाही भी अभी अस्पताल में हैं। प्रजा समाजवादी दल द्वारा परिचालित एक दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक एक हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह गणना किस कार को गई है। अब तक गिरफ्तार किये गये अथवा हवालात में रखे गये अथवा न्यायिक हिरासत में रखे गये कुल व्यक्तियों की वास्तविक संख्या १०७ है, जिनमें से ४३ को जमानत पर छोड़ दिया गया है और ६४ अभी हिरासत में हैं। लोगों की गिरफ्तारी केवल उन्हीं अपराधों के करने पर, जिसके करने पर उन पर अभियोग चलाया जा सके, की जाती है और अधिकांश मामलों में उनकी जमानत स्वीकार कर ली जाती है।

मैं बताना चाहता हूं कि यह आन्दोलन पूर्णतया आकस्मिक था। इसका किसी प्रशासकीय शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है वरन् इसका उद्देश्य मनीपुर में तत्काल ही एक विधान मण्डल तथा मंत्रिमण्डल की स्थापना की मांग करना है। राज्य की वर्तमान व्यवस्था का निश्चय संविधान को जारी करने और भाग 'ग' राज्य अधिनियम को पारित करते समय भली भांति विचार करके किया गया था। मनीपुर, त्रिपुरा और कच्छ में अभी हाल ही में सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई है। इन राज्यों के भविष्य में प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न की राज्य पुनर्संगठन आयोग जांच कर रहा है। अगले वर्ष के मध्य के आस-पास इस की रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् मनीपुर, त्रिपुरा और कच्छ राज्यों के भविष्य के प्रशासन पर

सभी प्रकार से ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा और इन राज्यों की लोक सम्मति का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। इस बीच किसी प्रकार के अधैर्य अथवा ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता नहीं समझता जिससे केवल शान्ति भंग होती है और सम्बन्धित सभी लोगों को अनावश्यक तकलीफ़, असुविधा और परेशानी ही होती है।

तम्बाकू

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ८. श्री रघुरामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी तम्बाकू के बोने वालों और उत्पादन करने वालों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इस तम्बाकू के विक्रय पर नियंत्रण लगाने और उत्पादन शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ० सी० गहा) : (क) और (ख). आन्ध्र क्षेत्र के तम्बाकू उगाने वाले लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री रघुरामय्या : क्या कुछ निश्चय किये जाने की सम्भावना है, और यदि हां, तो कितनी शीघ्र ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में दो मांगें हैं। एक तो तम्बाकू की बिक्री पर नियंत्रण लगाना। मुझे खेद है कि इसका अधिकार न तो केन्द्रीय सरकार को ही है। और न वित्त मंत्रालय को ही। अत्यावश्यक संभरण अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को कुछ पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण करने तथा इधर से उधर ले जाने के लिये अनुमति देने का अधिकार है और जहां तक मैं समझता हूं तम्बाकू उस सूची में नहीं है। कुछ भी हो वित्त मंत्रालय को इसका अधिकार नहीं है। जहां तक दूसरी मांग अर्थात्, उत्पादन शुल्क को घटाने का सम्बन्ध है, मैं इस समय कुछ भी बता सकने में असमर्थ हूं।

श्रीमति रेणु चक्रवर्ती : मूल्य नीति सम्बन्धी रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के बाद से, जिसको लागू करने का सरकार का विचार है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तम्बाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसका मूल्य एकदम गिर गया ह, क्या सरकार का तम्बाकू के मूल्य पर नियंत्रण करने का विचार है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय अथवा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जा सकता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: जो पक्ष तम्बाकू का निर्यात व्यापार करते हैं उनको नये लोगों की तुलना में, जो सुदृढ़ नहीं हैं किन कारणों से छट दे दी गई है ?

श्री० ए० सी० गुहा : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता। यह प्रश्न भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित है वित्त मंत्रालय से नहीं।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि दक्षिणी कनाडा के तम्बाकू उत्पादक संघ ने उस स्थान के तम्बाकू उत्पादकों को जिन विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसका विस्तृत विवरण देते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। हमको बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य द्वारा निर्देश किये गये अभ्यावेदन के विषय में मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फालतू सामान का उत्सर्जन

*१६३६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक सामान के विभिन्न भंडारों (आर्डिनैन्स डिपो) तथा दूसरे अड्डों पर ऐसे कितने गोदाम और अहाते हैं जहां पर सेना द्वारा फालतू सामान रखा गया है और जिसकी बिक्री के लिये उत्सर्जन (डिस्पोजल) अधिकारियों को कहा गया है ;

(ख) सैनिक सामान के विभिन्न भंडारों तथा अन्य स्थानों पर ऐसे सामान के बचाव के लिये, जो खुले में पड़ा हुआ है, अभी तक क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) ऐसे माल के खुले में पड़े रहने के कारण प्रति वर्ष कितनी हानि होती है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) फालतू सामान के गोदामों तथा स्थानों की संख्या बताना सम्भव नहीं क्योंकि यद्यपि उत्सर्जन का सामान कार्य में आने वाले स्टाक से बहुत कुछ अलग रखा जाता है, किन्तु फिर भी स्टोर करने के स्थान में कमी होने के कारण सभी सामान को विशेष रूप से निश्चित अलग अलग क्षेत्र में रखना सम्भव नहीं है ।

(ख) अधिकतर मामलों में जहां सामान खुले में पड़ा रहता है, चटाई तथा तिरपालों की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) वार्षिक कितनी हानि होती है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु हानि बहुत कम ही होती है । फालतू सामान के उत्सर्जन में शीघ्रता करने और सामान रखने के लिये कुछ और ढके स्थानों को बनवाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

गवेषणा प्रतिष्ठान और वैज्ञानिक संस्थायें

*१६३७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक गवेषणा प्रतिष्ठानों और वैज्ञानिक संस्थाओं को इन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में गवेषणा तथा वैज्ञानिक कार्य के विकास के लिये कितना सहायतार्थ अनुदान दिया गया है; और

(ख) क्या इस काल में कोई विशेष रुचिकर गवेषणा कार्य किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७**]

तम्बाकू पर उत्पादन नियत्रंण

*१६३८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों पर उत्पादन नियंत्रण करने की वर्तमान प्रणाली के साथ ग्राम अधिकारियों को सम्बद्ध करने की योजना की कार्यान्विति पर पुनर्विचार तथा इस की जांच हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

राज्यस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). तम्बाकू पर उत्पादन नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली से ग्राम अधिकारियों को सम्बद्ध करने की योजना अभी परीक्षणात्मक अवस्था में है और इस का पूरा परिणाम अभी सरकार को नहीं बताया गया है । इस सम्बन्ध में मैं ने लोक-सभा में ७ सितम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ का जो उत्तर दिया था उस की ओर ध्यान दिलाया जाता ह ?

नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक सम्मेलन

*१६३९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में सितम्बर, १९५४ में नियंत्रकों तथा महालेखा परीक्षकों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस में मुख्य क्या निश्चय किये गये थे ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन का उद्देश्य सामान्य रुचि के लेखा सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन को कोई ऐसे निश्चय करने का अधिकार नहीं था जो सारे महा-लेखा परीक्षकों पर अवश्य लागू हो।

अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक सम्मेलन, बम्बई

*१६४०. **श्री गिडवानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में २३ अक्तूबर, १९५४ को हुए अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक सम्मेलन द्वारा पारित उस संकल्प की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि सब माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें एक समान होनी चाहियें, चाहे वे किसी भी ऐजेंसी के अधीन अथवा राज्य में सेवा करते हों ;

(ख) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कुल्लू घाटी का विकास

*१६४१. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू घाटी के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास को अधिकतम प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) इस के विकास के लिये अगले वर्ष कितनी राशि व्यय करन का विचार है; और

(ग) विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होने पर इस घाटी की उन्नति की क्या सम्भावनायें हैं ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय कांगड़ा जिले के कुल्लू सब-डिवीजन में स्थित स्पीती और लाहौल के अनुसूचित क्षेत्रों से है'। यदि ऐसी बात है तो केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय अनुसूचित आदिम जातियों की दशा सुधारने और इन क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकार को १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४–५५ के लिये क्रमशः ०.७५ लाख रुपये, ४.७३ लाख रुपये, ४.९२ लाख रुपये और ८.३० लाख रुपये के अनुदान दिये थे जिन योजनाओं के लिये अनुदान दिये गये थे वे सामान्यतया शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन, सिंचाई, सड़कों, कुटीर उद्योग इत्यादि के सम्बन्ध में थीं और आशा है कि इन के पूरे होने से इन क्षेत्रों के निवासियों का जीवन-स्तर तथा इन की भौतिक अवस्था उन्नत हो जायेगी। पंजाब सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में दिय जाने वाले अनदान की राशि अभी तक निश्चित नहीं हुई है ।

बंगलौर में नगर पालिका की भूमि का लौटाया जाना

*१६४२. **श्री केशवैयंगार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) बंगलौर निगम की कुल कितनी नगर की भूमि सेना और प्रतिरक्षा संगठन के अधिकार में है;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने इस भूमि को खाली कर देन की प्रार्थना की है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के अभ्यावेदन के विषय में कोई निश्चय किया ह ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २७.०७५ एकड़ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सांख्यकीय संगठन

*१६४३. **श्री संगण्णा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के द्वारा भारत सरकार को सांख्यकीय सामग्री देने के लिये सांख्यकीय संगठनों को बनाये रखने के लिये कीई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां तो इस प्रकार कितनी सहायता दी गई है, ?

वित्तमंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को भारत सरकार के सांख्यकीय अभिकरणों के सहयोग से सांख्यकीय संगठनों को बनाये रखने और चलाने के लिये उपयुक्त सहायता देने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है; अभी तक केवल एक राज्य अर्थात् बम्बई के साथ अन्तिम रूप से व्यवस्था की गयी है, जिस के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्र तथा राज्य अभिकरणों के मध्य सांख्यकीय सहयोग की एक योजना के आवर्त्तक व्यय के लिये प्रतिवर्ष ८२,२०० रुपये और अनावर्तक व्यय के लिये आरम्भ में ५४,७०० पये की राशि मिलेगी ।

वेतन आयोग

*१६४४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के लिये एक वेतन आयोग बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जनगणना

*१६४५. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को विवाद ग्रस्त सीमान्त क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में भाषा विषयक अल्पसंख्यकों की ठीक ठीक संख्या को ज्ञात करने के लिये नवीन जनगणना करने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में और प्रत्येक राज्य के किन किन क्षेत्रों में ऐसी नवीन जनगणना की जायेगी;

(ग) किस तारीख तक वह पूरी हो जायेगी; और

(घ) किस अभिकरण के द्वारा वह की जायेगी ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). नहीं भारत सरकार ने भारत के बहु भाषी तालुकाओं के सीमा पर गांवों में जनगणना -पंचियों की भाषायें छांटने का केवल आदेश दिया है ।

यह कार्य हैदराबाद राज्य में पहले ही पूरा हो चुका है और मद्रास, आन्ध्र और मैसूर राज्य में शीघ्र ही पूरा होने वाला है। बम्बई, मध्य प्रदेश, त्रावनकोर-कोचीन, विहार और उड़ीसा और आवश्यकता होने पर अन्य राज्यों में छांटने का कार्य प्रारम्भ करने के लिये कार्यालय खोलने की प्रस्थापना है। किन क्षेत्रों में ऐसी छांट की जाने को है उन को राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद अन्तिम रूप से निर्धारित किया जायेगा कि प्रत्येक राज्य में भारत सरकार द्वारा एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जायगा। ये पदाधिकारी भारत के उपमहापंजीयक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। इस कार्य के मई १९५५ में समाप्त होने की संभावना है। एकत्र किये गये आंकड़े जनता की जानकारी के लिये मुद्रित और प्रकाशित किये जायेंगे।

राइफल क्लब

*१६४६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत के राइफल क्लबों और संस्थाओं को कोई वित्तीय अनुदान अथवा अन्य सुविधायें देनी है, और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): राइफल क्लबों और संस्थाओं को सरकार द्वारा जो सुविधायें दी जाती हैं वे मुख्यतया दो प्रकार की हैं, अर्थात् (१) वे जो तत्सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं और (२) वे जो भारत सरकार द्वारा मंजूर की जाती हैं।

(१) के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को समय समय पर कहा गया है कि :

(१) पुलिस शस्त्रागारों में शस्त्रास्त्रों और गोलाबारूद की सुविधाओं का (यदि आवश्यक हो) उपबन्ध किया जाय;

(२) प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारियों की सेवायें शिक्षकों के कार्य के लिये उपलब्ध की जायें ;

(३) लक्ष्य-अभ्यास के लिये आवश्यक शस्त्रास्त्रों और गोला बारूद की खरीद के लिये वित्तीय सहायता मंजूर की जायें;

(४) शस्त्रास्त्रों की अनुज्ञप्तियों के लिये दी गई फीस के लिये सहायता मंजूर की जाय।

(२) के सम्बन्ध में, भारत सरकार द्वारा जो सुविधायें दी गई हैं, वह यह हैं :

(क) भारत के नैशनल राइफल असोसियेशन को तदर्थ आधार पर प्रत्येक अवसर पर उस के द्वारा की गई दो वार्षिक चांदमारी प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में १०,००० रुपये का अनुदान;

(ख) स्वीकृत राइफल क्लबों के सदस्यों को स्थानीय सेना कर्मचारियों द्वारा लक्ष्य-अभ्यास तथा बन्दूकों के उपयोग का प्रशिक्षण, जहां स्थानीय पुलिस उस कार्य के लिये उपलब्ध नहीं होती है;

(ग) विदेशों से शस्त्रास्त्रों और गोला-बारूद के सीधे आयात के लिये मान्य राइफल क्लबों से आवेदनपत्र प्राप्त करना; और

(घ) सैनिक सामान भांडारों से रियायती दरों पर राइफल क्लबों को गोल-बारूद का संभरण।

रक्षा कर्मचारियों के लिये परिवहन सुविधाएं

*१६४७. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा-कर्मचारियों को सस्ती परिवहन सुविधा देने की कोई प्रस्थापना सरकार के वचाराधीन है

(ख) क्या यह तथ्य है कि कुछ रक्षा अधिष्ठापन ऐसे हैं जहां रहने के लिये आवास स्थान नहीं हैं और कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पहुंचने के लिये १० मील की दूरी करनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कर्मचारियों को अधिक सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार उन कर्मचारियों को, जो अपने कार्यस्थलों से जो उपनगरीय रेलवे या अन्य किसी सार्वजनिक परिवहन सेवा से सम्बद्ध नहीं हैं, पर्याप्त दूरी पर रहते हैं, रियायती दरों पर परिवहन सुविधा देने की संभावना की जांच कर रही है।

त्रिपुरा में विमान यात्रा की सुविधाएं

१६४८. **श्री बीरेनदत्त** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार के श्रेणी १ के पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सभी पदाधिकारियों के लिये विमान यात्रा की सुविधाएं बन्द कर दी गयी हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस नियम से सरकारी काम में रुकावट पैदा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

*१६४९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६४ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में समाविष्ट की जाने वाली विदेशों से एकत्र की गई सामग्री का वर्गीकरण किया जा चुका है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): इतिहास में समाविष्ट की जाने वाली सामग्री के वर्गीकरण का कार्य अभी चल रहा है ।

छाता सैनिक प्रशिक्षण-केन्द्र

*१६५०. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेरिया हवाई अड्डे (आगरा) पर एक छातासैनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रस्थापना है ;

(ख) संभवतः किस तारीख तक वह प्रशिक्षण चालू हो जायगा ; और

(ग) इस केन्द्र पर सरकार को कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय करना पड़ेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). इस देश में छातासैनिकों के प्रशिक्षण के सम्बन्धित ब्यौरे को बताना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

साहित्यिक कर्मशाला (उत्तर प्रदेश) :

*१६५१. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या ७२१ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी प्रदेश के साहित्यिक कर्मशाला में किन किन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ख) त्रिपुरा से प्रशिक्षार्थियों को किस भाषा में प्रशिक्षण दिया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५८]

(ख) बंगाली।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

*१६५२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी दी हुई हो :

(क) १९५१ की जनगणना में हैदराबाद, सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं और इन राज्यों के अब पुनरीक्षित आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या जनगणना के आंकड़ों में परिवर्तन से यह आवश्यक हो गया है कि कई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को जो पहले राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी सूची में समाविष्ट नहीं थीं, अब शामिल किया जाये ;

(ग) किस प्राधिकार के अधीन ये परिवर्तन किये गये हैं ; और

(घ) अन्य राज्यों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश में नहीं है, स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]

आदिम जातियों के लिये राजनैतिक प्रतिनिधित्व

*१६५३. **श्री भीखाभाई:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन आदिम जातियों को जिनके नाम आदिम जातियों की सूची में नहीं है, राजनैतिक रक्षा देने के उपायों पर विचार किया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास): म ठीक ठीक नहीं समझा कि राजनैतिक रक्षण से माननीय सदस्य का क्या आशय है। यदि उनका आशय लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों के सुरक्षण से है, तो मुझे कहना चाहिये कि उत्तर नकारात्मक है।

भवीना फायरिंग रेंज (चांदमारी का स्थान)

*१६५४. **श्री वी० वी० देशपांडे:** क्या रक्षा मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़िला शिवपुरी (मध्य भारत) के पिछोर परगना के उन आईस गांवों के लिये कोई और क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है, जिन्हें भवीना की फील्ड फायरिंग रेंज के लिये खाली करवाया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्षतिपूर्ति की राशि और उस का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या उन गावों को उन में पहले रहने वालों को लौटाने के बारे में सरकार ने कोई निश्चय किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) और (ख). विभिन्न जमीन मालिकों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिये जाने के परिणामस्वरूप बिलकुल ठीक ठीक अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण मध्य भारत सरकार, जिसका यह प्रारम्भिक उत्तरदायित्व था कि वह भुगतान करे और उतना देयांश भारत सरकार के नाम बाकी लिख दे, व्यक्ति-

गत जमीन मालिकों को देय प्रतिकर को निर्धारित करने और उसके भुगतान करने की व्यवस्था नहीं कर सकी।

(ग) जुलाई १९४६ से ३१ मार्च १९५३ तक देय प्रतिकर १४,६८,४११ रुपये १० आने ६ पाई होता जिसमें यह सम्मिलित है ;

(१) जमीन का लगान १,६२,१८० रुपये २ आने ६ पाई

(२) वृक्षों आदि के लिये प्रतिकर १३,०६,२३१ रुपये ८ आने

(घ) वास्तविक स्थान पर अतिरिक्त जमीन का रेखीकरण किया जा रहा है और ज्योंही ठीक ठीक क्षेत्रफल मालूम कर लिये जायेंगे, राज्य-सरकार के जरिये उन्हें लौटाने के बारे में कार्यवाही की जायगी।

रक्षा भंडारों की चोरी

*१६५५. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सेना गाड़ी डिपो से लगभग १५ लाख रुपये के मूल्य के रक्षा भांडारों की चोरी हुई;

(ख) क्या यह सच है कि एक कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसर जो इस चोरी में लिप्त था, अब एक लम्बे रोगावकाश पर है तथा अब भी सैनिक जीवन के सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले के सम्बन्ध में जांच बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने की प्रस्थापन करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं। परन्तु १९५१ में कुछ अनियमितताओं की ओर जिस के परिणामस्वरूप १,८६,००० रुपये की हानि हुई थी, ध्यान दिलाया गया था।

(ख) जी नहीं। परन्तु एक अफसर की सेवा मुक्ति के प्रश्न को जो संभवतः इन अनियमितताओं में लिप्त है, जांच की समाप्ति तक के लिये लम्बित कर दिया गया है।

(ग) १९५१ में सब से पहले अफसरों का एक बोर्ड दिल्ली सी० ओ० डी० के कमांडेंट द्वारा नियुक्त किया गया था, तथा बाद में इन अनियमितताओं की जाच करने के लिये, मेरठ सब एरिया द्वारा १९५२ में एक स्टाफ जांच की गई थी। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण, यह जांच अपूर्ण रही, यह अपूर्णता मुख्यतः इस गाड़ी डिपो में पहले सेवायुक्त कर्मचारियों के सेवायुक्त किये जाने अथवा निकाले जाने के कारण रही। हाल ही में इस मामले की अग्रेतर जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं और यदि पिछली जांच के प्रतिवेदन जनता को दिखा दिये जायें तो इस का इस जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों

*१६५६. **श्री आई० ईयाचरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में मद्रास राज्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों को कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यह धनराशि जिन मुख्य योजनाओं पर व्यय की जायेगी वह कौन सी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख') १९५४–५५ में मद्रास राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं के ब्यौरे को दिखाने वाला एक विवरण, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०]**

समाज कल्याण बोर्ड

*१६५७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा बिहार के राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या है तथा उन के समाज कल्याण कार्य के पूर्व अनुभव क्या हैं; और

(ख) बोर्ड के सदस्यों के नामनिर्देशन किस आधार पर किये गये थे तथा बोर्ड की अवधि कितनी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध ६१]**

(ख) बोर्ड में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं, राज्य विधान सभाओं के सदस्यों, तथा राज्य सरकारों के विकास तथा सामाजिक कल्याण विभागों के प्रतिनिधियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर दिया गया है। प्रथम बार में बोर्ड की अवधि एक वर्ष रखी गई है।

सेवा काल की वृद्धि की स्वीकृति

*१६५८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रविधिक घोषित कर्मचारियों को ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा काल की वृद्धि की स्वीकृति देने से सम्बन्धी सरकारी नीति भारतीय लेखा परीक्षा विभाग पर भी लागू होती है; और

(ख) यदि नहीं है, तो इस विभाग में किस नीति का परिपालन किया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में इस सम्बन्ध में अनुसूचित नीति यही है जो कि सरकार के अन्य विभागों में प्रचलित है। यद्यपि प्रविधिक पदों के लिये यह सेवाकाल में वृद्धि उदारतापूर्वक स्वीकृत की जाती है, परन्तु अप्रविधि पदों के लिए यह अधिक संकुचित आधार पर स्वीकृत की जाती है। परन्तु दूसरे मामलों में भी उन पदों के लिये विशेष अनुभव तथा विचार गांभीर्य की आवश्यकता होती है उन के लिये आयुवार्द्धक्यता प्राप्त अफसरों के सेवा काल में भी वृद्धि की गई है, तथा कर्मचारियों की सामान्य-कमी के कारण सेवानिवृत होने वाले अफसरों का स्थान लेने के लिये अपेक्षित अनुभव तथा विचार गांभीर्य वाले अफसर तुरन्त ही उपलब्ध नहीं हैं।

येम्मिगनूर बुनकर सहकारी उत्पादन तथा विक्रय संस्था

*१६५९. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) येम्मिगनूर बुनकर सहकारी उत्पादन तथा विक्रय संस्था को वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों (हौस्पेट सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा कुरनूल सहकारी केन्द्रीय बैंक) तथा आन्ध्र सरकार द्वारा कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है;

(ख) क्या किन्हीं ऋणों की अवधि समाप्त हो गई है;

(ग) क्या संस्था ने ऋण की शर्तें पूरी की हैं;

(घ) क्या संस्था के १९५३–५४ के लेखाओं का लेखापरीक्षण पूर्ण हो चुका है; और

(ङ) क्या लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय संगीत नाटक अकादमी

*१६६०. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय संगीत नाटक अकादमी के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है;

(ख) उपरिलिखित अकादमी में कितने मान्यता प्राप्त कलाकार सम्मिलित किये गये हैं; और

(ग) इन कलाकारों को किस आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) संगीत नाटक अकादमी की केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों का चुनाव ३१ मई, १९५२ के सरकारी संकल्प संख्या एफ. ६-५।५१-जी २(ए) की कंडिका (१०) के खंड (१) के अनुसार किया गया है जिस की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) मान्यता प्राप्त अथवा अमान्यता प्राप्त कोई कलाकार नहीं है ।

(ग) भारत सरकार कलाकारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है ।

महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में गबन

*१६६१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महा-गणक केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में हाल ही में लगभग १,६१,००० रुपये के गबन का पता चला है;

(ख) क्या यह सच है कि एक ही बिल को दुबारा तिबारा लिखा गया है;

(ग) यदि हां, तो कितने वर्षों के;

(घ) क्या इस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को गबन की गई धनराशि का ठीक ठीक मूल्यांकन करने के लिये निलम्बित कर दिया गया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या अन्य कार्यवाहियां की गई हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हा । कहा जाता है कि लगभग १,५१,६४५ रुपये का (अभी निश्चित नहीं किया गया है) ।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में ।

(ग) यह गबन नौ वर्षों में किया गया है । सब से पहला जुलाई १९४४ में किया गया था ।

(घ) इस गबन के लिये उत्तरदायी कोषाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया है ।

(ङ) जिला दंडाधिकारी को रिपोर्ट किये जाने पर कोषाध्यक्ष को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था तथा बाद में दिल्ली के सत्र न्यायाधीश ने उस को जमानत पर छोड़ दिया था । पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है ।

जिन विभागीय कर्मचारियों, अफसरों समेत, की असावधानी के कारण यह गबन करना संभव हुआ था, उन पर अभियोग लगा दिये गये हैं ।

स्पिरिट के वापस लिये जाने सम्बन्धी दावे

*१६६२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में सरकार ने वायुयान रिपोर्ट के वापिस लिये जाने सम्बन्धी दावों के पास किये जाने को इस विषय में उच्च अधिकारियो

द्वारा की जा रही जांच के समाप्त होने तक निलम्बित कर दिये जाने के आदेश जारी किये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इन आदेशों के अनपेक्ष भी इन वापस लिये जाने से सम्बन्धित दावों की जांच करने के लिये कलकत्ते में विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) क्या इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे कोई दावे स्वीकार कर लिये गये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हा । परन्तु यह आदेश केवल कलकत्ता सीमाशुल्क कार्यालय में लम्बित दावों तक के लिये ही सीमित थे ।

(ख) कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय के वापसी विभाग को अभी कुछ दिन पूर्व, अंशतः उस विभाग में बढ़े हुए काम को पूरा कर के तथा अंशतः वायुयान रिपोर्ट से सम्बन्धित बहुत से लम्बित दावों की प्रारम्भिक जांच करने के लिये जिस से कि जब यह निलम्बन के आदेश सरकार द्वारा वापस ले लिए जायें तब इन दावों का ठीक प्रकार से निपटारा किया जा सके । कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर के बढ़ा दिया गया है । इस प्रकार की प्रारम्भिक जांच किसी भी प्रकार से सरकारी आदेशों के आड़े नहीं आती है क्योंकि वह केवल वास्तविक भुगतान को ही रोकता था ।

(ग) जी नहीं ।

खनिज पदार्थ रियायत नियम

*१६६३. **श्री देवगम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने के आदेशों के विरुद्ध जो कि भारत सरकार को क्रमशः १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४, १९५४–५५ में प्राप्त हुए थे, खनिज पदार्थ रियायत नियमों १९४९ के नियम ५७ के अधीन कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा चुका है तथा कितने अभी लम्बित हैं; और

(ग) कितने आवेदनपत्र स्वीकार कर लिये गये तथा कितने अस्वीकृत कर दिये गये ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२]

सामाजिक तनाव

*१६६४. **श्रीमती जयश्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक तनाव सम्बन्धी परियोजना के गवेषणा कार्य में क्या प्रगति की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]

आयात तथा निर्यात का बीमा

*१६६५. **श्री तुलसी दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात के बीमे के सम्बन्ध में १९५२, १९५३ तथा १९५४ के पूर्वाधि में कितना धन दिया गया;

(ख) इस कार्य में भारतीय समवायों का कितना भाग था; तथा

(ग) क्या सरकार भारतीय समवायों के भाग को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं है इस का मुख्य कारण यह है कि हमारा अधिकतर आयात मूल्य भाड़ा बीमा आधार पर होता है ।

(ग) इस सम्बन्ध में अभी सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है; परन्तु इसे पूर्ण विश्वास है भारतीय बीमा समवायों के प्रगतिशील विकास के साथ साथ, इस प्रकार के कार्य में उन का पर्याप्त भाग रहेगा ।

उत्तुंग गवेषणा केन्द्र

***१६६६. श्री भगत दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २८ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टर के० आर० रामनाथन् ने उत्तुंग गवेषणा केन्द्र के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अन्तिम निश्चय क्या किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् प्रतिवेदन की जांच कर रही है ।

मुद्रा का चोरी-छिपे ले जाया जाना

***१६६७. श्री कासलीवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में भारतीय मुद्रा को चोरी छिपे बाहर ले जाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति पालम पर रोके गये हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). तक, १२ दिसम्बर, १९५४ को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के अफसरों ने दो विदेशियों को जब कि वह भारत से बाहर जाने वाले वायुयान पर भारत से बाहर किसी स्थान को जाने के लिये चढ़ने ही को थे गिरफ्तार किया था और उन के पास से ३,००,४०० रुपये के मूल्य के करेंसी नोट इस आधार पर पकड़े गये थे कि वह उन नोटों को भारत के रिजर्व बैंक के अपेक्षित अनुज्ञापत्र के बिना ही बाहर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, और इस प्रकार विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे । इस देश में इन लोगों के कार्यों की छानबीन सीमाशुल्क तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है और समुद्र-सीमा-शुल्क अधिनियम तथा विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य रूप से उचित कार्यवाही की जायेगी ।

इस प्रकार भारत में तथा भारत से बाहर मुद्रा के चोरी छुपे ले जाने को रोकने में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संक्षिप्त रूप में एक विवरण में दी गई है जो पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६४]**

ईस्टर्न कमांड मुख्यालय

***१६६८. श्री यू० सी० पटनायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईस्टर्न कमाण्ड के मुख्य कार्यालय को रांची से लखनऊ स्थानांतरित करने में कितना व्यय होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अनुमानतः ६७४६ लाख रुपये ।

आसाम को अनुदान

*१३६९. **श्री विमला प्रसाद चालिहा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के ऐतिहासिक तथा प्राचीन अध्ययन विभाग को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५० से प्रतिवर्ष कितना धन दिया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

करारोपण जांच आयोग

*१६७०. **डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **वित्त** मंत्री १७ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करारोपण जांच आयोग का प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस की जांच पूरी कर ली है; और

(ग) क्या सरकार बजट प्रस्तुत करने से पूर्व ही उसे प्रकाशित करना चाहती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान्,

(ख) अभी नहीं ।

(ग) सरकार अभी प्रतिवेदन पर विचार कर रही है । मुझे खेद है कि मैं यह नहीं कह सकता कि उसे प्रकाशित करना कब तक संभव हो सकेगा ।

व्यवस्था विभाग (भारत का वनस्पतिक सर्वेक्षण)

*१६७१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण के व्यवस्था विभाग को विदेशों से कोई नमूने पहिचान किये जाने के लिये प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो जिन देशों से यह नमूने प्राप्त हुए उन के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या विदेशों में एकत्र किये गये कोई नमूने इसी वर्ष में भारत को उपहार के रूप में प्राप्त हुए थे ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) हां श्रीमान् ।

सौर पंचांग

*१६७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचांग सुधार समिति ने वैज्ञानिक आधार पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सौर पंचांग बनाने का काम पूरा कर लिया है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञातिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हां, श्रीमन् !

मूलभूत अधिकार

*१६७३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **गृह कार्य**-मंत्री इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में और १९५४ में अभी तक संविधान के भाग ३ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों के लागू किये जाने के लिये कितने मामलों में उचित प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय से आवेदन किया गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पृथक आंकड़े बताते हुए, संविधान के भाग ३ में दिये गये किन्हीं अधिकारों को लागू करने के लिये कितने मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये निदेश, आदेश अथवा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण लेखों जैसे लेख जारी किये गये ; और

(ग) कितने तथा किस प्रकार के मामलों में किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा संविधान द्वारा प्रत्याभत मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण किया जाना पाया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). दो प्रकार के मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों के लागू किये जाने से सम्बन्धित है :

(१) संविधान के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत लेख अथवा आदेश अथवा निदेश जारी किये जाने की प्रार्थना करने वाली याचिकायें ।

(२) उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलें ।

प्रश्न के तीन भागों के उत्तर देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५]

औषध गवेषणा प्रयोगशाला काश्मीर

१६७३. (क) **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क:** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर सरकार की औषध गवेषणा प्रयोगशाला को केन्द्रीय औषध गवेषणा संस्था से मिलाया जाने को है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया और यदि हां तो उस की क्या शर्तें हैं ;

(ग) राज्य में उक्त औषध गवेषणा प्रयोगशाला के प्रारम्भ से अब तक क्या क्या औषधियां बनाई गई हैं ; और

(घ) क्या जम्मू और काश्मीर में बनाई गई औषधियां विदेशों को निर्यात की जाती हैं।

प्राकृतिक संसादव और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) औषध गवेषणा प्रयोगशाला, जम्मू को केन्द्रीय औषध गवेषणा संस्था लखनऊ से संयुक्त करने का एक प्रस्ताव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा जम्मू और काश्मीर सरकार के बीच विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है :

(ग) स्पिरिट यक्त दवाइयां टिंक्चर, लिक्विड एक्सट्रेक्टस). बेलाडोना प्लास्टर संटोनीन और कुछ इजेक्शन की दवाइयां ।

(घ) कुछ औषधियां जैसे संटोनीन बेलाडोना का ठोस सत्त आदि निर्यात की जाती हैं ।

सरकारी कर्मचारियों का सांस्कृतिक विकास

*१६७४. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा एक तीन दिन के 'मेले' का आयोजन किया गया है ;

(ख) यदि हां तो, उस मेला के व्यय को किस प्रकार पूरा किया गया है ; और

(ग) क्या यही सुविधा अन्य मंत्रालय को भी दी जायेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) टिकिट बेच कर ।

(ग) मेले का आयोजन करने के लिये गृह मंत्रालय को सरकार द्वारा कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई थी । प्रत्येक मंत्रालय को स्वयं यह निश्चय करना चाहिये कि उस के कर्मचारियों के लिये इसी प्रकार का कोई मेला आयोजित किया जाना चाहिये या नहीं ।

रक्षा कमचारियों की मांगें

*१६७५. **श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : श्री गिडवानी :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के रक्षा कर्मचारियों ने यह धमकी दी है कि यदि ३१ दिसम्बर, १९५४ से पहले उन की शिकायतों को किसी न्यायाधिकरण के विचारार्थ सौंपे जाने की मांग को पूरा न किया गया तो वे हड़ताल कर देंगे ;

(ख) यदि हां तो उन की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन की न्यायाधिकरण के नियुक्त किया जाने की मांग के मारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां । अखिल भारतीय रक्षा-कर्मचारी फेडरेशन ने उन की शिकायतों को दूर करने के लिये ३१ दिसम्बर, १९५४ तक एक न्यायाधिकरण के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार से अभ्यावेदन किया है।

(ख) उन की मुख्य मांगे यह हैं :

(१) कल्यानवाला समिति के एक सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम् द्वारा दिये गये सभी सुझावों का कार्यान्वित किया जाना ।

(२) १ अगस्त, १९४९ से पहले समस्त रक्षा कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं को ज्येष्ठता आदि के हेतु गणना में शामिल किया जाये ; और

(३) स्थायित्व ।

(ग) यह तय किया गया है कि जनवरी १९५५ की किसी उचित तिथि को सरकार तथा फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच फेडरेशन की मांगों पर बातचीत की जायगी।

विदेशी धर्मप्रचारक

*१६७६. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी अनुदानों को भोगने वाली विदेश धर्मप्रचार कों मिशनरियों) की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन को और क्या अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ;

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख), इस प्रकार का कोई अनुदान अथवा कोई अन्य विशेष सुविधायें विदेशी धर्मप्रचारकों (मिशनरियों) को नहीं दी जाती हैं । कुछ विशेष उद्देश्यों के लिये कुछ चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं। विदेशी धर्मप्रचारकों (मिशनरियों) द्वारा चलाई जा रही शिक्षा तथा चिकित्सा संस्थाओं को राज्य सरकारें अनुदान दे रही हैं या नहीं इस की सूचना प्राप्त नहीं है ।

जनगणना

*१६७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान व्यावहारिक सांख्यिकीय संस्थाकलकत्ता द्वारा प्रकाशित "बिहार जनगणना १९११-१९५१ के भाषा सम्बन्धी तालिका के सम्बन्ध में टिप्पणी" नामक पुस्तिका की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस पुस्तिका में बताई गई असंगतियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) हां ।

(ख) सरकार द्वारा किसी कार्यवाही के किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

भारत के भूपरिमास विभाग के कर्मचारी

*१६७८. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्य यह सच है कि भारत का भूपरिमाप विभाग (सर्वे आफ इंडिया) के कर्मचारियों को विभागीय अवकाश के समय उन के वेतन के आधे के बराबर भत्ता दिया जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): जी हां । श्रेणी ३ के कुछ वर्गों के कर्मचारियों को, जैसे ट्रक ड्राइवरों, जीप ड्राइवरों इत्यादि को तथा भारत सर्वेक्षण विभाग की श्रेणी ४ की पदाली में रखे गय सलासियों को, जिन की सेवायें उस समय आवश्यक नहीं होती हैं जब कि क्षेत्र सम्बन्धी कार्य बन्द हो जाता है (मई से अक्टूबर तक), विभागीय अवकाश दिया जाता है । यह अवकाश उस अवकाश वतन पर दिया जाता है जो उन के वेतन से आधे से अधिक न हो । और जिसे छट्टी देने वाला अफसर उपयुक्त समझे ।

लेखा-परीक्षा विभाग में भर्ती

*१६७९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लेखना परीक्षा विभाग में निम्न प्रशासनिक पदों के लिय की जा रही सीधी भर्ती (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्रणी १ के लिये की गयी सीधी भर्ती के अतिरिक्त) उन वर्तमान कर्मचारियों के प्रतिकूल की जा रही है जिन्होंने पदोन्नति के लिये अपेक्षित वर्षों तक सेवा की है और विभागीय परीक्षायें भी पास की हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग में कोई "निम्न प्रशासनिक पद" नहीं हैं । श्रेणी तीन में निरीक्षणिक पद हैं जिन पर नियुक्ति उन कर्मचारियों की पदोन्नति कर के की जाती है जो निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर लेते हैं । जिन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया है उन सभी को निरीक्षिक पदों पर पदोन्नति कर दी गई है । उत्तीण व्यक्तियों की भारी कमी को पूरा करने के लिये ही मुख्यतया निम्न लेखा सेवा में शिक्षाधीनों की सीधी भर्ती करनी पड़ी थी ।

आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा का मध्यम

*१६८०. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या आदिम जाति क्षेत्रों में बुनियादी स्कूलों में आदिम जाति के बालक की मातृभाषा को ही, जैसा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है, शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक आदिम जाति के बालक की मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ६६]**

कृत्रिम वर्षा

*१६८१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २५ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या ९२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निदेश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वैज्ञानिकों का चुनाव अब कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह आस्ट्रेलिया को रवाना हो गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). एक रेडियो फिजिसिस्ट को आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुन लिया गया है और उसे शीघ्र ही वहां भेजा जायेगा। दूसरे वैज्ञानिक को अभी तक चुना नहीं गया है।

अखिल भारतीय नैतिक तथा सामाजिक आरोग्य विज्ञान परिषद

*१६८२. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय नैतिक तथा सामाजिक आरोग्य विज्ञान परिषद् ने युवकों को यौन सम्बन्धी शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार के विचारार्थ कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बाल अपचार

*१६८३. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और दूर पूर्व में अपराध तथा बाल अपचार के विषय में गवेषणा कार्य करने तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के हेतु कोई प्रादेशिक विद्यालय स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस विद्यालय के व्यय (आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक) को कौन वहन करेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). सरकार को भारत में ऐसा कोई विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ज्वार-भाटा बताने वाली मशीन

*१६८४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सर्वेक्षण की ज्वार-भाटा सम्बन्धी शाखा ने ज्वार भाटा बताने वाली किसी नई मशीन का निर्माण किया है ;

(ख) क्या पुरानी मशीन अब भी काम कर रही है और क्या उस का काम सन्तोषजनक है ; और

(ग) क्या किडरपुर में रखे गये ज्वार-भाटा सम्बन्धी अभिलेखों की जांच की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) पुरानी मशीन का प्रयोग द्वितीय श्रेणी के पत्तनों में ज्वार-भाटा बताने के लिये किया जा रहा है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

मान-चित्र प्रकाशन कार्यालय

*१६८५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** देहरादून में भारत के सर्वेक्षण के मानचित्र प्रकाशन कार्यालय के श्रेणी ४ के कर्मचारियों सम्बन्धी १४ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई निश्चय किया है ; यदि हां, तो वह निश्चय क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणामंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो श्रेणी ४ के कर्मचारियों के अस्थायी सेवा काल को, उन्हें पक्का करने के प्रयोजनार्थ, कम करने के बारे में है ।

आदिम जातियों के युवकों का प्रशिक्षण

*१६८६ **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जैसे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में उल्लिखित है, क्या आदिम जातियों के शिक्षित युवकों में से सामुदायिक परियोजनाओं के संयोजकों और अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और वे किन राज्यों के हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्रता से सभा पटल पर रखी जायेगी ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*१६८७ **श्री एन० एस० बोरकर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के हेतु राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के लिये निश्चित राशि में से मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने यह राशि किस ढंग से खर्च की है ;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया है और उन्हें किस प्रकार का रोजगार दिया गया है ;

(घ) अनुसूचित जातियों के कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया है और उन्हें किस प्रकार का रोजगार दिया गया है ; और

(ङ) कितने भूतपूर्व सैनिकों को काश्तकारी के लिये मुफ्त भूमि मिली, और उन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) ८०० रुपये १९५१ से ले कर ।

(ख) यह राशि आठ भूतपूर्व सैनिकों को व्यवसायिक शिल्पिक धंधों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय छात्रवृत्तियां देने पर व्यय की गई थीं ;

(ग) और (घ). १९५१ से ले कर मध्य प्रदेश के १,२५८ भूतपूर्व सैनिकों का इस प्रकार पुनर्वास हुआ है :

(१) व्यक्तिगत रूप से भूमि पर बसाना	६०
(२) सरकारी, गैरसरकारी सेवाओं में नियुक्ति	१,१९७
(३) व्यावसायिक शिल्पिक प्रशिक्षण	१
कुल	१,२५८

यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन में से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ।

(ङ) साठ । यह जानकारी उपलब्ध नहीं हैं कि इन में से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ।

आबू रोड पर चूने के पत्थर का क्षेत्र

९७९. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आबू रोड़ पर चने के पत्थर का सारा क्षेत्र रासायनिक प्रयोजनों के लिये पट्टे पर दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक यह प्रयोजन कहां तक पूरा हुआ है ; और

(ग) वहां मिलने वाले चूने के पत्थर के रासायनिक विश्लेषण के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

अफीम की खपत

९८०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में भारत में अफीम की कुल कितनी खपत हुई ; और

(ख) उक्त काल में औषधि-निर्माण के लिये विदेशी मंडियों में निर्यात की गई अफीम से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) वर्ष १९५३-५४ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को २.५५८ मन ५ सेर ८ छटांक अफीम भेजी थी ।

इस का अधिकतर भाग खाने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं द्वारा लोगों में बेचने के लिये था ।

राज्य सरकारें औषधियां बनाने वालों को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अफीम देती हैं । इन में से प्रत्येक हेतु से वास्तव में उपभोग की गई अफीम की मात्राओं के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है ।

एक विशेष प्रकार की अफीम, जिसे "औषधियों की अफीम" कहा जाता है, स्वयं भारत सरकार औषधियां बनाने वालों को देती है । १९५३-५४ में दी गई औषधियों की अफीम के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वर्ष १९५३-५४ में विदेशी मंड़ियों को अफीम का निर्यात करने पर कुल १,१६,५२,५२० रुपये वसूल हुए थे ।

विवाह विच्छेद

९८१. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी जातियों में मद्रास और बम्बई में १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में, अलग अलग, परस्पर असौमनस्य और बहू विवाह के आधारों पर कितने विवाह-विच्छेद हुए ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विस्व स) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उचित समय में वह सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

भुतपूर्व अपराधियों का पुनर्वास

९८२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भूतपूर्व अपराधियों के पुनर्वास के लिये संस्थायें विद्यमान हैं ; और

(ख) १९५३-५४ में इस संस्थाओं ने कितने अपराधियों के पुनर्वास में सहायता दी ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

कामवेल्थ ट्रस्ट लिमिटेड

९८३. **श्री एच० एन मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीकट का कामनवेल्थ ट्रस्ट लिमिटेड, मलबर तट पर कुछ जर्मन औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थापनाओं का न्यासधारी है ;

(ख) क्या देश में शत्रुओं की सारी सम्पत्ति के वैध अभिरक्षक के रूप में भारत सरकार का कामनवैल्थ ट्रस्ट लिमिटेड के प्रबन्ध तथा संचालन में कोई हाथ है ;

(ग) सार्थ के वर्तमान विर्देशक कौन हैं ;

(घ) भारत सरकार ने किन शर्तों के अधीन जर्मनी के पहले हित ट्रस्ट को सौंपे थे ;

(ङ) क्या इस ट्रस्ट की आय बांटने अथवा लाभ को विदेश भेजने पर भारत सरकार का नियंत्रण है । यदि हां, तो वह नियंत्रण किस प्रकार का है ;

(च) १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व के समय में विदेशों को लाभ इत्यादि की कितनी राशि भेजी गई और १५ अगस्त, १९४७ से ले कर अब तक प्रत्येक वर्ष कितनी राशि भेजी गई ; और

(छ) क्या यह बात भारत सरकार के ध्यान में आई है कि गत तीस वर्ष में कामनवेल्थ ट्रस्ट, लिमिटेड ने भारत में ट्रस्ट (न्यास) सम्पत्ति से प्राप्त किये गये लाभ से ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट पर बड़ा भारी कारबार स्थापित कर लिया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (छ). जानकारी एकत्र की जा रही है । एक विवरण सभा-पटल परयथा समय रखा जायेगा ।

सेना के व्यायाम

९८४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कमाण्ड, दिल्ली क्षेत्र ने १९५३ या १९५४ के दौरान में, बिना सैन्य दलों के, विशेष प्रकार के व्यायाम किये थे, जिन का नाम उन्होंने "सीख मरो" नाम दिया गया था ; तथा

(ख) इन व्यायामों को यह नाम देने का वास्तविक महत्त्व क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). फरवरी, १९५३ में, वैस्टर्न कमाण्ड में एक गुल्म-संकेतक (सिग्नल रेजिमेंट) ने एक व्यायाम किया था जिसे 'सीख मरो' नाम दिया गया था और इस का उच्चारण "सींख मरो' है । यह एक रीति है कि सेवाओं द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यायाम को कोई-न-कोई गुप्त नाम अवश्य दिया जाता है । और इस व्यायाम के इस विशेष नाम का महत्त्व यह था कि व्यायाम में भाग लेने वाले, यदि मर भी जायें तो सीख कर मर जायें ।

मोतियों पर सीमा शुल्क

९८५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२, १९५३, तथा १९५४ के वर्षों के दौरान, बम्बई के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सच्चे मोतियों के कितने पार्सल रोके गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में, कितने व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है और इस जुरमाने की कुल रकम कितनी है ; तथा

(ग) कितने मामलों के सम्बन्ध में जुर्मानों के आदेशों पर पुनः विचार किया गया है और उन के जुर्माने कम कर दिये गये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १९५१, १९५२, १९५३ तथा १९५४ (३१ अक्टूबरस तक) वर्षों के दौरान में, असली मोतियों के क्रमशः ४,१८,६ तथा ५ पार्सल रोके गये ।

(ख) इस कालावधि में अपराधियों की कुल संख्या ६, और उस पर लगाया गया कुल जुर्माना ४,४३१ रुपये था ?

(ग) किसी का भी नहीं ।

युद्ध म भाग न लेने नामांकित कर्मचारी

९८६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि युद्ध में भाग न लेने वाले नामांकित कर्मचारियों को वही मूल वेतन दिया जा रहा है जिस पर वे भर्ती हुए थे, और वार्षिक वृद्धि अथवा किसी उच्चतर श्रेणी के लिये उन्नति का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि युद्ध में भाग न लेने वाले इन कर्मचारियों को कोई मंहगाई का भत्ता भी नहीं दिया जाता ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) युद्ध में भाग न लेने वाले नामांकित कर्मचारियों का वेतन नई वेतन संहिता के अनुसार निर्धारित किया गया है, और इस वेतन का स्तर २०–१/२–२५ रुपये प्रति मास है। (अर्थात् प्रति दो वर्षों के उपरान्त एक रुपये की वृद्धि होती है) और फिर १५ और २० वर्ष की नौकरी के उपरान्त ढाई रुपये प्रति मास की वृद्धि होगी । कुछेक ऐसे वर्गों को, जैसे कि भोजनालय के रसोइयों ने, जिन के सामने वेतन के नये स्तर को स्वीकार करने का विकल्प रखा गया था, उसे स्वीकार नहीं किया था, और इलेक्ट्रीकल एंड मेकेनीकल इंजीनियर्ज कोर में काम करने वाले युद्ध में भाग न लेने वाले नामांकित कर्मचारियों को, एक निश्चित दर के अनुसार वेतन मिलता है । ई० एम० ई० में काम करने वाले युद्ध में भाग न लेने वाले नामांकित दस्तकारों को दो रुपये प्रति मास के हिसाब से वेतन में वृद्धि तथा ६ रुपये प्रति मास के हिसाब से युद्ध सेवा वेतन वृद्धि मंजूर की गयी है, और उन्हें उन के मूल-वेतन के अतिरिक्त एक रुपया प्रतिमास के हिसाब से विलम्बित वेतन प्राप्त करने का अधिकार है । यदि, उच्चतर श्रेणियों में स्थान खाली हों, तो वे उन स्थानों को भी प्राप्त करने के पात्र हैं । अन्य श्रेणियों के युद्ध में भाग न लेने वाले नामांकित कर्मचारी जिन का वेतन नई वेतन-संहिता के अनुसार नहीं हैं, वे भी उक्त दरों के अनुसार मूल-वेतन में वृद्धि तथा विलम्बित वेतन प्राप्त करने के पात्र हैं ; और यदि उन्होंने गत-युद्ध काल में सेवा की है और बिना किसी प्रकार के विलोप के निरन्तर सेवा करते रहे हैं, तो उन्हें युद्ध-सेवा-वेतन वृद्धि प्राप्त करने का भी अधिकार है ।

(ख) युद्ध में भाग न लेने वाले नामांकित कर्मचारियों को, नव-वेतन-संहिता के अनुसार सैनिक कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरों के अनुसार, महंगाई का भत्ता दिया जाता है। क्योंकि सैनिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, नव-वेतन-संहिता के द्वारा चलाये गये वेतन की नई दर के अनुसार ही दिया गया है, इसलिये यह, युद्ध में भाग न लेने वाले उन नामांकित कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जो कि उस पुराने स्तर के अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं।

हथियारों के लाइसैंस

९८७ **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के बनने से पहले वहां कितने लोगों के पास हथियारों के लाइसैंस थे ; और

(ख) आजकल वहां कितने लोगों के हेपास हथियारों के लाइसैंस हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

त्रिपुरा में गैरसकारी स्कूल

९८८. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला (त्रिपुरा) के गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की ओर से नवम्बर, १९५४ में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हुआ है, तो उस अभ्यावेदन में किस प्रकार की मांगें प्रस्तुत की गयी हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने, अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिकगवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ज्वार भाटा सम्बन्धी भविष्यवाणी

९८९. **श्री एस० सी० साबन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ तथा १९५४ के दौरान देहरादून के ज्वारा-भाटा बताने वाली मशीन के द्वारा, की गई भविष्यवाणी के फलस्वरूप नौवहन के कितने भावी संकट टल गए ; तथा

(ख) क्या यह मशीन तट से दूर **की** सेवा तथा प्रतिध्वनि के अध्ययन में भी किसी प्रकार से सहायक सिद्ध हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ज्वारा भाटा बताने वाली मशीन, के द्वारा, नौवहन के जितने संकट टल गये हैं, उन की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(ख) जी, हां।

उच्चतम न्यायालय में सरकारी मामले

९९०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ तथा १९५४-५५ के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से, उच्चतम न्यायालय में कितने मामले चलाये गये हैं ; तथा

(ख) केन्द्रीय सरकार का, अपने ऐसे मामलों पर कितना खर्च आया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) (१) पहली अप्रैल, १९५३ से ३१ मार्च, १९५४ तक — १५९१।

(२) पहली अप्रैल, १९५४ से १५ दिसम्बर, १९५४ तक — ५७८.

(इस में विशेष अवकाश याचिकायें सम्मिलित नहीं हैं)

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

चूने का पत्थर

९९१. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य के तिरूची जिले के पेरम्बलर तथा उदयार पलयम तालूको में, बढ़िया किस्म के चूने के पत्थर तथा सफेद मिट्टी की खानें खोदी जा रही हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वहां पर प्रति-वर्ष कुल कितना चूने का पत्थर तथा सफेद मिट्टी खोदी जाती है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). उपलब्ध जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६७].**

भारत के भू-परिमाप विभाग में भर्ती

९९२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भू-परिमाप द्वारा, क्षेत्र-परिमाप कार्य के लिये १९५४ में कोई नयी भर्ती की गयी थी ;

(ख) क्या क्षेत्रीय काम की अवधि की पूर्ति के उपरान्त कर्मचारी निकाले गये हैं ; तथा

(ग) क्या उन निर्वाहित कर्मचारियों को, आगामी क्षेत्रीय काम के लिये भर्ती करते समय, प्राथमिकता दी जायेगी ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). जी, हां ।

दिल्ली पुलिस

९९३. **श्री वेलायुधन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नयी दिल्ली में शीतकाल में पुलिस-दल को कोई शीत-कालीन वर्दियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि दी जाती हैं, तो क्या वे वर्दियां ऊनी कपड़ों की होती हैं ; तथा

(ग) क्या शीत कालीन वर्दियों के संभरण के बारे में पुलिस से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क). जी, हां ।

(ख) शीतकालीन वर्दी में निम्न-लिखित वस्तुयें सम्मिलित हैं :—

(१) ऊनी बारान कोट, जरसी, होजे टाप, टांग पर बांधनें की पट्टियां तथा जुराबें ; और

(२) मोटा खाकी ड्रिल ब्लौज तथा निकर-बौकरर्ज अथवा पाजामें (ग्रीष्मकालीन वर्दी की झीनी कमीजों तथा निकरों के स्थान पर) ।

(ग) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

सामान्य भविष्य निधि

९९४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय हैं जिन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने की अनुमति है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : संचार मंत्रालय के अधीन डाक व तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि में अंशदान देने की अनुमति है ।

GIPD—N.S.H—603 L.S.D 17-8-55—

Friday, 24 December 1954

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Furnished 18/X/52

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
ारांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८१
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५५

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–९०
डा० कृष्णस्वामी	१६९०–९४
श्री चट्टोपाध्याय	१६९४–९७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६९७–९८
श्री मूलचन्द दुबे	१६९८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई . . १८६३–६४,	१८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा . . .	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह .	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१८७८
श्री के० के० देसाई . .	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड . . .	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना .	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र— .	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम . . .	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण .	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . . २७५७–६३

श्रीमती उमा नेहरू . . . २७६३

श्री टेक चन्द . . . २७६३

वाद-विवाद स्थगित २७६३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २६४ख का रखा जाना)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४

डा० काटजू २७६५–६६

वाद-विवाद स्थगित २७६७

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त २७६७–६९

डा० एन० बी० खरे २७६७–६८, २७६९

श्री के० के० देसाई २७६८–६९

वाद-विवाद स्थगित २७६९

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०

सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८

राजकुमारी अमृत कौर २७७६–७७, २७७८–७९

वाद-विवाद स्थगित २७८०

निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०

श्री डी० सी० शर्मा २७८०–८२, २७८३–८६

श्री के० के० देसाई २७८२–८३

श्री आर० के० चौधरी २७८७

राज्य-सभा से सन्देश २७८८

हिन्दू विवाह विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

605 LSD

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-२८ म० पू०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मध्य भारत और राजस्थान में अफ़ीम की खेती

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : नियम २१५ के अधीन मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अफीम की खेती को कम करने के अन्तर्राष्ट्रीय वचनों के विरुद्ध मध्यभारत की सुसनेर आगर तहसीलों में गत सप्ताह अफीम उगाने के परमिट देकर, और विशेष रूप से उस क्षेत्र को अफ़ीम की खेती के लिये बन्द कर देने के पश्चात्, और जिस के कारण राजस्थान के कपासिन और रश्मि तहसीलों के, जहां इसी वर्ष भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नीति को स्वीकार करने के आधार पर अफीम की खेती बन्द की गई थी, अफीम उगाने वालों में और अधिक असन्तोष पैदा कर के जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है" ।

राजस्व तथा रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मुझे यह सूचना अभी प्राप्त हुई है और दो दिन पूर्व मुझे इस विषय में माननीय मंत्री का एक पत्र भी मिला था। मैं उन का यह आरोप नहीं मान सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय वचनों का उल्लंघन किया गया है। ये वचन अफीम के उपभोग को १९५९ तक बन्द कर देने के बारे में थे। इसलिये हम अफीम की खेती को भी कम कर रहे हैं। इस वर्ष १५,००० एकड़ भूमि में अफीम की खेती होती है। मध्य भारत सरकार और उस के वित्त मंत्री की विशेष प्रार्थना पर उस क्षेत्र में केवल २०० एकड़ों, में अफीम की खेती की अनुमति दी गई है और यह इस बात को ध्यान में रख कर दी गई है कि इस क्षेत्र में कोई और नक़दी की (वाणिज्यिक) फसल नहीं उगाई जा सकती। मैं नहीं समझ सका कि इस से क्या गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जब कपासिन और रश्मि तहसीलों के कृषकों ने ३०० एकड़ों के लिये अनुमति मांगी थी, तो उन्हें कैसे इन्कार कर दिया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं अपनी कठिनाई सभा के सामने रखना चाहता हूं । प्रतिदिन मुझ सदस्यों से ये प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं कि अमुक क्षेत्रों में अफीम की खेती की अनुमति दी जाये । मैं नहीं बता सकता कि एक क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुमति दी गई है, तो दूसरे में क्यों नहीं दी गई । इस मामले का सम्बन्ध मादक द्रव्यों के आयुक्त से है और मैं इस के विस्तार में नहीं जा सकता । तथापि मैं माननीय सदस्य के पत्र का उचित समय पर उत्तर दूंगा ।

पटल पर रखे गए पत्र

रेलवे के विनियोग तथा अन्य लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—५२७/५४]**,

(२) भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्यौरेवार विनियोग लेखे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ५२८/५४]**.

(३) भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), संतुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—५२९/५४]**

(४) १९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और संतुलन पत्र और कोयले आदि की पूरी लागत के विवरण । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—५३०/५४]**.

(५) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—५३१/५४]**.

केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं १४ दिसम्बर, १९५४ को संघ के सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभापतित्व में हुई केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये निश्चय के बारे में विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या, ६८]**.

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : ८ दिसम्बर, १९५४ को श्री भागवत झा आज़ाद ने तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को विदित है कि वह सेंघा नमक "जिस के लिये एक नेपाली व्यापारी को १,००० डिब्बों का लाइसेंस दिया गया था, रक्सौल से, जहां से यह आगे नहीं गया, पुनः भारत में आयात कर दिया गया है" । मैं ने यह उत्तर दिया था कि यह सत्य नहीं है, जिस पर श्री आज़ाद ने कहा था कि मेरी जानकारी गलत है ।

मैं ने इस मामले की बड़ी सावधानी से जांच की है और इस विषय सम्बन्धी सब पत्र पढ़े हैं । सारा नमक जोकि १,००० डिब्बे नहीं था बल्कि ५५ डिब्बे था । किसी नेपाली व्यापारी को नहीं बेचा गया था, बल्कि नेपाल सरकार को बेचा गया था और

शुद्धि

वह भी उस की विशेष प्रार्थना पर, और इस शर्त के अधीन कि यह नमक भारत में वापस नहीं लाया जायेगा । हमारा काम यह है कि नमक रक्सौल में हवाले कर दिया जाये । वहां से नेपाल सरकार इसे काठमांडू ले जायेगी, जहां हमारे दूतावास को बताना होगा कि नमक वास्तव में काठमांडू पहुंच चुका है । प्रलेख में इस सम्बन्ध में और भी शर्तें हैं कि नमक के भारत में पुनः आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । अतः यह स्पष्ट है कि पुनः आयात रोकने के लिये सरकार ने पूरी सावधानी से काम लिया और यह किसी निजी व्यापारी को नहीं, बल्कि नेपाल सरकार को बेचा गया था । अब तक केवल दो डिब्बों का माल उस ने लिया है, शेष ५३ डिब्बे हमारे पास हैं । इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन दो डिब्बों का कुछ माल भारत में वापस आ गया है । तीन निकटवर्ती राज्यों ने ऐसा कोई समाचार नहीं दिया । चूंकि माननीय सदस्य ने इतना गम्भीर आरोप लगाया था, इसलिये मैं ने सभा को ठीक ठीक स्थिति से अवगत कराना उचित समझा है ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सारे नमक को ले जाने के सम्बन्ध में एक दिल्ली न्यायालय ने विरोधाज्ञा दी थी, जोकि अभी तक वापस नहीं ली गई ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने में संभवतः ६ वर्ष लगेंगे ।

"वर्ष" का शब्द मैं "मास" के स्थान पर कह गया था । अब मैं इस में शुद्धि कर रहा हूं ।

प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूतियों के लेन देन के व्यापार का विनियमन कर के, छूट को बन्द कर के और उन से सम्बन्धित कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध कर के उनका अवांछनीय लेन-देन रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--समाप्त

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : रिपोर्ट के पृष्ठ १३७ पर पैरा ८३ में ग्रामों में बिजली लगाने के विषय का उल्लेख है । इस में केवल १२ पंक्तियां हैं । किन्तु मेरे विचार में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, जिस की ओर योजना आयोग को ध्यान देना चाहिये ।

तथ्य यह है कि भारत के ५,५०,००० ग्रामों में केवल ३,००० में बिजली की सुविधा दी गई है । योजना आयोग ने कहा है कि ग्रामों के लिये और सिंचाई के लिये बहुत सी बिजली उपलब्ध कराई जायेगी । किन्तु मेरा निवेदन है कि इस ओर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है । यह आवश्यक है कि एक ऐसी व्यापक योजना बनाई जाये जिस के फलस्वरूप धीरे धीरे सब ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा सके । ऐसा करने से न

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

केवल खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग भी शुरू किये जा सकेंगे ।

दूसरी बात जिस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि इस रिपोर्ट में स्थानीय विकास योजनाओं का उल्लेख तक नहीं किया गया । इन योजनाओं से लोगों पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और लोगों ने अपने सब झगड़े भूल कर इन्हें सफल बनाने के लिये योग दिया है । हमें इस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से पूरा लाभ उठाना चाहिये । पहले इन योजनाओं के लिये १० करोड़ रुपया दिया गया था । किन्तु खेद है कि बाद में इन के लिये कोई रुपया नहीं दिया गया । मुझे विश्वास है कि यदि और धन दिया जाये तो सब ग्राम पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के काम में भाग लेने के लिये तैयार होंगे ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नंदा) : वाद-विवाद के दौरान बहुत से उपयोगी सुझाव दिये गये हैं और बहुत सी बातें कही गई हैं, जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता हूं । इतने थोड़े समय में मैं उन सब बातों का उत्तर नहीं दे सकता; मैं केवल कुछ बातों को ही लूंगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि उन सब बातों और सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह ने मेरे प्रति जो सहानुभूति दिखाई है, मैं उस के लिये उन का आभारी हूं । जब मैंने "नम्र तथा आज्ञाकारी" शब्द सुने तो मुझे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई, जबकि मेरे ऊपर मजदूरों के आन्दोलन में अत्यन्त उग्र होने का आरोप लगाया जाता था । १९२३ में मैं ने अहमदाबाद में समस्त वस्त्र निर्माण उद्योग में एक लम्बी सामान्य हड़ताल करवा दी थी । परन्तु अब मैं ने कुछ सुधार कर लिया है । इस योजना के निर्माण में मेरा भी हिस्सा है । मैं इस योजना की सफलता चाहता हूं । यह राष्ट्र की योजना है और राष्ट्र के लिये है । इस के लिये समस्त राष्ट्र के सहयोग की आवश्यकता है, इसलिये मैं सहयोग चाहता हूं और झगड़ा नहीं चाहता ।

मुझे उन बहुत सी अच्छी बातों का, जिनके द्वारा इस अवधि में सफलता मिली है, गर्व है । परन्तु में त्रुटियों को भी अनुभव करता हूं । हमें प्रत्येक बात को ठीक ढंग से सोचना चाहिये और सचाई का वर्णन करना चाहिये । जब हम अपनी सफलताओं का वर्णन करते हैं तो हमें घमण्डी बताया जाता है और जब हम अपनी त्रुटियों का वर्णन करते हैं तो कहा जाता है कि "इस से विश्वास उत्पन्न नहीं होगा" । जितना विश्वास सचाई द्वारा उत्पन्न हो सकता है, उतना अन्य किसी उपाय द्वारा नहीं हो सकता । हमारी त्रुटियों की ओर अक्षरशः ध्यान दिया जाता है, इसी प्रकार हमारी प्रगति पर भी विश्वास करना चाहिये । जब अन्य तर्क और तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो हम अपने निर्णय में संशोधन कर सकते हैं । किन्तु उत्तरदायी सदस्यों की ओर से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते । हमारे पास कृषि-उत्पादन की वृद्धि के आंकड़े हैं, किन्तु इसे भी अच्छे मौसम का परिणाम बताया जाता है । हमें लाभकारी एवं अच्छे मौसम के लिये भगवान और प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिये ।

बुरे मौसम और बुरी फसलों के कारण जब खुराक की कमी हो गई थी तो सरकार को दोष दिया जाता था । अब प्रकृति ने अधिक सहयोग दिया है । हम ने योजना बनाते समय इस बात का अनुमान लगाया था कि इन के द्वारा किस मात्रा तक उत्पादन-

वृद्धि होगी । जब हम कहते हैं कि ५० प्रतिशत वृद्धि इस योजना के प्रयत्नों का फल है, तो यह बात कतिपय अनुमानों और आंकड़ों पर आधारित होती है । उत्पादन में बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के द्वारा २० लाख टन, और कृषि योग्य बनाई गई भूमि के द्वारा ३ लाख टन और अन्य सुधारों द्वारा १० लाख टन, और उर्वरक तथा खादों आदि के उपयोग द्वारा ८ लाख टन, अच्छे बीजों आदि के उपयोग द्वारा ५ लाख टन, सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में किये गये कार्यों द्वारा ४ लाख टन, इस प्रकार कुल मिला कर ५० लाख टन वृद्धि हुई है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : आरोप यह है कि जितना धन खर्च हुआ है, उतना विकास या उत्पादन नहीं हुआ है ।

श्री नन्दा : मैं इन बातों में पड़ कर समय नष्ट नहीं करना चाहता । मैं ने सब सच बातें कही हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि भारत में एक निश्चित काल के अन्दर प्राप्त किये गये लक्ष्य से अधिक औद्योगिक उत्पादन नहीं हुआ है । उन्हों ने इस की पुष्टि में ईस्टर्न इकानोमिस्ट में प्रकाशित आंकड़ों का उल्लेख किया है । परन्तु ईस्टर्न इकानोमिस्ट के आंकड़ों पर शत प्रतिशत विश्वास करना भी ठीक नहीं है । हमें वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों को देखना चाहिये । यदि १९४६ में १०० थे, तो १९५० में १०५, १९५१ में ११७, १९५२ में १२९, १९५३ में १३५ और जुलाई १९५४ में १४९ थे । योजना की प्रगति के सम्बन्ध में इस तर्क के प्रभाव का अनुमान लगाना सरल नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : जब आप अधिकतम उत्पादन वर्ष को नहीं लेते, तो यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि हमारे प्रयत्नों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

श्री नन्दा : कच्चे माल आदि के अभाव के कारण पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता था । योजना का उद्देश्य था महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये कच्चे माल का उत्पादन ।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं । मैं नहीं समझ सकता कि आंकड़ों में कैसे हेरफेर किया जा सकता है । माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रगति-प्रतिवेदन के अनुसार प्रति व्यक्ति की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है । उन्हों ने यह कारण बताये हैं कि (१) इस ने १९४८-४९ और १९५२-५३ के बीच हुई जनसंख्या की वृद्धि का हिसाब नहीं लगाया है, और (२) स्थिर भावों की तुलना नहीं की है । उन्हों ने इस के समर्थन में श्री मेघनाद साहा के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया है । वास्तव में बात यह है कि प्रति व्यक्ति शब्द के प्रयोग में यह तथ्य निहित है कि जनसंख्या की वृद्धि का हिसाब लगाया गया है । दूसरे प्रतिवेदन में कहा गया है कि ये आंकड़े स्थिर भावों से सम्बन्ध रखते हैं । स्थिर भावों में १९५१-५२ और १९५२-५३ के लिये प्रति व्यक्ति की आय का हिसाब लगाया गया है । अतः इन आंकड़ों के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति की आय के मामले में १९४८-४९ को आधार वर्ष माना गया है ।

श्री नन्दा : हम ने कुछ भी माना हो, परन्तु हम ने स्थिर भावों की दृष्टि से पुनः आंकड़ों का हिसाब लगाया है और हम ने जनसंख्या की वृद्धि को भी ध्यान में रखा है ।

उन्हों ने बेकारी के अनुमान के बारे में शिकायत की है कि वित्त मंत्री १० वर्षों

[श्री नन्दा]

के अन्दर बनाये जाने वाले नये पदों का अनुमान लगाते हुए, तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को भूल गये हैं। माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री की बात को समझने में गलती की है। वास्तव में वित्त मंत्री ने वे आंकड़े दिये हैं जिन की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्दर गिनती की जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : १० वर्ष के लिये।

श्री नन्दा : वित्त मंत्री ने कहा है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त व्यक्ति होंगे और इस में पिछले वर्ष के बकाया बेकार और आधे-बेकार व्यक्ति सम्मिलित होंगे। हम उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खपा नहीं सकते। फिर कुछ लोग बच जायेंगे और उन को तृतीय पंचवर्षीय योजना में कारोबार दिलाना होगा।

एक बात का मुझे दुख हुआ है। जब कोई वैज्ञानिक बोलता है तो वह वैज्ञानिक विषयों पर अधिकार के साथ बोलता है। वैज्ञानिक होने के नाते उसे किसी पर्यवेक्षण या किसी अनुभव के आधार पर बोलना चाहिये। माननीय वैज्ञानिक सदस्य ने कहा है कि कांग्रेस ने सिवाय सामुदायिक परियोजनाओं पर अपव्यय करने के और कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। माननीय सदस्य की यह बात ठीक हो सकती है कि बड़े उद्योगों में कुछ लापरवाही की गई है और कार्य बड़ी मन्द गति से होता रहा है। हमें इस विषय में अधिक कार्य करना चाहिये परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि जिस समय योजना बनाई गई और बांट की गई थी उस समय इस से बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता था यदि हम इसे पुनः करें तो भी प्राथमिकतायें और बांटें उसी क्रम में ही रहेंगी। उस समय की स्थिति के अनुसार यही व्यवस्था अपेक्षित थी। सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में माननीय सदस्य ने यह बात किन आधारों पर कही है। हम ने इस महान् प्रयोग पर इतना कुछ लगाया है और प्रतिवेदनों से पता चलता है कि यह देश में हो रहे अत्यन्त महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक कामों में से एक है। एक साधारण व्यक्ति भी इस कार्य को अच्छा ही समझेगा। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अधिक उत्पादन करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। यह कैसे किया जा सकता है ? केवल नारे लगाने और बातें करने से तो यह सब नहीं हो जायेगा। हमें एक ऐसी मशीनरी का निर्माण करना पड़ेगा जिस के द्वारा हम उन्हें विज्ञान के परिणाम, नवीन ज्ञान और नये तरीके बता सकें जिन्हें प्रयोग में ला कर वे कृषि में सुधार कर सकें।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

हम उन्हें सामान भेजना चाहते हैं। जब तक हम नये तथा उपयुक्त मार्ग निर्मित नहीं कर लेंगे तब तक हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वे सहयोगी आन्दोलन को बढ़ावा दें। बिना किसी की सहायता के वे यह नहीं कर सकते। हम उन का काम नहीं करना चाहते, किन्तु वे अपनी मदद स्वयं तभी करेंगे जब हम उन की सहायता करेंगे। यह कार्यपद्धति देश के एक बहुत बड़े भाग में चलाई जा रही है। थोड़े ही समय में यह समस्त देश में व्याप्त हो जायेगी। यदि माननीय सदस्य ने इन लोगों का भला सोचा होता तो कम-से-कम उन्हों ने इतना अवश्य कहा होता कि यह अच्छी बात है। हो सकता है कि उस में कुछ दोष हों, जो हटा दिये जायेंगे।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं । यह है किसानों के भाग्य के सम्बन्ध में । हमें बताया गया है कि हम शत्रुओं की तरह उन की उपेक्षा कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की सच्चाई जो दूसरे के लिये प्रार्थना करता है इसी प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं कि वह उस के लिये कितना करने को तैयार हैं ? यदि आप योजना के आंकड़ों की परीक्षा करें तो ज्ञात होगा कि बंटवारे के अनुसार ४० प्रतिशत सीधे किसान की सहायता के लिये है, दूसरा ४० प्रतिशत भी अधिकांश उस के ही लाभ के लिये है ।

एक मुख्य प्रश्न खेती के पदार्थों की दर के सम्बन्ध में उठाया गया है । हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं तथा इस पर दो मत हैं कि यदि कृषि-पदार्थों की दर तेजी से गिरे तथा यदि यह गिरावट असंतुलित हो और जारी रहे तो इस के भयंकर परिणाम हो सकते हैं यदि किसान बर्बाद हो जायेगा तो सारा देश ही बर्बाद हो जायेगा निःसन्देह हम ऐसे परिणाम पर अविचलित हो कर विचार नहीं कर सकते ।

इस पर दो प्रकार के विचार हैं । एक समय था जबकि सभी ने कहा था कि दर बहुत ऊंची हो गई है, लोग कष्ट उठा रहे हैं तथा कीमतें गिरनी चाहियें । कीमतें गिर गईं । किन्तु मूल्यों का अचानक नीचे गिर जाना तथा इस प्रकार तुल्यता बिगाड़ देना ठीक नहीं है । यदि कीमतें क्रमशः गिरें तो तुल्यता बनाये रखना सम्भव है । अर्थात् खाद्य तथा कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तनों के फलस्वरूप, निर्मित माल की कीमतें पिछड़ गई हैं, इन्हें समान करना होगा । यदि कीमतें धीरे धीरे गिरती हैं तो यह प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती है । कीमतों के अचानक गिरने से यह खाई बहुत चौड़ी हो जाती है । इसलिये यह सच है कि किन्हीं क्षेत्रों में कीमतें बहुत नीचे स्तर पर आ गई हैं निःसन्देह एक दूसरी बात भी है कि उत्पादन-वृद्धि होने पर गिरी कीमतों के कारण किसानों अथवा उगाने वालों को जो हानि होती है उस की पूर्ति अतिरिक्त आय से हो जाती है । किन्तु जो मामले मुझे याद हैं उन में कीमतों की गिरावट अधिक हो गई है, इसलिये उस के लिये कुछ किया जाना चाहिये । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सरकार अपना कर्त्तव्य समझ कर इस मुसीबत को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रही है । किस स्तर पर यह किया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है तथा जैसी स्थिति की मांग होगी उस के अनुसार निर्णय पर पुनर्विचार तथा पुनरीक्षण किया जा सकता है । किन्तु मुख्य बात यह है कि कृषि-पदार्थों के मामलों में कीमतों की आकस्मिक गिरावट को रोकना चाहिये तथा किसानों के हित में ——निःसन्देह हमें दूसरे हितों का भी ध्यान रखना चाहिये——तथा जहां तक राज्य तथा उस के संसाधन इसको इजाज़त दें——एक उपयुक्त कीमत स्थायित्व नीति अपनानी चाहिये ।

कृषि-क्षेत्र के प्रश्न से सम्बन्धित दो या तीन अन्य प्रश्न भी उठाये गये थे । न्यूनतम मजूरी क्या हो ? हम ने योजना आयोग के प्रतिवेदन में कम मजूरी वाले क्षेत्रों, बड़े फार्मों तथा उन क्षेत्रों में जो गहन विकास के लिये चुने गये, खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी है । इस सिफारिश के अनुसार कार्य किया गया । पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश, कच्छ और त्रिपुरा में पूरे राज्य के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी गई है । आसाम, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मैसूर और विन्ध्य प्रदेश में कुछ विशेष क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी गई है । आंध्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मध्य भारत त्रावनकोर-

[श्री नन्दा]

कोचीन में या तो समितियां नियुक्त कर दी गई हैं, अथवा योजना का मसविदा प्रकाशित हो गया है । इन तथ्यों से यह प्रगट होता है कि यह पर्याप्त मात्रा में क्रियान्वित की गई हैं ।

किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में दो एक बातें उठाई गई हैं--किसानों की बेदखली तथा अधिकतम मूल्य का प्रश्न । बेदखली का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तथा हमें इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत उत्सुकता रही है । माननीय सदस्य द्वारा कथित कठिनाइयां कई क्षेत्रों में पैदा हुई हैं, कुछ मामलों में स्वयं राज्यों ने कार्यवाही की है ; अन्य मामलों में योजना आयोग ने हस्तक्षेप किया तथा कार्यवाही की जा रही है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन को पंजाब आंध्र तथा अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी दे सकता हूं किन्तु इस में बहुत समय लगेगा । इस समय मैं आंध्र के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ कहूंगा । निर्देशित जमीनों से असामियों की बेदखली रोकने तथा बेदखल की गई असामियों को फिर से बसाने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया था ।

१९४७ से ही ऐसी सारी जमीनों से रैयतों तथा असामियों की बेदखली रोक दी गई है । मैं माननीय सदस्य के साथ इस पर विस्तारपूर्वक बातें कर सकता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरू) : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि इस अध्यादेश से आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं ?

श्री नन्दा : योजना आयोग ने हाल ही में आन्ध्र सरकार को लिखा है कि वह कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करे । अग्रेतर कार्यवाही के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं । निःसन्देह मैं अनधिकार चेष्टा करने वालों की बेदखली का जिक्र नहीं कर रहा हूं । यह भी करना होगा ।

पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य जानते हैं कि बेदखली को निरुत्साहित करने के लिये अधिनियम संशोधित किया जा चुका है । एक ऐसा उपबन्ध बनाया जा रहा है कि मई १९५३ से होने वाले वर्गादारों की बेदखली पर राज्य द्वारा अर्जन के लिये विचार नहीं किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि इस पर भी हजारों बेदखलियां हो रही हैं ।

श्री नन्दा : मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है । किन्तु जहां तक मैं जानता हूं, स्थिति यह है कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप ३० एकड़ से कम वाले किसी वर्गादार को बेदखली नहीं होनी चाहिये । इसी प्रकार उड़ीसा, पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, तथा मद्रास के कुछ भागों में कार्यवाही की जा चुकी है । उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तथा अन्य राज्यों में इन असामियों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार की तरकीबें की गई हैं । यह बहुत लम्बा विषय है; अतः मैं इसे विस्तारपूर्वक नहीं बता सकता ।

भूमिखण्ड की अधिकतम सीमा के संबंध में, योजना आयोग के प्रतिवेदन में एक विशिष्ट नीति बताई गई है कि अन्ततोगत्वा यह भूमिखण्ड को जोतने वाले का प्रश्न है, जो भूमि का स्वामी है । इस प्रक्रिया की कई स्थितियों पर विचार किया गया है उन में से एक यह है कि भूमि के स्वामित्व की एक सीमा होनी चाहिये । जब निर्धारित अधिकतम सीमा लागू की जायेगी तो इस नीति के कुछ परिणाम विद्यमान होंगे । यह नीति कार्यान्वित की जा चुकी है अर्थात

कुछ राज्यों में अधिकतम भूमि की सीमा निश्चित की जा चुकी है, तथा दूसरों के सम्बन्ध में योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि भूमि की सीमा निश्चित करने के लिये संगत तथ्यों को एकत्र करने की योजना को ध्यान में रख कर भूमिखण्डों की गणना की जाय । व्यावहारिक रूप में सभी राज्य इस से सहमत हैं और इस पर कार्य हो रहा है । कार्यक्रम के अनुसार यह काम अप्रैल १९५५ तक समाप्त हो जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह केवल भविष्य में अर्जन करने के लिये ही बनाई गयी है ।

श्री नन्दा : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह भावी अर्जन के लिये नहीं बल्कि वर्तमान भूमि के अर्जन के लिये हैं । भविष्य में अर्जन का मामला दूसरा है तथा उस पर भी कार्यवाही की जा रही है । सीमित समय को ध्यान में रखते हुए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बारे में था । वित्तीय नीति में इस पर विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है तथा हमारे नेता ने स्थिति की पूर्ण व्याख्या कर दी है । उस ने उस के प्रत्येक तत्व को उपयुक्त स्थान दिया तथा अनुपात के अनुसार रखा, किन्तु प्रश्न फिर उभड़ आया । एक माननीय सदस्य ने इस का जिक्र किया यद्यपि उन्हें उस व्याख्या से संतुष्ट हो जाना चाहिये था । बजाय इस के एक माननीय सदस्य ने इस का मजाक बनाया कि यदि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो समाजवाद किस प्रकार हो सकता है । माननीय सदस्य भूल गये कि उसी दिन इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी—नीति यह थी कि वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तब तक न किया जाय जब तक, सीमित संसाधनों से भावी प्रसार के सम्बन्ध में बहुत कार्य न किया जाय; लेकिन अब भी हमारा औद्योगिक नीति संकल्प यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान उद्योगों के सम्बन्ध में भी यदि सार्वजनिक हित, तथा सामाजिक प्रयोजन के लिये राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता हो तो राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय, किन्तु राष्ट्रीयकरण के लिये ही राष्ट्रीयकरण न हो । उस का एक स्पष्ट, निश्चित सार्वजनिक प्रयोजन होना चाहिये जो अन्य प्रकार से सम्भव नहीं है । उन्हीं माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि बिना पूर्ण राष्ट्रीयकरण के सामाजीकरण किस प्रकार सम्भव हैं । प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि किसी प्रकार का निजी क्षेत्र अनिवार्य है अर्थात् उन के अनुसार निजी क्षेत्र अनिवार्य है तथा पूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना समाजवाद हो सकता है, अतः इस प्रकार सामाजीकरण होगा ही नहीं । यह एक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हैं । हमारा दृष्टिकोण कुछ लक्ष्यों से संबंधित है हमारा दृष्टिकोण समानता, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोज़गार, जीवन निर्वाह के उच्च स्तर प्राप्त करना है । प्रत्येक बात का सम्बन्ध उन लक्ष्यों से होगा । हम इस समस्या का एक सूत्रबद्ध समाधान ढूंढेंगे । यदि उस सूत्रबद्ध समाधान में गैर-सरकारी उद्योग का कोई भाग हो, जैसा कि हमारा विश्वास है तो स्वाधीन गैर-सरकारी उद्योग का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । परन्तु यह योजना का एक भाग है । इसे उन्हीं उद्देश्यों के लिये कार्य करना होगा । इसे एक बार सम्मिलित करने पर यह सरकार और जनता का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे देखें कि गैर-सरकारी उद्योग, उन सीमाओं में, प्रभावी रूप से कार्य करता है ।

हम से पूछा गया है कि हम ने गैर-सरकारी उद्योग को सरकारी निधि से धन

[श्री नंदा]

क्यों दिया है । यदि हम गैर-सरकारी उद्योग से कुछ दायित्व निभाने के लिये कहते हैं —और चूंकि संसाधनों पर सरकार का सर्वोपरि नियंत्रण है—तो यह देखना सरकार का दायित्व है कि गैर-सरकारी उद्योग को, उस सीमा तक, संसाधन प्राप्त हैं ताकि वह उचित रूप में कार्य कर सकें । परन्तु, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिस प्रकार के समाज का हम समवेक्षण करते हैं उस में सरकारी उद्योग अपेक्षाकृत प्रगति करता रहेगा और सर्वथा बढ़ता रहेगा । उस के बिना वह धन प्राप्त करना जिस की हमें अपने दायित्वों को पूरा करने के लिये आवश्यकता है, सम्भव न होगा । बेकारी तथा सामाजिक न्याय के प्रश्न का समाधान करना हमारे लिय सम्भव न होगा ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : जिस तरह से जमीन की सीलिंग हो रही है उसी तरह से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं क्या उन की आमदनी की सीलिंग भी सरकार निश्चित करने जा रही है ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, मैं भी यही कह रहा हूं, कि संसाधन प्राप्त करने और सामाजिक समानता रखने के लिये केवल गैर-सरकारी उद्योग का ही विकास नहीं होना चाहिये अपितु गैर-सरकारी उद्योग को उन उद्देश्यों के अनुकूल बनना चाहिये । अर्थात्, गैर-सरकारी उद्योग को उस ढंग से कार्य करना होगा कि यह हमें उन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ाने में समर्थ बना दे और हमें इन सभी दिशाओं में अधिकतम सफलता प्राप्त हो । हम वह कैसे करें ?

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : उन उद्योगों में जिन पर राष्ट्र के हित में नियंत्रण किया जायेगा, यह जानते हुए कि इन में समस्त पूंजी गैर-सरकारी है क्या इस पर राष्ट्र के हित में नियंत्रण करना सम्भव होगा ?

श्री नन्दा : कौन से उद्योग ?

श्री मेघनाद साहा : वे छः जिन का उल्लेख किया गया है, अर्थात् लोहा और इस्पात, कोयला, खनिज तेल, आदि ।

श्री नन्दा : यह बहुत स्पष्ट है कि उतने महत्व के आधारोद्योगों को सरकार के लिये नियत रखना होगा और उन के लिये सरकार का पूर्ण दायित्व होगा ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह सच नहीं है कि तेल शोधक कारखानों में समूचे रूप में विदेशी पूंजी लगने दी है, और यदि समूची पूंजी विदेशी और गैर-सरकारी है तो आप उन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं ?

श्री नन्दा : यह अन्तर है । हम कुछ उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि राष्ट्र तथा लोगों के हित में किसी मार्ग से हटना आवश्यक है, तो हम उस मार्ग से हटने में नहीं हिचकिचायेंगे । यदि इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता तो हमें यह करना पड़ेगा । इस के अतिरिक्त, जब हम कहते हैं कि यह सब सरकार करेगी, तो हमारा अभिप्राय क्या है ? हम राष्ट्र के संसाधनों का अधिकतम उपभोग चाहते हैं, और इस की प्राप्ति के लिये, हम उन उद्योगों में गैर-सरकारी पूंजी लाने का प्रयत्न करेंगे जिन्हें सरकार खोलेगी और जिन का वह प्रबन्ध करेगी । हम प्रबन्ध वेत्ता को भी जो देश में उपलब्ध हैं और जो राष्ट्र को, जो अनेक वर्षों में बनी महान आस्ति है, सम्मिलित करेंगे । हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे । अतः यह प्रश्न राष्ट्र के संसाधनों से सर्वोत्तम फल प्राप्त करना

है, बशर्ते कि प्रत्येक बात उन उद्देश्यों के अनुसार की जाती है जो हम ने अपने समक्ष रखे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : यदि पूंजी शत प्रतिशत विदेशी है तो, क्या आप उन पर नियंत्रण करेंगे या वे आप पर नियंत्रण करेंगे ?

श्री नन्दा : मैं बात समझता हूं । मैं जानता हूं यदि विदेशी पूंजी या गैर-सरकारी पूंजी अत्यधिक है, या गैर-सरकारी उद्योगों में अत्यधिक पूंजी है तो, नियंत्रण करने की हमारी क्षमता उस सीमा तक सीमित होगी । इसी कारण हम कहते हैं कि गैर-सरकारी उद्योगों में वृद्धि होगी, और अन्य उद्योगों की सीमित संख्या होगी । यह बहुत स्पष्ट है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : क्या यह सच नहीं है कि इन तेल शोधक कारखानों के साथ एक करार हुआ है कि कुछ काल तक उन का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा ?

श्री नन्दा : मुझे कुछ और बातों के बारे में कहना है, परन्तु मुझे सन्देह है कि कदाचित् मेरे पास उन सब के लिये समय न होगा ।

स्वयं माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों ने प्रशासकीय यंत्र में सुधार और उस संबंध में सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न उठाया है । यह अत्यधिक महत्व का मामला है । कदाचित् मैं की गई कार्यवाही की एक सूची दे सकता हूं । मैं तुरन्त ही यह नहीं कह सकता कि प्रत्येक संभाव्य कार्यवाही की गई है, परन्तु राज्यों तथा केन्द्र में बहुत सी कार्यवाही की गई है । मैं अभी कदाचित् एक दो उदाहरण दे सकता हूं : केन्द्र में एक संगठन तथा कार्यप्रणाली संचालक-कार्यालय, व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये कार्यवाही, ज़िला तथा राज्य के स्तर पर विकास समितियां, केन्द्र में केबिनिट की उत्पादन समिति, भूमि सुधार के लिये केन्द्रीय समिति, आदि, आदि । अतः, व्यवस्था की जा रही है । यदि मैं उन सब का उल्लेख करूं तो मैं बहुत समय लूंगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और विचाराधीन है । माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत किया जायेगा ।

उसी प्रसंग में भ्रष्टाचार का प्रश्न भी उठाया गया है । मैं किसी मापक-यंत्र द्वारा यह बताने में असमर्थ हूं कि भ्रष्टाचार में वृद्धि या कमी हुई है । कुछ लोग कहते हैं कि यह बढ़ गया है । वह चाहे कुछ भी हो, यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार दूर किया जाय । मेरे पास उस कार्यवाही की सूची है जो केन्द्र में और राज्यों में की गई है, परन्तु मैं सभा को उन सब बातों के विस्तार में ले जा कर परेशान नहीं करना चाहता । परन्तु मैं अपने लिये यह कहना चाहता हूं अर्थात्, किसी देश की उन्नति में भ्रष्टाचार, कार्य-अनिपुणता और प्रशासन की ओर से उत्तर का अभाव रुकावट डालते हैं । अतः, हम सब का यह प्रयत्न होना चाहिये कि देश में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण पैदा हो, और भ्रष्टाचार समाप्त हो । केवल सरकारी यंत्र ही यह नहीं कर सकेगा, अपितु जन-सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना होगा, और उस उद्देश्य के लिये चेतन प्रयत्न करना होगा । यह बहुत ही कठिन कार्य है ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद-दक्षिण) : पब्लिक कोआपरेशन की क्या ज़रूरत है । कोई भी ज़िला दण्डाधिकारी भ्रष्टाचार समाप्त कर सकता है ।

श्री नन्दा : मैं विषय को समझता हूं । माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि

[श्री नन्दा]

भारत सेवक समाज ने सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिस में कुछ सुझाव हैं। उन में से एक सुझाव यह था कि एक बहुत ही उच्च पद का अधिकारी सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय ताकि जिन्हें कठिनाइयां महसूस होती हैं और जिन्हें लगता है कि कार्य शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ता है, वे उस के पास जायें और देखें कि उन का कार्य अकंटक बनाया जाता है। एक नहीं, अनेकों बातें हैं जिन में जन-सहयोग की आवश्यकता है। हम एक बैठक करें और इस सम्पूर्ण समस्या का समाधान निकालें। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि हम राष्ट्रीय आधार पर आन्दोलन के रूप में इस का समाधान कैसे कर सकते हैं, और हमें यह भी देखना चाहिये कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो। परन्तु इस में जन-सहयोग की आवश्यकता है।

मेरा ख्याल है कि यदि अधिशासी यंत्र को उचित रूप में कार्य करना है, तो नियमों में संशोधन तथा सुधार करना होगा, और हमें इसी प्रकार के अन्य प्रबन्ध करने होंगे। हम वह कर रहे हैं, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है।

माननीय सदस्य सरदार हुक्म सिंह ने कुछ बहुत ही संगत प्रश्न उठाये हैं। सड़क परिवहन की समस्या का उन का उपचार बहुत ही वैज्ञानिक है, और हम योजना आयोग में, उन से सहमत हैं। उन्हों ने उस का उल्लेख किया है जो पंजाब में हो रहा है। सितम्बर में एक कार्यक्रम प्राप्त हुआ था, परन्तु चूंकि यह हमारी आधारभूत नीति के उपबन्धों के अनुकूल न था, इसलिये राज्य सरकार को इस में परिवर्तन करने के लिये कह गया। उस के पश्चात् राज्य सरकार ने एक पत्र भेजा है, परन्तु हमें वह भी पूरा दिखाई नहीं पड़ता। अतः मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।

अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में, जो माननीय सदस्य ने सीने की मशीनों के बारे में उठाया था, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह भी बहुत ही संगत प्रश्न है। हम ने यह मामला वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को भेज दिया है, और वहां इस पर विचार किया जा रहा है।

कल अनेकों बातें कही गई थीं, परन्तु मैं अन्य बातों के लिये, जो आगे आयेंगी, निर्धारित समय का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता। परन्तु अन्त में मैं एक विशेष बात का उल्लेख करना चाहूंगा और वह यह है। यह कहा गया था कि हम ने केवल दूसरों से कुछ लिया है, और इस योजना में हमारे लिये श्रेय की कोई बात नहीं है। उस वक्तव्य में निहित समूचे दृष्टिकोण से कुछ संकीणता प्रकट होती है। जब हम ने भार उठाया था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ ? हमारे सामने अनेकों रुकावटें आईं तथा कठिनाइयां पैदा हुईं। हमें युद्ध तथा विभाजन द्वारा उत्पन्न हुई बड़ी बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। परन्तु इस के साथ, हमें कुछ विचार भी प्राप्त हुए जो हमें कार्यान्वित करने पड़े। आज क्या स्थिति है ? उदाहरणार्थ, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में; हो सकता है कि उनमें से कुछ का पहिले विचार किया गया था। परन्तु वास्तव में, यदि यह योजना में सम्मिलित न होता, तो उन के बारे में तनिक भी प्रगति करने में अनेकों वर्ष लगते। क्या हमें भाखड़ा नंगल परियोजना का इतिहास विदित नहीं है ? इस स्थिति तक आने में इसे अनेकों वर्ष लगे हैं, और इस स्थिति तक भी यह केवल योजना के कारण आ सकी है। साधारणतया, योजना के

बिना, इन परियोजनाओं के बारे में कदाचित् यह सरकार भी आगे न बढ़ पाती, क्योंकि वार्षिक आय-व्ययक बनाने के प्रश्न से ही प्रगति मन्द हो जाती । परन्तु यह इस कारण से हुआ है कि योजना में प्रत्येक के लिये आरम्भ से ही कुछ धन नियत करना सम्भव था, कि इन परियोजनाओं के लिये किसी भी प्रकार यह धन प्राप्त किया गया—और प्राप्त किया जा रहा है । पहिले से निर्धारित कुछ उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के लिये योजना बनाने की धारणा के ही कारण हम उन्हें कार्यान्वित करने के लिये साधन तथा संसाधन जुटा सके हैं । १९५०-५१ में केन्द्र में विकास पर केवल १०५ करोड़ रुपये व्यय हुए, परन्तु योजना के पश्चात् हम ने उसे दुगना कर दिया है । इस आलोचना का यही उत्तर है ।

विभाजन के समय इन सिंचाई परियोजनाओं का पुस्त-मूल्य ११० करोड़ रुपये था । १९४६-१९५१ की अवधि में १५० करोड़ रुपये व्यय किये गये थे । किन्तु योजना में उस के लिये ६०० करोड़ रुपये नियत किये गये थे और इनको पूरा करने के लिये आगामी योजना काल में हमें ४५० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । माननीय सदस्य को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उन्हें इस का निर्णय इस बात से, कि हम ने कितनी योजनाओं का कार्य हाथ में लिया है, नहीं करना चाहिये । हम ने कितनी योजनायें प्रारम्भ की हैं, इस की एक लम्बी सूची है । इन पर करोड़ों रुपये व्यय होंगे ।

किसानों की भूमि के सम्बन्ध में हम ने एक व्यापक नीति बनाई है । और उस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है । हो सकता है कि अभी तक इसे पूर्णतः लागू न किया गया हो । ऐसे मामलों में समय की बात महत्वपूर्ण होती है । किन्तु फिर भी नीति बन गई है और इस बात का आग्रह भी किया गया है कि इसे पूर्णतः लागू किया जाय । किन्तु माननीय सदस्यों की निराशा एवं सन्देहों के बावजूद भी हमने जो कार्य हाथ में लिया था, और इस अवधि में जो कार्य हुआ है, उस से यह प्रकट होता है कि भविष्य में और भी अच्छा कार्य हो सकेगा । एक प्रकार से यह कार्य भावी कार्यक्रम की नींव है । इस का मुख्य कारण जनता का कार्य है जो उन्होंने सामुदायिक परियोजनाओं में किया है हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यह प्रगति किसी भी प्रकार से रोकी नहीं जा सकती ।

सभापति महोदय : संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन संशोधनों को अथवा संशोधन सम्बन्धी संशोधनों को स्वीकार करेगी जो प्रस्तुत किये गये हैं ।

श्री नन्दा : हम संशोधन संख्या ७ को, जो श्री एस० वी० रामस्वामी का है, और संशोधन संख्या १५ के कुछ भाग को, जो पंडित ठाकुर दास भार्गव का है, स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री वेलायुधन : जब आप पीठासीन हैं तो क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है ?

सभापति महोदय : यह प्रस्तुत तो पहले ही हो चुका है ।

श्री नन्दा : पशु पालन को हम अधिक महत्व देते हैं अतः उस पर अधिक विचार करना चाहिये । इसलिये हम यह जोड़ सकते हैं कि ग्रामीण कल्याण के हित में यह अत्यावश्यक है कि पशु-पालन पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

सभापति महोदय : "जिस की प्रगति बड़ी असन्तोषजनक है," इस के बारे में क्या विचार है ?

श्री नन्दा : इसे आप निकाल सकते हैं ।

सभापति महोदय : चूंकि संशोधन का महत्वपूर्ण अंग सरकार ने स्वीकार कर लिया है अतः मैं यह आग्रह नहीं करूंगा कि इस का अन्तिम भाग भी स्वीकार किया जाय ।

प्रश्न यह है :

कि श्री एस० वी० रामस्वामी के स्थानापन्न प्रस्ताव के अन्त में निम्न आदिष्ट किया जाय :

"(c) in the essential interests of rural welfare, it is necessary to devote special attention to animal husbandry."

["(ग) ग्रामीण कल्याण के अत्यावश्यक हित में पशु-पालन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या ७ में संशोधन संख्या १५ के द्वारा संशोधन किया गया है । संशोधन संख्या ७ को मतदान के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर संशोधन संख्या ७ पारित हो जाता है, और चूंकि यह स्थानापन्न संशोधन है, इसलिये अन्य संशोधनों को मैं सभा में मतदान के लिये नहीं प्रस्तुत करूंगा । यदि कोई माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उन का संशोधन पहले रखा जाय तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है ।

मेरा विचार है कि कोई सदस्य अपना संशोधन पहले प्रस्तुत करने के लिये आग्रह नहीं कर रहे हैं । इसलिये अब मैं संशोधन संख्या ७, संशोधित रूप में, मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न अंश आदिष्ट कर दिया जाय :

"This House, having considered the progress Report of the Five Year Plan for the year 1953-54, is of the opinion that—

(a) Considering the magnitude of the difficulties that had to be encountered, the progress of the First Five Year Plan has been generally satisfactory,

(b) for the fulfilment of the plan, it is necessary to accelerate the tempo of progress for the remaining period of the plan and to implement more vigorously the measures of re-organisation in Agriculture, Industry and other fields recommended in the Plan, and

(c) in the essential interest of rural welfare, it is necessary to devote special attention to animal husbandry."

["पंच वर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद इस सभा की यह राय है कि—

(क) सामने आई हुई भारी कठिनाइयों पर विचार करते हुए, पहली

पंच वर्षीय योजना की प्रगति सामान्य रूप से संतोषजनक रही है,

(ख) योजना को पूरा करने के लिये, योजना के शेष काल की प्रगति की गति को तीव्र करना और योजना में सिफारिश किये गये, कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में पुनर्संगठन के उपायों को और अधिक तेजी के साथ क्रियान्वित करना आवश्यक है, और

(ग) ग्रामीण कल्याण के अत्यावश्यक हित में पशु-पालन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अन्य सभी प्रस्ताव अवरुद्ध हुए हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री रामानन्द दास (बैरकपुर) : इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कितना समय रखा गया है ?

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा परिषद् ने संभवतः पांच अथवा छः घंटे रखे हैं । इस प्रतिवेदन के बारे में गत वर्ष भी चर्चा नहीं हुई थी । अध्यक्ष जी चाहते हैं कि इस की चर्चा के लिये पूरा समय दिया जाय । अब चूंकि कल हम निश्चित कर चुके थे कि इस की चर्चा के लिये ढ़ाई घंटे रखा जाय, और चूंकि हम ने काफ़ी समय और बातों की चर्चा में लगा दिया है और ढ़ाई बजे हमें गैर सरकारी कार्यवाही भी शुरू करनी है, अतः सभा को यह देखना है कि उस समय की पूर्ति कैसे की जाय । इस के दो रास्ते हैं । एक तो यह है कि अगर इस की चर्चा आज ही समाप्त करनी है तो अध्यक्ष इस बात से सहमत हैं कि गैर-सरकारी कार्यवाही के समय में से थोड़ा-सा समय ले कर इसे समाप्त कर दिया जाय । और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसे आज समाप्त न कर के आगामी सत्र में जारी रखना चाहें तो आज ढ़ाई बजे तक इस की चर्चा कर सकते हैं और फिर अगले सत्र में यह चर्चा जारी रख सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इस की चर्चा के लिये पूरा समय दिया जाय । जैसे सभी चाहें, उसी प्रकार इस का निर्णय हो सकता है । माननीय मंत्री का इस बारे में क्या विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (**डा० काटजू**) : अगले सत्र में चर्चा जारी रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि सभा की भी यही राय है कि आज ढ़ाई बजे तक इस पर चर्चा की जाय और फिर अगले सत्र में भी इस की चर्चा जारी रखी जाये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त होने वाली अवधि के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।"

सरकार के कार्यों अथवा त्रुटियों के सम्बन्ध में सभा की राय चाहे कुछ भी क्यों न हो किन्तु मेरा विचार है कि इस बात से सभी सहमत होंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने यथासंभव अच्छा कार्य किया है । माननीय सदस्यों को जो प्रतिवेदन मिला है वह पूर्ण एवं ध्येयपूर्ण है तथा आयुक्त के अथक प्रयत्नों

[डा० काटजू]

का भान कराता है । मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित सभी कल्पनापूर्ण समस्याओं का इस प्रतिवेदन में स्पष्टीकरण किया गया है । आयुक्त ने बहुत ही कठिन कार्य किये हैं । साल में एक बार वह लगभग सम्पूर्ण भारत के दौरे पर जाते हैं, विभिन्न राज्यों, एवं राज्य मंत्रियों और विभागीय अध्यक्षों से भेंट करते हैं और तदुपरान्त अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के, समष्टि रूप में, कल्याण करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं । मेरा विचार है कि इतने अच्छे प्रतिवेदन के लिये हम उन के आभारी हैं ।

गत वर्ष हम ने पहिले प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की थी । चर्चा के दौरान मैं ने कहा था कि वाद-विवाद में जो सुझाव दिये जायेंगे उन में से प्रत्येक के बारे में पूरा पूरा विचार किया जायगा, और सरकार ने उस के बारे में क्या कार्यवाही की, इस की भी सूचना सभा को दी जायगी । मेरा विचार है कि एक बहुत बड़ा ज्ञापन तैयार किया गया है जो दो स्तम्भों में विभक्त है, इस के बायें स्तम्भ में आप के सुझाव रखे गये हैं और दायें में उस कार्यवाही का वर्णन है जो की गई है, अथवा की जाने वाली है । इस में उन बातों का भी वर्णन है जो विचाराधीन हैं । कम-से-कम सभा इस बात की तो प्रशंसा करेगी कि सभी सुझावों के बारे में ध्यान दिया गया है और कुछ भी अछुता नहीं छोड़ा गया है ।

इस प्रस्ताव के बारे में बहुत से संशोधन आये हैं । संशोधनों में कहा गया है कि इस के लिये एक मंत्रालय अलग से बने, सेवाओं में इन जाति वालों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले । महत्वपूर्ण समस्या नौकरी की है । पिछले तीन वर्षों में लगातार यह शिकायत की गई है कि उच्च श्रेणी के जो सुरक्षित स्थान हैं उन की पूर्ति अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा नहीं की गई है और उन का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है । गत वर्षों में मैं ने इस के बारे में विचार किया है और मैं कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना चाहिये । नौकरी आदि देने के मामले में यह प्रश्न नहीं है कि अमुक अमुक जातियों के प्रतिनिधि लिये गये हैं अथवा नहीं, अपितु यह ध्यान रखना होता है कि प्रशासन की सामान्य कार्य-कुशलता बनी रहे । इस बारे में संविधान के अनुच्छेद जिस में कहा गया है "कि प्रशासन की कुशलता का पूर्ण ध्यान रखते हुए" का भी ध्यान रखना चाहिये । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की आकांक्षाओं के प्रति मेरी पूरी पूरी सहानुभूति है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं न केवल यह चाहता हूं कि सुरक्षित स्थानों की पूर्ति इन के द्वारा हो, अपितु इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उन की संख्या में भी वृद्धि हो । किन्तु यह कोई अत्यावश्यक बात नहीं है । मुख्य समस्या तो यह है कि इन जातियों में शिक्षा और विशेषत: उच्चशिक्षा की वृद्धि के लिये सरकार क्या करती है । अगर हमें इन जातियों में काफ़ी व्यक्ति मिल जाते हैं तो उन की नियुक्ति अवश्य ही होगी । इस के लिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन धाराओं की ओर आकर्षित करता हूं जिन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आदिम जाति के क्षेत्रों के सम्बन्ध में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का उल्लेख है । यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं केवल यह कहने के

लिये अन्तर्बाधा डाल रहा हूं कि पिछली बार भी माननीय मंत्री ने इसी ज़िला दण्डाधिकारी के इसी उदाहरण को प्रस्तुत किया था । क्या अनुसूचित जाति के सभी लोग दण्डाधिकारी बनना चाहते हैं ? यह तो असत्य है ।

डा० काटजू : मेरे भाषण में जो भी त्रुटियां रह जायें उन्हें बाद में बताना श्रेयस्कर होगा । भाषण के बीच में प्रश्न करना और प्रतिपरीक्षण (जिरह) प्रारम्भ कर देने को मैं अनुचित समझता हूं ।

सभापति महोदय : भाषण के बाद ही इस प्रकार के प्रश्न किये जाने चाहियें ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : माननीय मंत्री प्रत्येक बार शिक्षा मंत्रालय की ओर संकेत करते रहते हैं ।

सभापति महोदय : मैं इस समय कोई अन्तर्बाधा नहीं चाहता हूं ।

डा० काटजू : जिस बात से ये लोग चिढ़े हुए जान पड़ते हैं और जिस की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित कर रहा था वह यह थी कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने शिक्षा सुविधायें देने के लिये अनुसूचित जातियों के युवकों तथा युवतियों को सहायता दी है जिस से कि उन की उन्नति हो और वे देश में केवल रक्षित स्थानों पर ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किये जा सकें । शिक्षा तो आवश्यक है क्योंकि रोजगारों की संख्या सीमित है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या लगभग सात करोड़ है । यदि उन्हें सात सौ या सात हजार रोजगार दिये जायें तो हम से उतने ही परिवारों का प्रबन्ध होता है । उन्हें उच्चतम कार्य सौंपने का जो मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक तथा भावात्मक महत्व है उस की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं । किन्तु हमें उन का साधारण स्तर ऊंचा कर के उन की सहायता करनी चाहिये । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं उस कार्य को सर्वाधिक महत्व देता हूं जो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है ।

परिशिष्ट १४ में जो आंकड़े दिये गये हैं उन से माननीय सदस्य परिचित हो गये होंगे । छः वर्ष पूर्व अर्थात् १९४७-४८ में जो धनराशि छात्रवृत्तियों के लिये दी गई थी वह केवल ५,३९,००० रुपये थी । प्रत्येक वर्ष इस धन में वृद्धि की गई और १९५३ में, जिस वर्ष से इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह धनराशि ६२ लाख रुपये हो गई । मुझे सभा को यह भी बताना चाहिये कि १९५४ में, जो समाप्तप्राय है, यह धनराशि १,१८,००,००० रुपये है । यह तो केवल वह धनराशि है जो भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है । इस में वे छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं जो पूर्वस्नातकों तथा उत्तरस्नातकों को दी जाती हैं और इन छात्रवृत्तियों को पाने वाले समस्त लड़के लड़कियों की संख्या ११,००० है । यही सब कुछ नहीं है ।

राज्य सरकारें भी शिक्षा प्रचार के लिये भरसक प्रयत्न कर रही हैं । प्रतिवेदन से ज्ञात होगा कि राज्यों में उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार तथा समस्त राज्य सरकारों की सहायता की धनराशि मिल कर कई करोड़ रुपये हो जाती है । मुझे प्रसन्नता है कि अनुसूचित जातियों में बड़ी शीघ्रता से शिक्षा का प्रचार हो रहा है ।

एक योजना के द्वारा अनुसूचित जातियों के लड़कों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये ४०० पौण्ड की छात्रवृत्तियां दे कर

[डा० काटजू]

बाहर भेजना प्रारम्भ किया गया था । प्रयोग के रूप में यह योजना एक वर्ष के लिये चलाई गई थी । यह योजना इतनी संतोषप्रद साबित हुई कि इसे पंच वर्षीय आधार पर चालू कर दिया गया है । यह बात भी सभा को स्मरण रहनी चाहिये । जो सदस्य यह कहते हैं कि सरकार इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही है उन को मेरा यही उत्तर है कि सरकार इस सम्बन्ध में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है जिस को महत्व दिया जाना चाहिये ।

अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं । संविधान में यह उपबन्ध है कि जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, उन के उत्थान के लिये सहायता दी जानी चाहिये । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये अनेक योजनायें हैं । माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन का भाग १० तथा परिशिष्ट १८ देखा होगा । आदिम जाति क्षेत्रों में आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९५३ में ४ करोड़ ५३ लाख रुपये व्यय किये गये थे । इस में केन्द्रीय अनुदान के १,९१,४२,००० रुपये तथा विभिन्न राज्यों के २,३९,५६,००० रुपये सम्मिलित हैं । यह कोई छोटी सी धनराशि नहीं है । भूमि देने के अतिरिक्त जल, आवास आदि सब प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं । ये सब बातें प्रतिवेदन में दी गई हैं और इन्हें बता कर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं । जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उन के कल्याण के लिये ५० लाख रुपये दिये गये थे । इस में से ४३ लाख रुपये व्यय कर दिये गये हैं और सात लाख रुपये अभी शेष हैं । इस के अतिरिक्त सहायक अनुदान भी दिये गये थे । भूतपूर्व आपराधिक जातियों के कल्याण के लिये ३० लाख रुपये दिये गये थे और ३० लाख रुपये पिछड़े वर्गों के लिये दिये गये थे ।

इन कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त, सभा को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें देश के अर्द्धविकसित भागों के उत्थान के लिये एक वृहत् कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं । उस में अनुसूचित तथा अनुसूचित जातियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है । यदि ज़मींदारी उन्मूलन द्वारा किसानों को भूमि मिली है तो इस से सभी को लाभ हुआ है ।

इन किसानों में अनेक व्यक्ति अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं और उच्च जातियों के लोग भी हैं । इसी प्रकार शिक्षा के प्रसार का कार्य हो रहा है । लाखों प्रारम्भिक पाठशालायें खोली गई हैं । सड़कें, बांध, इमारतें आदि बनवा कर रोज़गार दिया जा रहा है । हमें सब ओर दृष्टिपात करना चाहिये । माननीय सदस्यों को अनुसूचित जातियों को विशेष रूप से जो सहायता दी जा रही है और जो कल्याणकारी योजनायें चलाई जाती हैं केवल उन पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि सरकार जनता के स्तर को ऊंचा करने के लिये जो महान कार्य कर रही है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है । केवल यह कहने से काम नहीं चलता है कि चार करोड़ रुपये से कुछ नहीं होगा और पचास लाख रुपये तो शून्य के बराबर हैं । हमें उस व्यापक चित्र पर दृष्टि डालनी है जो मेरे मित्र श्री नन्दा तैयार कर रहे हैं । सब लोगों के हित में अनुसूचित जातियों का हित भी निहित है । गांवों में जा कर देखिये नये नये स्कूल खुल गये हैं । उच्च शिक्षा के लिये हम छात्रवृत्तियां दे रहे हैं और प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है । इसी प्रकार कुटीर उद्योगों का विकास किया जा रहा है । ये उद्योग भी सभी प्रकार

के लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं । जिस अंश तक उन में अनुसूचित जातियों का सहयोग है उस अंश तक उन्हें भी लाभ प्राप्त हो रहा है ।'यह सब कुछ बताने से मेरा अभिप्राय यह है कि हम अपने समक्ष जो चित्र प्रस्तुत करें वह एक सम्पूर्ण चित्र होना चाहिये ।

जहां तक इन नियुक्तियों का सम्बन्ध है मैं उस सम्बन्ध में जिस के लिये मेरे मित्र ने आपत्ति उठाई थी, कुछ कहना नहीं चाहता हूं । जिला दण्डाधिकारी के सम्बन्ध में, मैं जानता हूं कि उन में कमियां होती हैं परन्तु इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि, संविधान ने इन नियुक्तियों के लिये एक भिन्न व्यवस्था का उपबन्ध किया है । उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करना लोक सेवा आयोग का कार्य है । लोक सेवा आयोग संविधान द्वारा वाध्य है तथा हम व्यक्तियों के चुनाव से सम्बन्धित उस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । सरकार ने कुछ रियायतें दिये जाने के भी आदेश दिये हैं तथा मैं ने सभा में भी बताया है कि अघोषित वाले पदों के लिये हमें ५ वर्ष की रियायत दे दी है तथा घोषित पदों के लिये ३ वर्ष की रियायत दी गई है । एक प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है कि घोषित पदों के लिये भी तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की रियायत रख दी जाये । लोक सेवा आयोग ने यह विचार प्रकट किया है कि इस अवधि में वृद्धि करना उचित नहीं है क्योंकि इस से उसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे । इस विषय पर लगातार चर्चा की जा रही है ।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विषय पर ब्यौरेवार चर्चा की जायेगी । पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह कहा जाता है यह रक्षित पद अन्य व्यक्तियों को दिये जाते हैं । यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । आप कुछ पदों को रक्षित कर सकते हैं तथा केवल यही कर सकते हैं कि ये पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को ही दिये जायें । परन्तु नियुक्ति हो जाने के पश्चात् पदोन्नति तथा स्थानान्तरण में यह भेद अभी तक नहीं रखा गया है । इस सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिये जिस से कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अधिकार किसी प्रकार कम न हो जायें । मैं ने बार बार यह कहा है कि मैं यह चाहता हूं कि आप को यह समझना चाहिये कि सरकार संविधान को ठीक उसी भावना से लागू करना चाहती है तथा संविधान की आवश्यकताओं को उसी प्रकार उत्साह से पूर्ण करना चाहती है जिस प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति तथा मंत्रालय अथवा और किसी को उन को धोखा देने की इच्छा नहीं है ।

इस विषय में मैं और अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं । आवश्यकता हुई तो उत्तर के तौर पर मैं कुछ कहूंगा । यदि मेरे माननीय मित्र कोई प्रश्न उपस्थित करेंगे तो मैं उन का उत्तर देने को तत्पर हूं ।

श्री बर्मन : क्या मैं माननीय गृहमंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार सौराष्ट्र सरकार की भांति जिला दंडाधिकारियों के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये उन की शिक्षा अर्हता के आधार पर इन की नियुक्ति तथा उन का प्रशिक्षण नहीं कर सकती है ? क्या केन्द्रीय सरकार ने कभी उन उपायों को लागू करने का प्रयत्न किया है जो सौराष्ट्र सरकार काम में लाती है ?

डा० काटजू : मैं इस का अन्त में उत्तर दूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर), श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली–पूर्व), **श्री राम धनी दास** (गया पूर्व–रक्षित-अनुसूचित जातियां), **श्री ब्रह्म चौधरी** (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित जातियां), **श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय), **श्री नट-वाडकर** (पश्चिम खानदेश–रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां), **श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व), **श्री बी० के० पटेल** (सूरत–रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां), **श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरू), **श्री भीखा भाई** (बांसवाड़ा-डूंगरपुर–रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां), **श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल), **श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित-अनुसूचित जातियां), **डा० सत्यवादी** (करनाल –रक्षित-अनुसूचित जातियां), **श्री रामानन्द दास** (बैरकपुर), **तथा श्री वीरास्वामी** (मयूरम–रक्षित-अनुसूचित जातियां) ने मूल प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

सभापति महोदय : ये सब संशोधन तथा मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं । बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मेरे विचार से १५ मिनट दलों के नेताओं तथा १० मिनट सामान्य सदस्यों को दिये जायेंगे ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १५ मिनट प्रत्येक सदस्य को तथा २० मिनट दलों के नेताओं को दिये जायें ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह समय पर अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री वेलायुधन : प्रत्येक राज्य के एक अनुसूचित जाति सदस्य को अवसर दिया जाना चाहिये क्योंकि अनुसूचित जातियों की दशा प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है ।

सभापति महोदय : पहले भी इसी प्रकार की प्रार्थना की जा चुकी है । मैं इस के विरुद्ध हूं । अनुसूचित जाति के सदस्य ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सभा की इस में रुचि है । परन्तु साथ ही मेरा यह भी विचार है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों की इस में विशेषतया रुचि है । जब तक मैं अध्यक्ष-पद पर आसीन हूं; मैं अनुसूचित जाति के वक्ताओं को प्राथमिकता दूंगा ।

श्री फ्रेंक एंथनी : आप ने नेताओं को २० मिनट दिये हैं । मैं अपने समाज का एकमात्र प्रतिनिधि हूं मुझ को दल के नेता के लिये निर्धारित समय दिया जायेगा अथवा सामान्य सदस्य का ?

श्री वीरस्वामी : गंभीर विषय होने के कारण तथा विवाद के अगले सत्र में चालू रहने के कारण मेरा सुझाव है कि लगभग १० घंटे का समय इस विषय पर चर्चा के लिये दिया जाये ।

सभापति महोदय : कार्य सलाहकार समिति समय का बंटवारा करती है । यदि यह समिति अधिक समय देना ठीक समझे वह अधिक समय दे सकती है ।

माननीय सदस्य फ्रेंक एंथनी जानते हैं कि वह किसी दल के नेता नहीं हैं । अधिक समय उन को दिया जाता है जो या तो किसी दल के नेता हों अथवा सामान्य सदस्यों से उच्च स्तर के हों । श्री एंथनी तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को सभा में परिचालित करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मेरा सुझाव है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का अगले सत्र के लिये निलम्बन किया जाये ।

सभापति महोदय : इस के विषय में सभा निर्णय कर चुकी है। मैं फिर इस विषय को उठाना नहीं चाहता हूं।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : क्या मैं यह समझूं कि जो समय दलों के नेताओं के लिये निर्धारित किया गया है वही समय दल के मुख्य वक्ता को भी दिया जायेगा चाहे वह नेता हो या न हो ?

सभापति महोदय : जहां तक प्रवक्ता का सम्बन्ध है, यदि दलों के नेता इस प्रश्न पर बोलना नहीं चाहते हैं, तो यह रियायत दी जायेगी। यदि नेता भी बोलना चाहते हों, तो मुझे भय है कि उन्हें इतना समय देना कठिन होगा।

श्रीमती खोंगमेन : गत वर्ष के अन्त में इस सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा के समय माननीय गृह मंत्री ने वचन दिया था कि वह भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि चर्चा के लिये इतना विलम्ब न हो। वास्तव में यह खेद की बात है कि १९५३ का प्रतिवेदन आज १९५४ के अन्त में उपस्थापित किया गया है जबकि १९५४ के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि चर्चा में इतना विलम्ब न हो।

यद्यपि इस प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, आंग्ल-भारतीयों और अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में विवेचन किया गया है, फिर भी मैं अपने विचार मुख्यतः अनुसूचित आदिम जातियों के विषय तक ही सीमित रखूंगी। अन्य प्रश्न मैं अन्य वक्ताओं के लिये छोड़े देती हूं।

श्री दातार : क्या मैं माननीय महिला सदस्य के कथन में शुद्धि कर सकता हूं ? यह प्रतिवेदन फरवरी १९५४ में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था और मार्च अथवा अप्रैल में सभा पटल पर रखा गया था। जहां तक प्रतिवेदन के उपस्थापन का प्रश्न है, उस में यथा संभव शीघ्रता की गई थी।

श्रीमती खोंगमेन : मेरा आशय चर्चा से है।

मैं अनुसूचित जाति के अपने मित्रों से भी कुछ कहना चाहती हूं। हम आदिम जाति के लोग किसी जाति पांत में विश्वास नहीं करते हैं और प्रत्येक के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। यदि हम से कोई वरिष्ठ रूप में व्यवहार करने का प्रयत्न करता है तो हम उस व्यक्ति को अथवा उस जाति की उपेक्षा कर देते हैं और उस की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अनुसूचित जाति के अपने मित्रों से मेरा निवेदन है कि वे हम से सीखें और अपने को नीचा न समझें और अपने को अन्य मनुष्यों के साथ बराबरी के दर्जे पर समझ कर उन के साथ बराबरी का व्यवहार करें।

अब मैं प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहूंगी।

इस प्रतिवेदन को यथा संभव अधिक आकर्षक तथा पठनीय बनाने के लिये प्रतिवेदन के रचियता सम्मान के पात्र हैं। मैं विशेषतः उस महत्व का उल्लेख करती हूं, जो उन्हों ने आदिम जातियों की कला और संस्कृति को दिया है। प्रतिवेदन के मुख पृष्ठ से यह धारणा उत्पन्न होती है कि प्रतिवेदन में संपूर्णतः आदिम जातियों की कला और संस्कृति का विवेचन है। मेरी इच्छा थी कि बीच में पृष्ठों में भी कुछ रंग और चित्र जोड़े जाते।

पहले के प्रतिवेदन की तरह विचाराधीन प्रतिवेदन भी एक लम्बा विवरण है जिस में बताया गया है कि इतने स्कूल खोले गये, इतने औषधालय चालू किये गये, किन्तु कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया

[श्रीमती खोंगमेन]

है कि इन लोगों के रहन सहन की सामान्य दशाओं में कुछ परिवर्तन या सुधार किया गया है या नहीं । ऐसे स्कूल भवन निर्माण करने में, जो बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं या ऐसे औषधालय चालू करने में, जिन में से कुछ में लोग जा नहीं सकते हैं, काफ़ी रुपया ख़र्च किया जा रहा है । मेरे विचार से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इन लोगों को यह समझाया जाय कि ये सब उन के लाभ और उन की भलाई के लिये है । आदिम जाति के लोग यह समझें कि वे देश की अन्य जनता के साथ संयुक्त हैं और देश उन की सहायता करना चाहता है । यह आवश्यक है कि उन का सन्देह दूर किया जाय । अब तक उन का इस प्रकार से शोषण किया जाता रहा है कि वे प्रत्येक को अब अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं । वे सरकारी औषधालयों में जाने के बजाय अपनी जाति के किसी जादूगर या जड़ी बूटी देने वाले के पास जाना अधिक पसन्द करेंगे । हमें उन की सद्भावना और विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । हमें यह कहते खेद होता है कि सरकारी पदाधिकारियों का उन के प्रति रुख़ सहानुभूतिपूर्ण नहीं है । उच्च पदाधिकारी जो उन जातियों से सैकड़ों मील दूर रहते हैं, शायद ही कभी उन के सम्पर्क में आते हैं । उन में से अधिकतर न उन की भाषा जानते हैं और न वे उन के रीति रिवाजों से परिचित हैं । जहां भी उन्हें उन के बीच रहने और काम करने का अवसर मिलता भी है वहां भी वे उन की प्राचीन प्रथाओं और विश्वासों में हस्तक्षेप करते हैं ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना पड़ता है कि आदिम जाति वाले क्षेत्रों में कुछ पदाधिकारी ईसाई और ग़ैर-ईसाई भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं । धर्मनिरपेक्ष राज्य में यही उचित है कि ऐसी बात को सभी प्रकार से रोका जाये । प्रारम्भ में आदिम जातियों में ऐसी भावना नहीं थी और एक ही परिवार में विभिन्न धर्मों के लोग शान्ति से रहते थे । यह बड़े दुख की बात होगी यदि यह सुखद सम्बन्ध किसी गलत नीति द्वारा अशान्तिपूर्ण बना दिया जाय ।

मैं इस बात पर सरकार से सहमत हूं कि आदिम जातियों को शिक्षित करने के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिये सरकार काफ़ी कुछ कर रही है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के लिये सरकार काफ़ी धन दे रही है और उस के लिये हम उस के कृतज्ञ हैं । किन्तु इस के साथ-साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि वह उन्हें सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करे । हमारे संविधान में सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये विशेष अनुबन्ध है । जब तक शिक्षित युवकों को नियुक्त नहीं किया जायेगा तब तक अन्य युवकों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और इस प्रकार संविधान का उद्देष्य नष्ट हो जायगा । गृह-मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे कि रक्षित भाग पूरा किया जाय और इस विषय में भारत सरकार सौराष्ट्र सरकार का अनुसरण करे । सौराष्ट्र सरकार आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार अपना दायित्व पूरा करने का प्रयत्न करती रही है ।

मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि सब से अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सरकार तुरन्त सड़कों और यातायात के साधनों का विकास करे । यह सर्वविदित तथ्य है कि सभी आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कें तथा यातायात के साधन नहीं हैं और जहां हैं भी, वहां वे इतने खराब

हैं कि वर्ष के अधिकतर भाग में उन का उपयोग नहीं किया जा सकता है । परिणाम यह होता है कि यदि पदाधिकारी उन तक पहुंचना चाहें और उन्हें मदद करना भी चाहें, तो भी उन के लिये वहां तक पहुंचना असम्भव हो जाता है । मुझे विश्वास है कि ज्यों ही यातायात के अधिक अच्छे साधन उपलब्ध होंगे आदिम जातियों के लोग अपने अधिक प्रगतिशील भाइयों के सम्पर्क में आयेंगे और उन में अपनी स्थिति सुधारने की तीव्र भावना उत्पन्न होगी । परिणाम यह होगा कि इन लोगों का विकास और भी शीघ्र होगा, उन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी उत्पादित वस्तुओं के लिये बाहरी बाज़ारों में अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेंगे ।

उन्हें पीने के लिये शुद्ध जल की भी आवश्यकता है । इसी प्रकार मलेरिया और अन्य सामान्य रोगों से संरक्षण की भी उन्हें आवश्यकता है । इतने कम समय में सभी बातों की विवेचना करना संभव नहीं है किन्तु हमारे देश के सुदूर पूर्वी भाग के आदिम जाति क्षेत्रों के बारे में मैं कुछ उल्लेख करना चाहती हूं । माननीय गृहमंत्री ने जिला परिषदों के कार्यकरण के बारे में अपना सन्तोष प्रकट किया था । संविधान की छठी अनुसूची में दिये गये उपबन्ध के अनुसार पांच जिला परिषदें आसाम में कार्य कर रही हैं । मेरा भी इन परिषदों के कार्यों से कुछ सम्बन्ध रहा है किन्तु मैं माननीय गृहमंत्री और सभा के सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि उन परिषदों का कार्य सन्तोषप्रद नहीं है । परिषदों के सदस्यों की यह धारणा है कि उन की शक्ति और उन के वित्तीय साधन इतने सीमित हैं कि उन के लिये कार्य करना असम्भव है । इस विषय में कुछ करने के लिय सरकार से आग्रह करने के लिये मेरे पास पत्र और तार भेजे गये हैं । उसे दृष्टि में रखते हुए मैं ने संविधान में संशोधन प्रस्थापित किया था । इस का उल्लेख करने में मेरा आशय केवल इतना ही है कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिस से कि यह समस्या तथा इस प्रकार की अन्य समस्यायें अधिक शीघ्रता से सुलझाई जायें ।

अन्त में मैं यह बताना चाहती हूं कि उत्तर-पूर्वी-सीमान्त अभिकरण में दशाओं का सुधार हो रहा है और सरकार नई योजनाओं के लिये कार्यवाही कर रही है । किन्तु मेरी धारणा है कि काम उतनी सन्तोषप्रद रीति से नहीं किया जा रहा है जितना हम चाहते हैं । इस क्षेत्र में पदाधिकारियों की नियुक्ति की आलोचना की गई है और मेरे विचार से यह उचित होता कि सरकार इस पर विचार करती ।

सड़क योजना में उस हद तक प्रगति नहीं हुई है जिस हद तक होनी चाहिये थी । यहां वहां बन रही कुछ सड़कों से सारी जनता की मांगें पूरी नहीं होंगी । जहां तक संभव हो, सड़कें बनाने के ठेके पहाड़ी लोगों को ही दिये जाने चाहियें । यह देखा गया है कि बाहरी लोग उन में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं । मकानों और सड़कों की ठीक तरह से मरम्मत करा कर धन का अपव्यय रोका जाना चाहिये । पिछली बाढ़ों में ५० लाख रुपये के मूल्य के मकान और सड़कें नष्ट हो गई थीं । उचित मरम्मत से इस विनाश को रोका जा सकता था ।

समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि स्थानीय प्रशासन ने हिन्दी अध्यापकों की कमी के कारण प्राथमिक तथा नवीन प्रारंभिक स्कूल खोलना बन्द कर दिया है । यह बन्द नहीं होना चाहिये ।

इस धीमी प्रगति से निराश होते हुए भी मैं सरकार की सद्भावना तथा आदिम

[श्रीमती खोंगमेन]

जाति के लोगों के मामलों में प्रधान मंत्री की दिलचस्पी में पूरा विश्वास प्रकट करना चाहती हूं । उन के नेतृत्व में हमारी यह आशा अभी भी संभव प्रतीत होती है कि सुदूर भविष्य में किसी दिन सरकार यह देखेगी कि आदिम जाति के लोग सारे देश को दिखा देंगे कि वे उपयोगी लोग हैं और अपने देश और राष्ट्र के निर्माण में कुछ अंश-दान करने के योग्य हैं ।

श्री पी० एल० कुरील (जिला बांदा व जिला फ़तहपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां): मैं आप को इसलिये धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस सभा में अपने कुछ विचार प्रकट करने का अवसर दिया । आप ने देखा होगा कि सभा की कार्यवाहियों से अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की सारी दिलचस्पी जाती रही है, इसलिये नहीं कि अब उन्हें उस में रुचि नहीं है बल्कि इसलिये कि उन की आवाज़ का सरकार पर कोई असर नहीं होता है । सरकार ने उन की आवाज़ की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है । यहां तक कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा किये गये सुझावों और सफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है । मुझे यह देख कर दुख होता है कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों में से एक भी मंत्री आज यहां उप-स्थित नहीं है । यहां तक कि उपमंत्रियों ने भी यहां बैठने और दलित जाति के लोगों की शिकायतें सुनने का सौजन्य नहीं दिखाया है ।

सभापति महोदय : गृह कार्य उपमंत्री यहां उपस्थित है ।

श्री पी० एल० कुरील : कम से कम योजना मंत्री तथा उन के उपमंत्री को यहां रहना चाहिये था सभासचिव भी सभा में अनुपस्थित हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि शासक दल के कुछ प्रमुख सदस्य भी अनुपस्थित हैं । अनुसूचित जाति के कुछ प्रतिनिधि ही सभा में उपस्थित हैं । इस से यही दिखाई पड़ता है कि सरकार अनुसूचित जातियों की समस्या के प्रति बहुत अन्यमनस्क है ।

यही बात प्रवर समितियों के लिये सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है । वहां भी अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है । पिछले समय रबड़ सम्बन्धी प्रवर समिति में सात या आठ सदस्य लिये गये थे और सात या आठ सदस्य काफ़ी सम्बन्धी प्रवर समिति में लिये गये थे । अन्य किसी प्रवर समिति में अनुसूचित जाति के इतने अधिक सदस्य नहीं लिये गये हैं ।

जिस प्रकार यह वाद-विवाद रखा गया है उस के लिये मुझे बहुत खेद है । इस से यह दिखाई पड़ता है कि सरकार अनुसूचित जातियों की समस्या के प्रति बहुत अन्यमनस्क है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये समय नियत करने में पूरा एक वर्ष लगा है । मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि जब कभी हम कोई रचनात्मक आलोचना या सरकार की आलोचना करने खड़े होते हैं तो हमें देश-द्वेषी या राष्ट्रीयता विरोधी कहा जाता है और कभी कभी तो यह प्रयत्न किया जाता है कि सरकार की आलोचना करने वाले सदस्यों को इस सभा में बोलने ही न दिया जाता । यहां अनुसूचित जाति का प्रत्येक प्रतिनिधि पूर्णतः राष्ट्रीय है और जो कुछ वह कहता है पूर्ण सद्भावना से कहता है । माननीय गृहमंत्री ने सदा टाल-मटोल के उत्तर दिये हैं । अनुसूचित जातियां भारतीय समाज का एक मुख्य अंग हैं ।

वे चाहती हैं कि देश उन्नति करे और देश में राष्ट्रीय एकता हो, किन्तु यदि वे कोई भिन्न रुख अपनाती है तो उस के लिये माननीय गृहमंत्री जैसे व्यक्ति ही उत्तरदायी होंगे । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि सरकार ने इसे न समझा तो एक दिन ऐसा आयेगा जबकि हरिजन-अहरिजन आधार पर हुए दंगे देश के सामाजिक जीवन का एक नियमित अंग बन जायेंगे । यह एक बड़ी गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और सरकार इस समस्या की उपेक्षा नहीं कर सकती है । उन की आशायें इस हद तक बढ़ाई गई हैं कि जब तक उन्हें अन्य लोगों के बराबरी का स्तर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें समाधान नहीं होगा । आप को यह तथ्य समझना होगा कि अनुसूचित जातियों के सभी प्रतिनिधि उतने शान्त और सहनशील नहीं हैं जितना कि आप उन्हें यहां पाते हैं । सभा के बाहर आप उन के भाषण सुनें तो आप देखेंगे कि वे डा० अम्बेडकर जितने ही कटु हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर जो पिछली बार चर्चा हुई थी, उस से यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित जातियों के सदस्य में अपनी स्थिति से कितनी निराशा और कटुता है । सभा में अनेक बार इस विषय पर क्षोभ प्रकट किया गया है । अब वह कटुता केवल क्रोध में परिणत हो रही है । मेरे विचार से सरकार को यथासंभव शीघ्र अनुसूचित जातियों के विकास के लिये कुछ तत्परता से कार्य करना चाहिये ।

अभी भी अहम्मन्यता का राज्य है । यद्यपि इन कमियों को दूर करने के लिये हाल ही में विधान पुरःस्थापित किया गया है, किन्तु विधि बनने में अभी देर लगेगी ।

इस सम्बन्ध में मैं १९३२ में एक बड़े सम्मेलन द्वारा बम्बई में स्वीकृत एक संकल्प को स्मरण कराना चाहता हूं, जिस में कहा गया था कि स्वराज्य संसद् का प्रथम कर्तव्य यह होगा कि हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं के स्तर पर लाने के लिये विधान बनाये और हिन्दू नेताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे हर वैध ढंग से हरिजनों पर लगे मन्दिरों में प्रवेश आदि पर प्रतिबन्ध को दूर कराये । इस संकल्प को आज २२ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हमारी संसद् में ७ वर्षों के बाद ऐसी विधि आई है ।

अस्पृश्यता जात-पांत के भेद के कारण है । जब तक जात-पांत के भेद की समाप्ति नहीं की जाती तब तक अस्पृश्यता की समाप्ति भी नहीं हो सकती । कुछ लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता के निवारण से ही जात-पांत का भेद समाप्त हो जायेगा, मैं उन से असहमत हूं । एक अस्पृश्य बिना अपनी जाति बताये किसी भी मन्दिर में जा सकता है और किसी भोजनालय में भोजन कर सकता है—किन्तु जात-पांत के भेद की समाप्ति के किये बिना आप अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं कर सकते । वर्णाश्रम धर्म जात-पांत का भेद ही है । इसे अवश्य दूर करना चाहिये ।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल हरिजनों को मन्दिरों में प्रविष्ट कराना ही पर्याप्त नहीं है, किन्तु साथ साथ उन के आर्थिक और सामाजिक स्तर को भी ऊंचा उठाना होगा—यह बात सब से अधिक महत्वपूर्ण है । मुझे खेद है कि हरिजनों की विभिन्न संस्थाओं ने इस प्रश्न की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया । पहली बात जो उन्हें करनी चाहिये वह यह है कि उन का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करें, उन को शिक्षित बनायें और उन की आर्थिक अवस्था को भी सुधारें, जिस से समाज में उन्हें बराबर का स्थान मिले । मैं सरकार से भी ऐसा ही करने को कहूंगा ।

[श्री पी० एल० कुरील]

अब मैं अछूत भाइयों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर आता हूं । अनुसूचित जातियों के लिये यह प्रश्न बड़े महत्व का है । अनुसूचित वर्गों के लोग गरीब होने के कारण कोई उद्योग अथवा कुटीर उद्योग तो चला ही नहीं सकते, वे तो केवल सेवाओं से ही अपना जीवनस्तर ऊपर उठा सकते हैं । इसलिये सरकार को चाहिये कि उन्हें सेवाओं में ले । आज़ बहुत से हरिजन इसलिये निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती । यद्यपि हरिजनों के लिये संरक्षण है, किन्तु फिर भी द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सेवाओं में हरिजनों की संख्या बहुत ही कम है । यह संरक्षण १९४३ से चले आ रहे हैं, किन्तु फिर भी उच्च सेवाओं में उन का प्रतिनिधित्व बड़ी कठिनाई से २ या ३ प्रतिशत होगा ।

हरिजन लोग अपने बच्चों को बहुत देर से शिक्षा देने लगे हैं, इसलिये सरकार को उन के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । जो व्यक्ति सामान्य रीति से अच्छा पढ़ा लिखा है और अच्छे मस्तिष्क का है, उसे प्रशासन का भार सौंपा जा सकता है । अकबर कोई पढ़ा-लिखा नहीं था और न ही शिवाजी ही कोई विद्वान् थे—किन्तु अनुभव से ही यह सारे काम आते हैं ।

मैं यह चाहता हूं कि राजनयिक नौकरियों में भी अनुसूचित वर्गों के व्यक्तियों को नौकरियां देनी आरम्भ की जायें । पहले ब्रिटिश सरकार के समय में आठवीं पास व्यक्ति अच्छी अच्छी नौकरियों पर लग जाते थे और अच्छी तरह काम करते थे । इसलिये आप का यह कहना कि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, ठीक नहीं । आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप हमारे लिये सद्भावना रखें । इस समय तो मैं यह कहूंगा कि सरकार अन्याय से काम ले रही है और हरिजनों को जान-बूझ कर नौकरियों से अलग रखने के प्रयत्न कर रही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं श्रीमती खोंगमेन को विश्वास दिलाता हूं कि हरिजन अपने आप को गिरा हुआ नहीं समझते । वे भारत माता के सब से पहले पुत्र हैं । यद्यपि वे कष्ट सहते आये हैं, किन्तु उन में महान् आशावाद विद्यमान है । उसे आशा है कि एक दिन वह अवश्य ऊंचा उठेगा और जैसा कि गांधी जी स्वप्न देखा करते थे, एक दिन कोई हरिजन राष्ट्रपति भी होगा हम सच्चे धरती के लाल हैं ।

पिछली बार डा० काटजू ने यहां कहा था कि यदि प्रत्येक हरिजन का आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया जाय तो सामान्य कुशलता को हानि पहुंचेगी । मेरे विचार में डा० काटजू बहुत ऊंचे रहते हैं और वास्तविकता को नहीं देखते । उन का यह वक्तव्य अनुचित था और विशेषतया जबकि वे हरिजनों के हितों की रक्षा के लिये यहां हैं । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ही सामान्य कुशलता को हरिजनों के कारण हानि होती है ? वे ऐसा समझें । किन्तु लाल तो वास्तव में गुदड़ियों में ही छिपे रहते हैं । वह गांवों में जा कर इस बात का पता करें । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये । ब्रिटिश सरकार हरिजनों को गज़ेटेड पदाधिकारी बनाती रही है और उन में से कोई भी असफल नहीं हुआ । वास्तव में यह मंत्रालय उन के कार्य की सराहना करने में असफल रहा है । इस प्रकार का व्यवहार तब तक रहेगा । हम कब तक वह स्वप्न देखते रहेंगे । मुझे सरकार के अन्याय पर बड़ा आश्चर्य होता है, जो

अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही है ।

इस के बाद उन्हों ने कहा है कि हम इस सभा को प्रचार का साधन बना रहे हैं । क्या उन्हें यह शब्द प्रयोग करने का अधिकार है । यदि सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही तो हमारे लिये अपने अधिकारों की मांग करना उचित है । क्यों न हम ज़ोर से सभी बातें कहें और लोगों को बतायें कि सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है । क्या यह प्रचार है ? डा० काटजू ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है । उन्होंने बताया है कि इस बार अनुसूचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिये १,१८,००,००० रुपया रखा गया है, किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने विद्यार्थियों के आवेदनपत्र नामंजूर किये गये हैं और क्या इतना रुपया सभी के लिये पर्याप्त है ?

श्री बर्मन : मैं माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे दी गई हैं । इस श्रेणी में पिछड़े वर्ग भी सम्मिलित हैं ।

श्री वेलायुधन : हमें ऐसे मामलों का पता है, जिन में कई अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के आवेदनपत्र भी अस्वीकृत हुए हैं ।

श्री बर्मन : कोई कारण अवश्य होगा । सभी अर्हता-प्राप्त विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां दी गई हैं । मैं बोर्ड का सदस्य हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं इस जानकारी के लिये श्री बर्मन का आभारी हूं । किन्तु मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूं । मेरे पास आंध्र और मद्रास के बीसियों विद्यार्थियों के पत्र आये हैं कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं लगा कि क्या उन के आवेदन पत्र स्वीकार किये गये हैं अथवा नहीं । क्या श्री बर्मन इस का स्पष्टीकरण कर सकते हैं ?

इस के बाद डा० काटजू ने कहा है कि लोक सेवा आयोग आयु बढ़ाने के पक्ष में नहीं है । इसी लिये हम कहते हैं कि सेवा आयोगों में हरिजन सदस्य होने चाहियें । हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता के लिये कई वर्षों से एक सदस्य ढूंढ रही है, किन्तु वह उसे प्राप्त नहीं कर पाई । मैं आज उन्हें योग्य व्यक्तियों के नाम बताता हूं, वे उन में से एक को चुन सकते हैं । मुझे यह भी पता है कि सारे ही आयोग अनुसूचित व्यक्तियों के आवेदन-पत्र लेने में हिचकिचाते हैं । मैं मंत्री और विशेषतया उपमंत्री से यह कहना चाहता हूं किन्तु उपमंत्री अभी बाहर जा रहे हैं ।

श्री दातार : क्या मैं मध्याह्न भोजन के लिय भी न जाऊं ?

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं चाहता हूं कि वह मेरी बात सुनें । राज्य सभा में उन्होंने वचन दिया था कि अनुसूचित वर्गों के लोगों को सहायकों के १०० पद दिये जायेंगे—किन्तु क्या वह स्पष्टतया कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग ने उन का विरोध नहीं किया कि इतनी जल्दी १०० पद न दिये जायें बल्कि इस वर्ष २० ही दिये जायें और २० अगले वर्ष और इस प्रकार धीरे धीरे ये पद दिये जायें ।

श्री दातार : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहना अनुचित है । उस ने इस योजना के मार्ग में कभी बाधा नहीं डाली । वास्तव में यह मामला लिया जा रहा है और इसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जावेगा ।

सभापति महोदय : यदि आयोग विरोध भी करता हो, तो भी श्रेय तो मंत्रालय को ही है कि वह उन का विरोध कर रहा है ।

श्री बो० एस० मूर्ति : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । अतः मैं कहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के सेवा आयोगों में एक एक सदस्य हरिजन होना चाहिये । हमें सच्ची बातों का तभी पता लगेगा । मद्रास, आंध्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बहुत सी बातें हो रही हैं । आप ने हमारे लिये १८ प्रतिशत नौकरियां रखी हैं, किन्तु वास्तव में हमें ८ प्रतिशत नौकरियां मिलती हैं । इसलिये आप इस प्रकार हमारा मुख बन्द क्यों करना चाहते हैं ।

जहां तक अस्पृश्यता अधिनियम का सम्बन्ध है वह अब सभा के सम्मुख लाया गया है । हम करपात्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं की कृपा से यह मामला शीघ्र रखा गया है । आप जानते ही हैं कि देवधर और बनारस में क्या कुछ हुआ है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक ये स्वामी लोग हरिजनों के मन्दिरों में प्रवेश का विरोध करते रहें तब तक प्रत्येक हरिजन को उन के इस व्यर्थ गोहत्या विरोधी आन्दोलन का विरोध करना चाहिये । जब वे मानव हत्या चाहते हैं तो हम गोहत्या बन्द करवाने में उन का साथ कैसे दें ? आज से प्रत्येक हरिजन को चाहिये कि वह इस आंदोलन का विरोध करे । स्वामी करपात्री जी को बिना किसी शर्त के अपने कार्यों के लिये क्षमा मांगनी चाहिये ।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आयुक्त के प्रतिवेदन में कही गई कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हरिजनों को अब भी सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की इजाजत नहीं है । आंध्र में अभी तक ऐसा ही होता है । वे बारात नहीं निकाल सकते । यहां तक कि उन को डाकखाने से पोस्टकार्ड इत्यादि खरीदना भी संभव नहीं है । कच्छ में हरिजनों के बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं किये जाते । दिल्ली में भी ऐसा होता है । कुछ समय पूर्व, रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट के अहाते में लगी एक प्याऊ से कुछ हरिजनों को पानी नहीं पीने दिया गया ।

हरिजनों की दशा सुधारने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि मकान बनवाने के वास्ते उन्हें स्थान दिये जायें । मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार इस काम के लिये ५ करोड़ रुपया नियत करे और राज्य सरकारों से भी ऐसा करने के लिये कहे ।

श्री नन्दा ने भूमि सुधारों का उल्लेख किया है, किन्तु मैं बताता हूं कि जहां भी ये सुधार किये गये हैं, वहां वास्तविक कृषक की बजाय छोटे छोटे जमींदारों को ही लाभ पहुंचा है, जोकि सरकारी पदाधिकारियों से मिल-जुल कर भूमि पर अधिकार कर लेते हैं ।

कुटीर उद्योगों के बारे में भी मेरा यह कहना है कि जो हरिजन अपने जीविकोपार्जन के लिये कुटीर उद्योगों में काम करने लग जाते हैं, पदाधिकारी उन के प्रति पूरी सहानुभूति नहीं दिखाते । मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि वह यथाशीघ्र शोध-विलम्ब-काल की घोषणा करे और ऋणी हरिजनों की सहायता के लिये एक विधान प्रस्तुत करे ।

मैं चाहता हूं कि सरकार आयुक्त की सहायता के लिये एक केन्द्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति कल्याण बोर्ड की स्थापना करे, क्योंकि इस समय जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, उस के सभापति का यह ख्याल है कि उन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां नहीं आतीं ।

मैं कुछ शब्द समितियों, प्रतिनिधि मंडलों और मंत्रालयों में हरिजनों के प्रतिनिधित्व के बारे में भी कहूंगा । जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो फिर मंत्रिमंडल में भी उन को उचित प्रतिनिधित्व क्यों न दिया जाये ? जनसंख्या के अनुपात से तीन हरिजन मंत्री होने चाहियें थे । इस का आशय यह नहीं है कि हम इस चीज़ के भूखे हैं, किन्तु उन के हितों की रक्षा के लिये, तथा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय प्रगति के लिये मैं चाहता हूं कि वे पहले के समान उपेक्षित न रहें और जितना भी सम्भव हो उन के लिये किया जाय ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मुझे दुःख है कि अनुसूचित जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहुत विलम्ब के बाद बहस की जा रही है । स्वतंत्रता के बाद और संविधान के पास होने के बाद पांच साल व्यतीत हो गये, परन्तु हरिजनों की नौकरियों की जहां तक हालत है, अवस्था सुधरी नहीं है । मैं ने अभी शेड्यूल कास्ट, आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट को पढ़ा, उस में मैं ने देखा कि फ़र्स्ट, सेकेन्ड और नान गज़ेटेड रैंक में एक भी हरिजन किसी भी डिपार्टमेंट में चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कहीं भी नहीं है । हम ने यह भी देखा कि रेलवे सर्विस कमिशन या दूसरी मिनिस्ट्रियां, और डिपार्टमेंटों के ज़रिये इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज़ को केवल २·८ प्रतिशत नोटिफ़िकेशन दिया गया है । जबकि उन्हें २१ प्रतिशत नोटिफ़िकेशन देना चाहिये था तो क्यों उन्होंने केवल २·८ प्रतिशत नोटिफ़िकेशन उन को दिया है ? नोटिफ़िकेशन देने के बाद में बहुत ही कम हरिजन लिये गये हैं । यदि आप कम्यूनल रोटेशन को देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि हर एक डिपार्टमेन्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रान्च के आफ़िसर्स हैं वे नहीं चाहते हैं कि कोई हरिजन किसी ऊंची नौकरी पर आये और कम्यूनल रोटेशन में चाहे वह प्वाइंट ७, ९, १६ या १८ कुछ भी हो जब हरिजनों या आदिम जातियों का नम्बर आता है तो उस को टालने की कोशिश की जाती है । अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि इलाहाबाद रेलवे सर्विस कमीशन में जहां ८८ आदमियों को नौकरी पर लिया गया है वहां एक भी हरिजन या आदिम जाति के व्यक्ति को नहीं लिया गया है जबकि कायदे के अनुसार ११ हरिजनों को लेना चाहिये था । जब वहां ८८ आदमियों को रक्खा गया तो क्या उन में एक भी जगह के लिये कुशल हरिजन नहीं मिल सका ? उन को नहीं मिल सका क्योंकि वे चाहते हैं कि जान-बूझ कर कम्यूनल रोस्टर को टाला जाय । जब हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहीं पर भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि कम्यूनल रोस्टर का पालन किया जाय और यह कि हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट में यह देखा जाय कि कम्यूनल रोस्टर के मुताबिक काम होता है । मैं चाहता हूं कि हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेन्ट इस बात पर ध्यान रक्खे कि कम्यूनल रोस्टर का पालन किस प्रकार किया जाता है । असल बात तो यह है कि हरिजन का नम्बर ६ प्वाइंट के बाद आता है यानी जब छः आदमी रख लिये जाते हैं तो सातवें पर हरिजन का नम्बर आता है । अगर इस प्वाइंट को अफसर लोग टाल जायें तो फिर १६ प्वाइंट पर कहीं जा कर हरिजन का नम्बर आता है । ऐसी हालत में हरिजनों को अच्छी से अच्छी नौकरी कैसे मिल सकती है ?

[श्री जांगड़े]

मैं ने यह भी देखा कि शड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने लड़कियों की शिक्षा के लिये कुछ भी नहीं किया है। हरिजन और आदिम जातियों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है, यानी एक प्रतिशत भी नहीं। क्या ही अच्छा होता कि जो १ करोड़ और १८ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार कालेज और युनिवर्सिटी शिक्षा के लिये खर्च करती है उस में से कम से कम दो चार लाख रुपया पांचवीं कक्षा से मैट्रिक तक की लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग से रख देती ताकि जो हमारी देश की बहनें हैं वह अधिक से अधिक पढ़ सकें। हरिजनों और आदिम जातियों में लड़कियां बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं हैं।

इस के पश्चात् मैं फोर्सफुल कंवर्शन के सवाल पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे शेड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर ने यह नहीं बताया कि इस देश में मिशनरीज़ आ कर कितना रुपया इस के लिये खर्च करते हैं और स्वतंत्रता के बाद कितने हरिजन और आदिम जातियों के लोग ईसाई हो गये। शायद वह इस को बताने की जरूरत नहीं समझते हैं। हर एक को अपने धर्म और अपने जीवन का भान रहता है पर हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मुझे मालूम है कि खास कर मध्य प्रदेश में कितनी ही ऐसी तहसीलें हैं जहां क्रिश्चियन मिशनरियों का इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारे हजारों हरिजन और आदिम जातियों के लोग वहां पर ईसाई बनतें हैं। मैं तो मिशनरियों को तब धन्यवाद देता जब वह हमारे यहां के सवर्ण जातियों तथा पढ़े लिखे लोगों को ईसाई बनाते। उन बेचारों को उन गरीबों को जिन को अपने जीवन में होश संभालने का आभास नहीं है, रुपयों का प्रलोभन दे कर, दो चार कपड़ों का प्रलोभन दे कर ईसाई बनाना कहां तक जायज़ है इस पर यह सदन विचार कर सकता है। इन चीजों पर हमारे कमिश्नर साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा है।

इस के उपरान्त मैं इस बात पर आता हूं कि कान्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हरिजनों और आदिम जातियों को हर जगह उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। मध्य भारत और मध्य प्रदेश में जहां हरिजनों और आदिम जातियों की संख्या बहुत अधिक है। वहां पर हरिजनों के लिये अलग मंत्री रह सकेगा और अलग डिपार्टमेंट भी रह सकेगा, ऐसा बताया गया है "मे डाइरेक्ट" ऐसा शब्द लिखा गया है। लेकिन सन् १९५१ के पहले मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हरिजन था और दो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। अब वहां केवल दो डिप्टी मिनिस्टर हैं कैबिनेट रैंक का एक भी मिनिस्टर हरिजन नहीं है जबकि उस प्रदेश में हरिजनों या अनुसूचित जातियों की संख्या करीब ३५-४० लाख की है। और हरिजनों के लिये अलग डिपार्टमेन्ट तो वहां अब भी नहीं है।

अभी हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा कि सिंचाई, सड़क और जेनरल एजुकेशन से हरिजनों को और आदिम जातियों को फायदा तो पहुंचता ही है। लेकिन उन के लिये इस फायदे को कौन रोक सकता है? मुझे पता है कि उन्होंने आदिम जातियों के सम्बन्ध में कहा था कि ४ करोड़ रुपया नेग्लिजिब्ल ऐमाउन्ट नहीं है। मैं भी मानता हूं कि यह कम ऐमाउन्ट नहीं है। लेकिन इन अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्रों में यदि आप ४ क्या १० करोड़ रुपये भी खर्च करें तो भी उन लोगों के साथ न्याय नहीं होता आप उनके साथ कोई रियायत

नहीं करते हैं । मैं आप को मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं । वहाँ का जो अनुसूचित क्षेत्र है यदि वहां पर आदिम जाति के लोग न होते तो भी सरकार वहां रेलवे, रोड्स, इरिगेशन, कुएं, पर जेनरल डेवेलपमेन्ट के लिये खर्च करती या नहीं ? इस के अतिरिक्त भी वहां पर कोई रियायत आप ने इन आदिम जातियों के लोगों को दी है या नहीं यदि आप इस की जांच करेंगे तो आप को पता लगेगा कि उन लोगों की आप ने कोई खास सेवा नहीं की है ।

हरिजनों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि साहब, एफिशिएन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन, कुशल शासन को देखते हुए हम हरिजनों को कोई विशेष सुविधा नहीं दे सकते । अगर उन को नौकरी पर नहीं लेना चाहते तो यह कह देते हैं कि लोक सेवा आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है जो कुछ वह करे उस के लिये हम कुछ नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि सब से ऊंची संस्था यह संसद् है । यह संसद् लोक सेवा आयोग के रूल्स में संशोधन कर सकती है । यह संशोधन ला कर के हमारे हरिजन भाइयों को अधिक से अधिक संख्या में वहां ला कर बिठा सकती है । पांच साल बीत चुके हैं, पांच साल और बाकी हैं, अगला एलेक्शन जो होने वाला है वह आखिरी एलेक्शन होगा, क्या आप ४० साल के बाद हमें हमारा पूरा परसेन्टेज देंगे । क्या हमारा रिजर्वेशन है उसी को ले कर हम गुलाम बने रहेंगे ? हम कब तक इस चीज को अपने गले में लटकाये रहेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता । सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि जब अब केवल पांच साल रह गये हैं तो किसी भी तरीके से हो हरिजनों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय । आज कहीं हजारों लाखों हरिजनों में से एक हरिजन नौकरी पर जाता है । जब हम में से एक हरिजन सब इन्स्पेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है तो लाखों हरिजनों को गौरव होता है और वे उस एक आदमी से उत्साह लेते हैं । एक हरिजन भी सरकारी नौकरी पर चला जाता है तो उस से हम लोग इन्स्पिरेशन लेते हैं ।

अब मैं पब्लिक सर्विस कमिशन के मामले पर आता हूं । चार पांच साल पहले यहां श्री राजगोपालाचार्य होम मिनिस्टर थे मैं ने उन से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि रिटेन एग्ज़ामिनेशन में तो दो चार हरिजन पास भी हो जाते हैं लेकिन वाइवा वोसी में वह फ़ेल कर दिये जाते हैं । मुझे डर है कि वह इसलिये नहीं फ़ेल हो जाते कि उन में कोई दोष है बल्कि इसलिये कि अफसरों का माइन्ड प्रेजुडिस्ड है । उस को अभी तक दूर नहीं किया गया है । मैं खादी पहनता हूं, जब कभी कोई आदमी खादी पहने हुए या भारतीय वेष भूषा में अफसरों के सामने जाता है तो उस को अफसरों की निगाहों में नगण्य गिना जाता है । वह कहते हैं :

"आप को एक पदाधिकारी की वेश-भूषा में रहना चाहिये, और वैसा ही व्यवहार करना चाहिये ।"

यह उन की मेन्टैलिटी है । जब तक यह मेन्टैलिटी रहेगी तब तक कोई भी हरिजन या आदिम जाति का आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, नौकरी में भी आगे नहीं बढ़ सकता है । यह जो मेन्टैलिटी है इस को सरकार ने क्यों दूर नहीं किया यह मेरी समझ में नहीं आता । इसीलिये हमारे हरिजन भाई या जो शोषित समाज के लोग हैं वे पब्लिक सर्विस कमिशन की इंटरव्यू में जा कर फेल होते हैं और जो लोग अंगरेजी वेश-भूषा के और फैशन के पुतले होते हैं वह लिये जाते हैं । भारतीय वेश-भूषा के लोगों को नहीं लिया जाता है । और इसी मेन्टैलिटी के कारण

[श्री जांगड़े]

हमारे भाई पीछे रहते हैं । सूट बूट पहिनने वालों की कद्र होती है और धोती पहिनने वालों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है । मैं इन सब चीजों पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इस के उपरान्त छुआ छूत के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना था पर क्योंकि उस के लिये अलग बिल आ रहा है, इसलिये अभी बोलना बेकार होगा । साथ में मैं बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन के बारे में भी कह देना चाहता हूं । बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन को बने हुए साल भर हो गया । बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ लेकिन डिलिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट पर हो गया । क्या आप समझते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन की रिपोर्ट पर फिर जातियां नहीं घटाई या बढ़ाई जायेंगी ? चूंकि १९११, १९२१, १९३१ और १९४१ की जन संख्या के अनुसार कुछ जातियों के आंकड़े नहीं मिले, तो उस पर सरकार कैसे अमल करेगी यह मेरी समझ में नहीं आता । उन्होंने जो डिलिमिटेशन कमिशन बनाया है मैं समझता हूं कि उस पर लाखों रुपया बरबाद कर दिया । बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद यह जानने के लिये अनुसूचित जातियां घट गईं या बढ़ गईं आप को फिर से सेन्सस करना पड़ेगा, साथ में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्याओं को भी फिर निर्धारित करना पड़ेगा । उस के बाद फिर आप को कान्स्टिटुएन्सीज को डिलिमिट करना पड़ेगा । जब सरकार यह समझती थी कि बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन की रिपोर्ट अभी नहीं आई है तो उस ने पहले डिलिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट को क्यों पास किया । बैकवर्ड क्लासेज कमिशन ने साल भर हो गया अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी, डिलिमिटेशन कमिशन ने रिपोर्ट दी है, लेकिन उस को सदन के सामने नहीं रक्खा गया । अभी वह स्टेट्स के पास जायगी उस के बाद इस सदन में आयेगी । उस के अनुसार कुछ जातियां घट जायेंगी और कुछ बढ़ जायेंगी । इस के बाद जब एलेक्शन होगा तो डिलिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद बैकवर्ड क्लासेज़ कमिशन की रिपोर्ट पर विचार करना इस सदन के लिये कोई लाभदायक चीज नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी और सरकार इस बात पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करें और विचार करने के बाद जो भी उचित हो करें । १९५६-५७ की इलैक्शन तो हरिजनों और आदिम जातियों का नेक्स्ट और अन्तिम चुनाव है । शिक्षा विभाग की बात गृह मंत्री करते हैं परन्तु दूसरे मामलों पर चर्चा करने का मौका ही नहीं देते । कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन उन के उत्तर में कह दिया जाता है 'मुझे पूर्वसूचना चाहिये, मुझे पूर्वसूचना चाहिये' । मुझे उन की तरफ से ऐसे जवाब सुन कर बहुत दुख होता है । जब हम १० दिन पहले या २० दिन पहले सवाल लिख कर दे देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे क्यों इतने ज्यादा अर्से में सारी इनफर्मेशन इकट्ठी नहीं कर लेते । शायद वे फाइल पढ़ते ही नहीं ।

इस के इलावा होम मिनिस्टर साहब को कई खत लिखे जाते हैं लेकिन उन का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता । दो साल हुए मैं ने अपने निजी फायदे के लिये नहीं बल्कि कम्युनिटी के फायदे के लिये एक पत्र गृह मंत्री जी को लिखा था जिस का कि उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा । अगर मैम्बरों के पत्रों के ही उत्तर नहीं दिये जायेंगे तो जो छोटे मोटे आदमी पत्र लिखते हैं उन का जवाब कैसे दिया जा सकता है ।

मैं यह जानता हूं कि गवर्नमेंट को हमारे साथ पूरी सिम्पथी है और यह बात उस वक्त साबित हो गई थी जब हम डिलिमिटेशन कमिशन एक्ट में सुधार करने पर विचार कर रहे थे । उन्होंने हमारी राय को स्वीकार किया । अभी हमारे मित्र कुरील साहब ने कहा कि अगर हरिजनों की हालत में सुधार न किया गया तो हरिजन बगावत कर देंगे और हिन्दुस्तान में राइट्स हो जायेंगे । मैं इस बात का विरोध करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि यहां पर बगावत होने का या राइट्स के छिड़ जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । हम अहिंसा को पसन्द करते हैं । हम एकता को पसन्द करते हैं । हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की तमाम जातियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें । इन हालात में हिन्दुस्तान में बगावत होने की कोई वजह नहीं है । हम बगावत नहीं होने देंगे । जमाना स्वयं १०-२० वर्षों में हरिजन हिन्दू का भेद नहीं रखेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हरिजनों की दशा सुधारने का प्रयत्न उन को करना चाहिये । जो कुछ भी हम ने कहा है मैं गृह-मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह उस को ओफैंसिव मूड में न लें, यह समाज का रोना है और इस देश के करोड़ों हरिजनों और आदिम जातियों की पुकार है और मैं अर्ज़ करता हूं कि वे इन की पुकार को सुनें और इस पर अमल करें ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जब बैकवर्ड क्लासिस कमिशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ जाये तो वह उसे जल्दी से जल्दी इस सदन में पेश करे और उस पर बहस करने का मौका दे ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली–रक्षित––अनुसूचित जातियां): तीन साल लगातार प्रार्थना करने के बाद यह पहला मौका है कि मुझे इस सदन में शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर बोलने का मौका मिला है । दिल्ली से मैं लोक-सभा का सदस्य हूं और जब से मैं इस सभा के अन्दर आया हूं तब से मैं बराबर लिख रहा हूं कि हरिजनों को प्राइमरी से ले कर एम० ए० तक की शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिये । दिल्ली केन्द्रीय सरकार के मातहत है और खास तौर से जो दिल्ली यूनिवर्स्टी है वह केन्द्रीय सरकार के अधीन है और उस का कंट्रोल उस के हाथ में है । इस सम्बन्ध में मैं ने बहुत से पत्र लिखे हैं, बहुत सारे प्रश्न भी इस सदन में किये हैं किन्तु उन सब प्रश्नों के उत्तर में यही कहा गया है कि यह मामला अंडर कंसिड्रेशन है । यह कंसिड्रेशन कितने साल तक चलती रहती है, यह मेरी समझ में नहीं आया । तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि वह हरिजनों का उद्धार करना चाहती है और हरिजनों को आगे ले जाना चाहती है, और उस की उन्नति करना चाहती है, जैसा कि गृह मंत्री जी ने अभी कहा और अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर दिया तो इन को निःशुल्क शिक्षा जरूर दी जानी चाहिये । तमाम हिन्दुस्तान में जितने भी हरिजन छात्र है उन को पहली जमायत से ले कर ऊंची से ऊंची कक्षा तक उन से कोई फीस नहीं ली जानी चाहिये । मुझे इस का बहुत कटु अनुभव है कि जब एक बच्चा मैट्रिक पास करता है या हायर सेकेंडरी का इमतहान पास करता है और उस के बाद कालेज में दाखिल होने के लिये जाता है तो उस के सामने एक बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो जाती है और वह समस्या रुपये की होती है । जब कोई कालेज में दाखिल होने के लिये जाता है तो उस को सैंकड़ों रुपये फीस इत्यादि के खर्च करने पड़ते हैं । शुरू में ३ या ४ महीने की फीस ली जाती है और उस के साथ साथ उस को पुस्तकें भी खरीदनी पड़ती हैं । यह रुपया वह कहां से लाये और कैसे अदा करे,

[श्री नवल प्रभाकर]

यह एक कठिन समस्या उस के सामने आ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि तमाम हिन्दुस्तान के लिये यह फैसला कर दिया जाय कि जो भी हरिजन हैं उन को एम० ए० तक फ्री शिक्षा दी जायेगी । इस के अलावा यह भी हो जाना चाहिये कि जो छात्रवृत्ति होगी वह भी उसे दी जायेगी । मैं ने जो पत्र लिखे हैं उन के जवाब में मुझे बताया गया है कि जो भी हरिजन लड़के पास होते हैं और कालेज में दाखिल होने जाते हैं उन को छात्रवृत्ति दी जाती है । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब ये बच्चे कालेज में दाखिल होने जाते हैं और उन के सामने रुपये की समस्या खड़ी हो जाती है, उस को भी हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं पुलिस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस के बारे में मैं ने दिल्ली सरकार को कई पत्र भी लिखे हैं और उन के नोटिस में मैं ने यह चीज़ लाई है कि पुलिस में हरिजनों की भर्ती करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । मैं ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को भी पत्र लिखे हैं लेकिन उन की तरफ से कोई एकशन नहीं लिया गया । प्रदेश कांग्रेस के प्रधान श्री सी० के० नायर ने भी होम मिनिस्टरी के बजट के समक्ष कहा था कि आज भी दिल्ली में हरिजनों को पुलिस में बिल्कुल भर्ती नहीं किया जाता । मैं एक दो मिसालें आप के सामने पेश करना चाहता हूं जिस से आप को यह पता लगेगा कि किस बिना पर इन को रिजैक्ट कर दिया जाता है । एक हरिजन लड़का जोकि ग्रैजुएट था ए० एस० आई० की पोस्ट के लिये गया । बड़ा नौजवान और खूबसूरत होने के अलावा कद वगैरह में वह सब शर्तें पूरी करता था । इन सब चीजों में पास होने के बाद जब वह इंटरव्यू में गया तो उस से पूछा गया कि वह किस कम्युनिटी को बिलौंग करता है जिस के जवाब में उस ने कहा कि वह चुमार कम्युनिटी को बिलौंग करता है । जब उस से पूछा गया कि उस के पिता क्या काम करते हैं तो उस ने कहा कि वह जूते बनाते हैं । इस के बाद उस को बताया गया कि सिर्फ उन लोगों को पुलिस में नौकरी मिलती है जिन के बाप पुलिस में होते हैं और चूंकि आप का बाप पुलिस में काम नहीं करता इसलिये आप को नौकरी नहीं मिल सकती । सारी शर्तें पूरी करने के बावजूद इस को सिर्फ इस बिना पर रिजैक्ट कर दिया गया कि उस का बाप पुलिस में काम नहीं करता था । इसी तरह का एक केस पिछले दिनों मेरे नोटिस में आया और मैं ने उसे गृह-मंत्री जी के पास भेज दिया । उस का उत्तर मुझे यह आया है कि मेरे कागज फलां जगह भेज दिये गये हैं और उस जगह से वे दूसरी जगह भेज दिये गये हैं । इस पत्र पर अन्तिम फैसला क्या हुआ इस के बारे में मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं लग सका है ।

इस के बाद मैं मकानों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । दिल्ली में जब मैं इस सदन में खड़ा होता हूं और इस भवन को देखता हूं और इस भवन की आस पास की सड़कों को देखता हूं और इन सड़कों पर चलती मोटरों को देखता हूं, और इन सड़कों के आस पास खड़े महलात को देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ तो ऐसी आकर्षक चीजें हैं लेकिन दूसरी तरफ जैसे मकानों में भंगी वगैरह रहते हैं उन को देख कर घृणा होती है । जैसे मकानों में वे रहते हैं और जिस प्रकार का जीवन वह व्यतीत करते हैं मैं समझता हूं कि एक कुत्ता भी उन से अच्छी तरह रह सकता है । वे इतने ज्यादा छोटे गन्दे, मैले और भद्दे

मकानों में रहते हैं कि देखने वाले के हृदय में हैरानी और घृणा के सिवा कुछ भी नहीं पैदा होता । मैं गृह-मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह जा कर देखें कि कैसी बुरी हालत में ये लोग रह रहे हैं । आप मोती नगर में जायें, बापा नगर में जायें तो आप देखेंगे कि कितनी बदतर हालत में ये लोग पड़े हुए हैं । म्युनिसिपल कमेटी में जो भंगी काम करते हैं, और दूसरे सरकारी दफतरों में जो हरिजन काम करते हैं उन के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं । इस वास्ते मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि इन लोगों के रहने के लिये वह अच्छे मकानों का प्रबन्ध करे ।

अब मैं जो रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है केन्द्रीय सरकार की तरफ से उस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यहां से कहा जाता है कि इतना रुपया सैंकशन हो गया है जोकि आप हरिजनों पर खर्च कर सकते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि साल खत्म हो जाता है लेकिन कुछ भी रुपया खर्च नहीं किया जाता । जो थोड़ा बहुत रुपया खर्च भी किया जाता है वह भी एडमिनिस्ट्रेशन पर ही खर्च किया जाता है । इस की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

इस के बाद मैं कुछ थोड़ा सा दिल्ली की बैकवर्ड क्लासिस के सम्बन्ध में खास तौर से कहना चाहता हूं ....

सभापति महोदय : २-३० बज गये हैं । हमें दूसरा कार्य करना है । माननीय सदस्य अगले सत्र में अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २२ दिसम्बर, १९५४ को सभा में पेश की गई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

यह प्रतिवेदन आज की चर्चा के लिये नियत किये गये विधेयकों के लिये समय के आवंटन के सम्बन्ध में है । यह आवंटन परिशिष्ट २ में दिया हुआ है । श्री यू० सी० पटनायक द्वारा प्रस्तुत किये गये भ्रष्टाचार निरोध (संशोधन) विधेयक के लिये २ घंटे, श्रीमती खोंगमेन के द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक के लिये २½ श्रीमती उमा नेहरू के महिला तथा बाल संस्था लाइसैंस विधेयक के लिये २ घंटे और डा० एन० बी० खरे के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाज़ी विधेयक के लिये १½ घंटा नियत हुआ है । दूसरी बात तीन विधेयकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में तय की गई है । सारे विधेयक वर्ग 'ख' में रखे गये हैं । सभा उस प्रतिवेदन को स्वीकार करे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : विद्युत् संभरण (संशोधन) विधेयक के बारे में मैं सभा से निवेदन करती हूं कि यह समिति के पुनर्विचार के लिये रोक लिया जाये, ताकि मैं अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकूं और समिति इस विधेयक को जिस वर्ग में उचित समझे, रख सके । श्री आल्तेकर को मैं ने एक पत्र के द्वारा यह सूचित किया था कि यह विधेयक उस समय तक प्रस्तुत न किया जाये, जब तक मैं समिति के सम्मुख आ कर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त न कर दूं । किन्तु श्री आल्तेकर ने न तो कोई पत्र भेजा और न आने को ही कहा । इसी कारण मैं यह निवेदन कर रही हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो बात कही है, श्री आल्तेकर उस का उत्तर, यदि देना चाहें, तो दे सकते हैं ।

श्री आल्तेकर : समिति की बैठक २१ दिसम्बर को तय हुई थी । २० तारीख को तीसरे पहर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती मुझ से मिलीं और कहा कि विधेयकों के वर्गीकरण के लिये बैठक में उपस्थित होने के लिये उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है । मैं ने उन से कहा कि मैं सूचना दे दूंगा । कार्यालय में मैं ने मौखिक सूचना दे दी थी । जब दूसरे दिन बैठक हुई, तो मैं ने इस विषय में एक पत्र देखा । जब मैं ने कार्यालय से पूछा, तो मुझे मालूम हुआ कि उन के विधेयक के समान ही एक विधेयक, जोकि पहले श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा पुरःस्थापित किया गया था, वर्ग 'ख' में रखा गया था और पन्द्रहवें प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के समय सभा उस से सहमत हो चुकी है । क्योंकि वह विधेयक वर्ग 'ख' में रखा गया था, अतः ठीक उसी प्रकार के इस विधेयक को दूसरे वर्ग में नहीं रखा जा सकता । इसी कारण, उन को कोई सूचना नहीं दी गई । जब तक श्री एच० एन० मुकर्जी और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा सभा के उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नहीं रखा जाता, इस का पुनःवर्गीकरण करना सम्भव नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं इस के पूर्व यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक आज सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी नहीं । एक प्रावैधिक बात उठाई गई है और मैं उस को ठीक करना चाहती हूं । यदि यह प्रतिवेदन पारित कर दिया जाता है तो इसे दुबारा प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति नहीं मिलेगी ।

सभापति महोदय : जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि समिति हमेशा सदस्यों की बात सुनती है और यदि आवश्यक समझती है, तो समय में परिवर्तन कर देती है । यदि श्री एच० एन० मुकर्जी और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती यह चाहती हैं कि समय में परिवर्तन किया जाये, उन के विधेयक अन्य वर्ग में भेज दिये जायें, तो वे समिति से इस सम्बन्ध में निवेदन कर सकते हैं । मेरा ख्याल है कि जहां तक श्री एच० एन० मुकर्जी के विधेयक का सम्बन्ध है, सभा द्वारा निर्णय किया जा चुका है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे विचार में श्री आल्तेकर भूल रहे हैं । मेरा विधेयक श्री साधन गुप्त के विधेयक के समान है । मैं ने विशिष्ट रूप से यह कहा है कि मुझे अपने मामले के बारे में विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाये । पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण विकास हो रहा है, अतः मैं चाहती हूं कि विद्युत् संभरण अधिनियम में संशोधन किया जाये ।

सभापति महोदय : इस विशिष्ट विधेयक के बारे में सभा में निर्णय किया जा चुका है, अतः समिति को उसी प्रश्न के बारे में पुनर्विचार करने में कठिनाई हो सकती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह विधयक दूसरे के नाम में था और यह मेरे नाम में है ।

सभापति महोदय : नामों का कोई महत्व नहीं है । केवल यह देखा जाता है कि विधेयक का विषय क्या है । माननीय सदस्य यदि चाहें, तो यह प्रस्ताव कर सकती हैं कि सभा इस वर्तमान विधेयक पर पुनर्विचार करे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसीलिये मैं ने यह बात उठाई थी कि मेरा विधेयक

अगली बार तक पुनर्विचार हेतु रोक लिया जाये ।

श्री आल्तेकर : कठिनाई यह है कि सभा ने प्रथम विधेयक को वर्ग 'ख' में रखा है, और जब तक उस का पुनरीक्षण नहीं होता, तब तक समिति इस विधेयक को वर्ग 'क' में नहीं रख सकती ।

सभापति महोदय : कोई कठिनाई नहीं है । जहां तक समिति का सम्बन्ध है, यह समय नियत करती है और सभा ने प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है । अब समिति को समय अथवा वर्ग के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । सभा को इस सम्बन्ध में पूरा अधिकार है, और यदि अब भी माननीय सदस्य प्रस्ताव करती हैं, तो सभा उस पर विचार कर सकती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि श्री साधन गुप्त के विधेयक के साथ मेरे विद्युत् संभरण (संशोधन) विधेयक को वर्ग 'क' में रखा जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री साधन गुप्त के नाम से प्रस्तुत विद्युत् संभरण (संशोधन) विधेयक को वर्ग 'क' में रखा जाये ।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे 'हां' कहें ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मत देने के पूर्व हमें मालूम होना चाहिये कि हम किस बात के लिये अपना मत दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे विधेयक के सम्बन्ध में जानते होंगे, क्योंकि इस की प्रतियां माननीय सदस्यों के पास भेज दी गई हैं । यदि माननीय सदस्य इस समय बुद्धिमत्तापूर्वक मत नहीं दे सकते, तो मैं इस को और किसी समय के लिये स्थगित करता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ऐसा करना अधिक अच्छा होगा, क्योंकि इस बीच में हम श्री आल्तेकर के विचार सुन सकेंगे और यह जान सकेंगे कि उन्हों ने इस विधेयक को वर्ग 'ख' में ही क्यों रखा ।

सभापति महोदय : अब श्री आल्तेकर को बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा । प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका है और सभा ने उस को स्वीकार भी कर लिया है । अब सभा ही अपने निर्णय को बदल सकती है ।

मैं इस प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पर चर्चा को अगले सत्र के लिये स्थगित करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४९७ का संशोधन)

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री डाभी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक]

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धर्म परिवर्तन के विनियमन तथा किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन में सहायता देने वाले व्यक्तियों के पंजीयन तथा लाइसेंस की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि धर्म परिवर्तन के विनियमन तथा किसी व्यक्ति को धर्म-परिवर्तन में सहायता देने वाले व्यक्तियों के पंजीयन तथा लाइसेंस की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि नियमानुसार प्रस्तावक को पहले वक्तव्य देना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से नियम ८९ के अन्तर्गत एक व्याख्यात्मक वक्तव्य इस सम्बन्ध में देने के लिये कहता हूं ।

श्री जेठालाल जोशी : मेरी समझ में नहीं आता कि आरम्भ में ही इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है । वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य संविधान द्वारा दी गई किसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधा डालना नहीं है और न उस में किसी प्रकार की कमी करना ही है ।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस विषय पर ठीक ठीक आंकड़े देने वाली कोई व्यवस्था इस समय देश में नहीं है । संघ सूची के विषयों में, प्रविष्टि ६९ में जनगणना का उल्लेख किया गया है । इस कारण मेरा यह विधेयक भी उसी प्रविष्टि के अन्तर्गत आ जाता है ।

हम जन्म-मृत्यु व विवाह तथा तलाक आदि के विभिन्न रजिस्टर रखते हैं । इस विधेयक के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन करना चाहने वालों का भी एक रजिस्टर होना चाहिये । इस से किसी व्यक्ति को अपने धर्म परिवर्तन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी और न कोई रुकावट ही पड़ेगी ।

श्री पोकर साहेब : प्रस्तावक महोदय के कथनानुसार विधेयक का उद्देश्य आंकड़े देना है, किन्तु विधेयक के उपबन्धों को देखने से पता लगता है कि यह तो विधेयक का गौण उद्देश्य है । विधेयक का वास्तविक उद्देश्य तो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने पर नियंत्रण लगाना है ।

मैं इस के विस्तार में न जा कर केवल यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा तो धर्म परिवर्तन उसी दशा में हो सकता है जबकि ज़िलाधीश इस के लिये अनुज्ञप्ति दे और ज़िलाधीश को यह भी अधिकार है कि वह जैसी चाहे शर्तें लगा सकता है । वह चाहे तो इस प्रकार के आवेदन पत्र को अस्वीकार भी कर सकता है । इस का तो अर्थ यह हुआ कि संविधान के अनुच्छेद २५ में हमें जो मूल अधिकार दिया गया है, यह चीज़ उस के विपरीत हो जाती है ।

इस प्रकार हम देखेंगे कि इस विधेयक के द्वारा तो स्वतंत्रतापूर्वक धर्म का पालन तथा प्रचार करने में बाधा पड़ेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिये धर्म परिवर्तन कर सकना केवल उसी दशा में सम्भव होगा जबकि ज़िलाधीश उस के आवेदन पत्र को

स्वीकार कर ले, अन्यथा नहीं । अतः मैं तो कहूंगा कि ऐसा विधेयक पारित करने के लिये संसद् को अधिकार नहीं है ।

सभापति महोदय : आपत्ति संक्षेप में की जानी चाहिये । विधेयक के उपबन्धों पर इस समय चर्चा करना सम्भव नहीं, क्योंकि अभी विधेयक माननीय सदस्यों के पास नहीं है ।

नियम ८९ के अन्तर्गत जो भी सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद २५ खण्ड (१) के उपबन्धों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है । इस विधेयक से किसी भी व्यक्ति के लिये किसी प्रकार की धर्म-सम्बन्धी बाधा नहीं आने पाती । हां, इतना अवश्य है कि प्रत्येक धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा, किन्तु इस का तात्पर्य यह नहीं कि किसी धर्म विशेष का पालन अथवा प्रचार करने में उस पर कोई रोक-टोक लग जाती है । यह विधेयक तो वास्तव में विनियमकारी उपाय है । इस प्रकार नाम दर्ज कराने से तो अनेक लाभ होंगे । एक लाभ इस प्रकार नाम दर्ज कराने से यह भी होगा कि अल्पवयस्कों, स्त्रियों तथा बच्चों आदि को फुसला कर या धमका कर उन का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । अतः इस विधेयक पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : श्री पोकर ने बताया कि सम्बन्धित पदाधिकारी की अनुमति के बिना धर्मपरिवर्तन कर सकना सम्भव नहीं होगा । यदि वास्तव में ऐसी बात है तो निश्चय ही यह संविधान के अनुच्छेद २५ के विपरीत हो जायेगा और अधिकार के बाहर समझा जायेगा । मेरे विचार से पदाधिकारी की नियुक्ति करने में तो व्यर्थ ही व्यय भी होगा ।

श्री टेक चन्द कोई खण्ड भले ही अधिकार के बाहर हो, किन्तु विधेयक नहीं हो सकता ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी-दक्षिण) : हमें देखना यह चाहिये कि विधेयक का शीर्षक तथा उद्देश्य संविधान के विपरीत न हो । तो यह विधेयक पुरःस्थापित किये जाने योग्य है । इस समय तो विधेयक के केवल पुरःस्थापित करने का प्रश्न है । अधिक चर्चा करना तो समय से पूर्व होगा ।

मेरे विचार से विधेयक के शीर्षक में कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान के शब्दों के विपरीत हो । धर्म परिवर्तन चाहे कैसा भी हो, विधेयक का इस से सम्बन्ध नहीं है । विधेयक के शीर्षक में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस से किसी प्रकार की रुकावट पड़ती हो । अतः मेरा तो निवेदन यह है कि उक्त विधेयक संविधान के विपरीत नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने के लिये इसे सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं । इस के लिये अनुमति देना या न देना सभा पर निर्भर करता है ।

प्रश्न यह है :

> "कि धर्म परिवर्तन के विनियमन तथा किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन में सहायता देने वाले व्यक्तियों के पंजीयन तथा लाइसेन्स की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । . . .

श्री जेठालाल जोशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं । .

महिला तथा बाल संस्था लाइसेंस विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा श्रीमती उमा नेहरू द्वारा १० दिसम्बर, १९५४ को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, यथा :

> "कि महिलाओं तथा बालकों की देख-भाल करने वाली संस्थाओं का विनियमन करने तथा अनुज्ञप्ति देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक पर अब तक ५९ मिनट तक विचार किया जा चुका है और ६१ मिनट अभी अग्रेतर चर्चा के लिये और शेष हैं ।

श्री धुलेकर अपना भाषण पुनः जारी करें ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी–दक्षिण) : सभापति महोदय, जब मैं पहले बोल रहा था तो मैं कह रहा था कि यदि हमारे ला मिनिस्टर महोदय इस बिल पर विचार करने के बाद यदि इस को सरकार की ओर से अपने हाथों में ले लें और इसको एक सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दें तो अधिक अच्छा होगा । मैं ने यह भी बतलाया था कि हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों और बच्चों की रक्षा बहुत कम की जाती है और इसलिये इस प्रकार का बिल यहां पर उपस्थित करने का प्रयास होना बहुत ही आवश्यक है । प्राइवेट मैम्बर्ज़ के बिल्ज़ बहुत से आते हैं । उन को पहले तो बैलट में ही आने का मौका नहीं मिलता और बैलट में भी अगर कोई आ जाता है तो भी बिल पेश करने वालों को उन के पारित कराने में बहुत कठिनाई होती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि ला मिनिस्टर महोदय इन सब बातों पर विचार करे ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल की चन्द धाराओं में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो थोड़ी बहुत अगर बदल दी जायें तो बिल बहुत अच्छा हो जायेगा और ठीक ढंग से काम करने लगेगा । और स्त्रियों और बच्चों की रक्षा भी हो सकेगी । धारा २(४) में मैनेजर की डैफीनीशन है । इस में लिखा है :

> "प्रबन्धक" से अभिप्रेत है वह अधिस्वामी और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्त्रीयों अथवा बालकों के प्रबंध की व्यवस्था करता हो । इन शब्दों में शब्द "person" नहीं होना चाहिये क्योंकि person का अर्थ यह होता है कि वह जो इंस्टीट्यूशन या कोई सभा या कोई स्थान रखेगा तो वह उस से लाभ उठायेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि किसी मनुष्य को स्त्रियों को रखने या बच्चों के रखने के स्थान के ऊपर इस प्रकार का कोई हक नहीं होना चाहिये कि वह उस को निजी सम्पत्ति समझे और जो इस में यह लिखा गया कि ऐसे को लाइसैंस दिया जाय तो इस का साफ अर्थ यह है कि बच्चों को रख कर के वह या तो कोई काम करवायेगा या अपने लिये आमदनी पैदा करेगा या इन बच्चों और औरतों को अपने निजी फायदे के लिये दूसरों के हाथों में बेच देगा । इसलिये मैं समझता हूं कि व्यक्ति शब्द को हटा दिया जाय और मैनेजर के मायने केवल प्रबन्धक ही रख दिया जाय और किसी प्रकार की मलकिय्यत किसी भी स्थान पर किसी मनुष्य की नहीं होनी चाहिये, न तो किसी कम्पनी की, न किसी व्यक्ति की ही और न ही उन व्यक्तियों की जो एक समाज बना लें या सभा बना लें । तो जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ऐसी

जगहें किसी की भी निजी सम्पत्ति नहीं होनी चाहियें ।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में यह मान लिया जाना चाहिये कि कोई भी सोसाइटी जो रिजिस्टर्ड न हो उसे चैरिटेबल सोसाइटी हो कर अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह इस प्रकार के स्थान कभी बना सके । या तो वह पब्लिक होनी चाहिये और उस के बाकायदा ट्रस्टीज़ होने चाहियें और या वह रिजिस्ट्रेशन आफ चैरीटेबल सोसाइटी एक्ट के तहत रिजिस्टर होनी चाहियें, किसी निजी मनुष्य की या किसी निजी सभा को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह बच्चों से या स्त्रियों से इस प्रकार से नाजायज़ लाभ उठा सके । इसी प्रकार धारा ३ में लिखा है :

अनुज्ञप्ति प्राधिकार से लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति नहीं ....

इस जगह पर व्यक्ति की जो परिभाषा पहले धारा २ में दी गई है उस में लिखा है :

"व्यक्ति" में संस्था, संथा अथवा व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित है, भले ही वह निगमित न हो, जिस के स्थापन का उद्देश्य यह हो कि, ...

"सम्मिलित है" का अर्थ यह होता है कि उस के मायने और भी हो सकते हैं और उस में कोई और चीज भी सम्मिलित हो सकती है ।

इसलिये इस जगह पर "परसन" के आगे "इनक्लूड्स" शब्द रखा गया है, वहां यह होना चाहिये, "परसन मीन्स एंड इन्क्लूड्स" यानी उस के मानी यह होने चाहियें कि इंस्टीट्यूशन हो या ऐसोसियेशन हो या बाडी आफ इंडीवीजुअल्स हो । इस प्रकार का शब्द अगर नहीं रखा जायगा तो उस का अर्थ यह हो सकता है कि एक आदमी कोई सभा बना के या न भी बना के अपने मकान में बच्चों और स्त्रियों को रख सकता है और नाजायज़ लाभ उठा सकता है ।

उस के बाद दफा १३ में यह लिखा है :

"प्रस्तुत अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक संस्था प्रशासकीय निकाय के प्रबन्ध के अधीन होगी ...."

यह शब्द जो धारा १३ में रखे गये हैं यह उचित नहीं हैं । हम ने "परसन" को वहां डिफाइन कर दिया है इंडीवीजुअल्स से, और यहां पर इस धारा १३ में दिया गया है :

"प्रस्तुत अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक संस्था प्रशासकीय निकाय के प्रबन्ध के अधीन होगी....."

तो यदि कोई उस का मालिक होगा तो गर्वनिंग बाडी न भी रहेगी तो वह क्या करेगा कि अपने चार पांच इष्ट मित्रों को बुला कर रख लेगा और कहेगा कि यह गर्वनिंग बाडी है और फिर नाजायज़ लाभ उठायेगा ।

इस के अतिरिक्त एक धारा में यह रखा गया है कि मैनेजर का यह कर्तव्य होगा कि वह उन बच्चों और स्त्रियों को पढ़ावे, ट्रेन करे, खाना खिलावे और कपड़ा पहनावे । यहां पर जितने अनाथालय या बनिताश्रम हैं उन के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह उन को पढ़ा सकें या ट्रेन कर सकें । जैसाकि मैं ने पहले कहा था ज्यादातर अनाथालयों में बच्चों के द्वारा भीख मंगाई जाती है और स्त्रियों को ज्यादातर रख कर इस बात की कोशिश की जाती है कि उन की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाय, और जो मैनेजमेंट होता है वह शादी करने

[श्री धुलेकर]

वालों से थोड़ा बहुत रुपया भी ले लेता है और अनाथालय को उस से चलाता है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यदि गवर्नमेंट इस को ले ले और हमारे ला मिनिस्टर साहब इस विषय में अपना एक बिल बना के सिलेक्ट कमेटी में भेज दें तो यह भी हो सकता है कि प्रेसीडेंट की आज्ञा इस प्रकार की ले ली जाय कि जो इस प्रकार के लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशन्स हैं उन को सरकार द्वारा चलाया जाय ताकि जो इस में लिखा हुआ है कि बच्चों और स्त्रियों को पढ़ाया जाय और काम सिखाया जाय वह उद्देश्य पूरा हो सके ।

इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक इसी प्रकार का एक विधेयक मनीबेन पटेल के द्वारा भी सभा में पुरःस्थापित किया गया था । मुझे ज्ञात हुआ है कि राज्य-सभा में भी इसी विषय का एक विधेयक पारित हुआ है जो, इस सभा के समर्थन की प्रतीक्षा में है । मुझे यह भी बताया गया है कि २० दिसम्बर को इस सभा में 'स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन नाम के विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है । इस विधेयक के उपबन्ध भी उसी विषय में हैं । मैं माननीय विधि मंत्री से स्थिति जानना चाहूंगा और यदि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करने का कोई संकल्प आयेगा तो आवश्यकता पड़ने पर मैं सभा का मतदान लूंगा ।

विधि मंत्रालय के मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने, मुझे इस स्थिति में एक अवसर प्रदान किया जिस से कि मैं कुछ सदस्यों के सन्देह दूर कर सकूं । स्थिति यह है कि २० दिसम्बर, १९५४ को इस सभा ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक कहते हैं । मैं कहता हूं जहां तक स्त्रियों और लड़कियों का सम्बन्ध है यह विधेयक श्रीमती उमा नेहरू के विधेयक से, जिसे उन्हों ने अभी सभा के समक्ष रखा है अधिक व्यापक है । मैं सदस्यों का ध्यान इस विधेयक के खंड १९ (२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह विधेयक लड़कियों तथा स्त्रियों की संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में है । मैं केवल यही भाग लूंगा । स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन विधेयक के खंड १९ (२) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात राज्य सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस खंड के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्तियों की शर्तों के अलावा किसी संरक्षक गृह की स्थापना अथवा उस का संचालन नहीं कर सकता । इस विधेयक में अन्तर्निहित सामान्य भावना यह है कि ऐसे गृह केवल सरकार द्वारा स्थापित किये जायें । लेकिन अनुज्ञप्ति देने का भी उपबन्ध है जिस से अनुज्ञप्ति देने का उद्देश्य .....

श्रीमती जयश्री (बम्बई उपनगर) लड़कों के बारे में ?

श्री पाटस्कर : मैं इस पर भी कहूंगा । मैं पहिले माननीय सदस्य को कम-से-कम स्त्रियों के सम्बन्ध में संतुष्ट कर दूं । न केवल अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में, बल्कि उससे भी अग्रेतर जितना अधिक हम कर सकते थे, हम कर चुके हैं । क्योंकि विधेयक बनते जा रहे हैं इसलिये मैं सभा को यह बता दूं कि हमने इस विधेयक को अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा, जिस पर हम सहमत हो चुके हैं

आधारित किया है । इसलिये जिस विधेयक का मैं ने अभी निर्देश किया है उस में, स्त्रियों तथा लड़कियों की संस्थाओं के सम्बन्ध में स्त्रियों के पण्य को रोकने के लिये यथा-सम्भव प्रयत्न किये गये हैं । मैं सोचता हूं कि यह मामला इस विधेयक के स्थान में उस विधेयक से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है ।

यह २० दिसम्बर को पुरःस्थापित किया गया था । मैं नहीं जानता कि आप लोगों तथा सभा को इस पर विचार करने के लिये कब समय मिलेगा, किन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह विधेयक के प्रभारी डा० काटजू हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि एक बार विधेयक के पुरःस्थापित हो जाने पर भी मामले को विलम्बित किया जाय । हमारा यह लक्ष्य नहीं है. हम माननीय महिला सदस्यों तथा दूसरे सदस्यों, जोकि इस के समर्थन में बोले हैं के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि सरकार को न केवल स्त्रियों के मामले में बल्कि लड़कों के मामले में भी इस के उद्देश्य से पूरी सहानुभूति है, जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है हम इस विधेयक को ला चुके हैं ।

अब लड़कों का प्रश्न रहता है जैसा कि मेरी माननीय बहिन ने कहा है । लड़कों के बारे में जहां तक हमारा सम्बन्ध है राज्य-सभा द्वारा पारित एक बाल विधेयक है जो यहां प्रेषित किया गया है । पिछली बार जब मैं ने उस की चर्चा सुनी तो कठिनाई यह थी कि यह केवल भाग 'ग' राज्यों पर लागू होता था । यह कठिनाई संवैधानिक उपबन्धों द्वारा पैदा हो गई थी क्योंकि जहां तक किया जाना सम्भव है उस से कुछ अधिक ही सुनने में आता है । मेरा विचार है कि बालकों के लिये गृह इत्यादि खोलने के सम्बन्ध में, चूंकि अपराधी तथा, उपेक्षित, इत्यादि लड़कों के कई वर्ग होते हैं, निर्णय राज्यों द्वारा होना चाहिये । मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि यह सरकार राज्य सरकारों से इस मामले के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है । उन में से बहुतों के पास इस प्रकार के उपबन्ध हैं । उन में से बहुत से सहमत हो गये हैं तथा हमें आशा है कि इन से उचित समय पर एक विधान प्रस्तुत हो सकेगा । जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में हम विधान बना सकते हैं । इस-लिये इस विधेयक में इस के लिये उपबन्ध हैं । लड़कों के सम्बन्ध में हम दूसरे राज्यों से केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे इसे स्वयं करें ।

आप के लाभ के लिये मैं यह कहूंगा कि बाल विधेयक के उपबन्धों पर उसी समय ध्यान दिया जायेगा जबकि दंडाधिकारी की जांच के पश्चात् किसी बालक को उपेक्षित समझा जायेगा । यदि कोई संस्था ऐसे लड़कों का प्रभार लेती है जो उपेक्षित बालक नहीं हैं तो कदाचित् वर्तमान विधेयक के उपबन्धों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा । मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । बाल विधेयक ऐसा उपबन्ध नहीं है कि लड़कों का पोषण करने वाली प्रत्येक संस्था को अनुज्ञप्ति लेनी पड़े । मामले के इस पहलू पर राज्य-सभा में हम इस विधेयक की चर्चा के समय विचार किया गया । यह ज्ञात हुआ कि बालकों का पोषण करने वाली सभी संस्थाओं को अनिवार्य अनुज्ञप्तियां देने में कुछ कठिनाइयां हैं । राम कृष्ण मिशन जैसी संस्थायें लड़कों का पोषण करती हैं, लड़कों के छात्रावास तथा भोजनालय भी हैं । ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई इरादा नहीं था । चर्चा के अधीन विधेयक में ऐसी संस्थाओं

[श्री पाटस्कर]

को भी अनुज्ञप्ति लेनी थी । इस की कदाचित् ही आवश्यकता थी । हम ने सोचा कि ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है । मान्य संस्थाओं द्वारा संचालित लड़कों के छात्रावास हैं, उन के ऊपर एक प्रतिबन्ध लगाना अवांछनीय है जहां तक अपराधी बालकों का सम्बन्ध है उन की देखभाल की जायेगी, क्योंकि कई राज्यों में ऐसे उपबन्ध हैं । जहां तक इन अपराधी बालकों की देखभाल का सम्बन्ध है, हम ने राज्य सरकारों को सूचित किया है, क्योंकि छात्रावास इत्यादि का सरकार द्वारा स्थापित किया जाना पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकारान्तर्गत है । केन्द्रीय सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । राज्य सूची की एक प्रविष्टि के अनुसार भी इसे राज्यों द्वारा किया जाना चाहिये ।

मैं कह सकता हूं कि बहुत से राज्य इसे करने को तैयार हैं । जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, स्त्रियों तथा लड़कियों के सम्बन्ध में यथासम्भव यह काम किया जा रहा है । यह पूछा जा सकता है कि आप यह लड़कियों के सम्बन्ध में ही क्यों कर रहे हैं ; लड़कों के सम्बन्ध में क्यों नहीं कर रहे हैं संविधान में एक उपबन्ध है । हम सब उसे जानते हैं । लड़कियों के हित उपबन्ध बनाने के लिये हम ने उस उपबन्ध का लाभ उठाया । मैं केन्द्रीय सूची की चौदहवीं प्रविष्टि की ओर निर्देश करता हूं । "विदेशों से करार अथवा समझौता करने तथा विदेशों के करार, समझौते तथा अभिसमयों को क्रियान्वित करने ।" हम ने सोचा कि इस प्रविष्टि के अधीन ऐसा करना न्यायोचित होगा । इसलिये लड़कियों के सम्बन्ध में इस व्यापक विधेयक को आगे लाने में हमें किंचित् मात्र संकोच नहीं हुआ । जैसाकि मैं पहिले ही कह चुका हूं लड़कों के सम्बन्ध में यदि आप राज्य-सूची देखें "कारागृह, सुधार गृह, अपराधी सुधार संस्थायें तथा इसी प्रकार की दूसरी संस्थायें तथा इस में जिन व्यक्तियों का व्यौरा दिया गया है, दूसरे राज्यों से व्यवस्था ....." इसलिये यह पूर्णतः राज्य सरकार का मामला है ।

मैं आशा करता हूं कि जो माननीय सदस्य इस विधेयक के उद्देश्य से सहानुभूति रखते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि स्त्रियों तथा लड़कियों के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों की खींच तान से जो कुछ भी किया जा सकता था, किया जा रहा है । लड़कों के सम्बन्ध में भी जहां कहीं हम कुछ कर सकें, कर रहे हैं । हम ने भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में कुछ काम किया है । दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में भी हम अपने दायित्व से नहीं भागना चाहते । माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि संविधान के अधीन ऐसा नहीं किया जा सकता । हम ने राज्यों के साथ इस मामले पर विचार किया तथा राज्यों ने जो कुछ किया है उस का सारांश हमारे पास है । उन में से कुछ पहिले के विधेयकों पर हमारे द्वारा बताई गई बातों के प्रकाश में, पुनर्विचार कर रहे हैं । कुछ इसी मामले पर विचार कर रहे हैं । बहुत से राज्य ऐसे विधेयकों को पुरःस्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं । मैं सोचता हूं कि बम्बई में यह मामला विचाराधीन है । हैदराबाद में इस विधेयक का मसविदा शीघ्र ही प्रस्तुत हो जायेगा । बहुत से राज्य सुझाये गये तरीकों पर विधान बनाने में सहमत हो गये हैं, तथा यह केवल उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है । मेरे विचार से स्वतंत्र सदस्यों द्वारा जो विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं, अथवा किये जाने वाले हैं उन में अग्रेतर कुछ भी करना अवशेष नहीं है । मुझे विश्वास है कि बाल विधेयक अथवा अनैतिक पण्य दमन विधेयक के

सम्बन्ध में अनुभव की गई कठिनाइयों तथा होने वाले सुधारों के सम्बन्ध में हमें जो कुछ कहना हो वह कहना उपयुक्त एवं उचित है ।

मेरा विचार है कि जो कुछ भी संभव हो सकता है वह किया जायगा । मैं आशा करता हूं कि इस आश्वासन एवं वक्तव्य के आधार पर प्रस्तावक महोदय अपना विधेयक वापिस लेंगे ।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी पश्चिम) : इस बिल पर विचार उस समय तक के लिये ऐडजोर्न कर दिया जाय जब तक कि गवर्नमैंट इस विषय पर अपना बिल न लाये ।

श्री टेक चन्द : माननीय मंत्री ने जो आश्वासन दिये हैं और जिन उपबन्धों के बनाने के लिये उन्हों ने कहा है वे वास्तव में व्यापक होंगे, इस के बारे में सन्देह हैं ।

सभी ग़ैरसरकारी विधेयकों को मैं ने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है और मैं कह सकता हूं कि इस का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है । फिर सरकार इस विधेयक से क्यों न लाभ उठाये । यह एक ऐसा मूल विधेयक हो सकता है जिस के बारे में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । अगर यह विधेयक रद्द हो जाता है तो बड़े दुःख की बात होगी । हो सकता है कि व्यापक विधेयक आने में काफ़ी समय लग जाये ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य वाद-विवाद का स्थगन चाहते हैं ?

श्रीमती उमा नेहरू : इस बिल पर विचार करना एडजोर्न कर दिया जाय जब तक कि सरकार अपना बिल न लाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(नई धारा २९४ ख की निविष्टि)

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हज़ारीबाग पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को, उस पर मार्च, १९५५ के अन्त तक राय जानने के लिये भेजा जाये ।"

इस विधेयक की विशेषता बताने से पूर्व मैं इस की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । मैं यह अनुभव कर रहा था कि ऐसे विधेयक की बहुत दिनों से आवश्यकता है और बहुत पहले ही इसे प्रस्तुत कर देना चाहिये था और मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि यदि कुछ और दिनों तक इसे प्रस्तुत न किया गया तो सम्पूर्ण समाज की हानि हो सकती है । यह विधेयक मैं ने १४ अगस्त, १९५३ को प्रस्तुत किया था । उधर राज्य-सभा में ४ दिसम्बर, १९५३ को श्री के० रामा राव ने इसे प्रस्तुत किया । ५ मार्च, १९५३ को राज्य-सभा में इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय उन्हों ने कहा था कि मेरा यह विधेयक स्वयं व्याख्या करने वाला है । उन्हों ने आगे कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा २९४-क का उद्देश्य लाटरी पर नियंत्रण करना है; और इस को नवीनतम बनाने के लिये मैं ने उस में एक और धारा जोड़ी है । वे भारतीय दंड संहिता को एक विधेयक के द्वारा, जो मेरे विधेयक की ही प्रतिलिपि है, नवीनतम बनाने का प्रयत्न कर रहे थे । मैं ने यह बात इसलिये यहां कही है ताकि यह आरोप मेरे ऊपर न लगाया जाय कि मैं ने इस विधेयक की कहीं से नकल की है ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में पहले ही बता चुका हूं कि यह वर्ग-पहेली एक

[श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा]

बुराई है, और इस में समय तथा धन दोनों का ही अपव्यय होता है ।

सभापति महोदय : राज्य-सभा में इस के बारे में सरकार का क्या रुख रहा था ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : उस वाद-विवाद को मैं ने पढ़ा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि डा० काटजू ने यह आश्वासन दिया था कि वे एक ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत करेंगे जो आय-व्ययक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रस्तुत होगा । इस आश्वासन के आधार पर प्रस्तावक महोदय ने अपना विधेयक वापिस लिया था । किन्तु आय-व्ययक सत्र समाप्त हो चुका है, और वह विधेयक न इस सभा में और न उस सभा में प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय : क्या यह वचन दिया गया था कि यह आय-व्ययक सत्र १९५४ के पूर्व प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : जी हां । मुझे पता चला है कि इस बुराई पर नियंत्रण करने अथवा इस के लिये अनुज्ञप्ति रखने के लिये सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी । मैं यह नहीं चाहता कि इस पर अनुज्ञप्ति ही रखी जाय अपितु मैं यह चाहता हूं कि इस को बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय ।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, और वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : विधेयक सरकार के विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय आगामी सत्र से पूर्व हो जायगा ।

सभापति महोदय : क्या इस पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा लाइसैंस जारी करने के बारे में सरकार ने कोई निश्चय किया है ?

डा० काटजू : सभी बातें---नियंत्रण, लाइसैंस तथा बहुत थोड़े धन तक इसे सीमित करने---इस में सम्मिलित हैं । मैं केवल क्रियाशील उपबन्धों का वर्णन कर रहा हूं । चूंकि राज्य सरकारों से भी इस के बारे में परामर्श करना था, इसी कारण देर हुई है । माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि राज्य-सभा में मैं ने श्री रामा राव से यह पूछा था कि क्या उन्हों ने इस के बारे में विधि सम्बन्धी परामर्श लिया है अथवा नहीं । यह आवश्यक है क्योंकि यह सन्देहपूर्ण है कि क्या संसद् इस के बारे में विधि बना सकती है अथवा नहीं, और क्या वर्ग-पहेली को जूआ अथवा शर्त कह सकते हैं । "जूआ अथवा शर्त" के बारे में राज्य सूची-मद संख्या ३४ में विशेष रूप से वर्णन किया गया है । समवर्ती सूची में यह पहली मद है । यह बात ठीक है कि कुछ मामलों के बारे में, जो पूर्णतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, आप अनुच्छेद २५२ के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं । सर्वप्रथम बहुत से राज्यों ने एक संकल्प पारित किया है कि संसद् से कहा जाय कि एकरूपता बनाये रखने के लिये, वह विधि बनाये । इसलिये इस प्रकार के उपबन्ध में एक यह आपत्ति है ।

माननीय सदस्य का प्रस्ताव आज यह है कि जनता की राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय । इसलिये यह वाद-विवाद आगे के सत्र में भी जारी रहे । इतने बीच में आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या विधि सम्बन्धी रूप से उन का विधेयक संसद् के क्षेत्राधिकार में आता है अथवा नहीं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री का सुझाव सुन लिया है; अतः वे अब अपनी राय बना सकते हैं कि

क्या विधेयक के बारे में अभी चर्चा की जाय अथवा जब विधेयक को प्रस्तुत किया जाय तब वे इस की चर्चा के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं माननीय मंत्री का सुझाव स्वीकार करता हूं । इस विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित किया जा सकता है । किन्तु मैं यह चाहता हूं कि यदि सरकार अपना विधेयक प्रस्तुत नहीं करती तो फिर मेरा विधेयक ही मतदान के लिये रखा जाय ।

सभापति महोदय : तब माननीय सदस्य स्वयं ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह एक बहुत सीधा सादा मामला है । मजदूरों को होने वाली कठिनाइयों एवं उन से पहुंचने वाले कष्टों के फलस्वरूप ही यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है । मूल अधिनियम की धारा १७ में 'निदेश' शब्द आया है । यह शब्द बहुत ही व्यापक है एवं इस के निर्वचन के सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस के स्थान पर 'विनिश्चय' शब्द रख दिया जाय ।

इस के अतिरिक्त छोटी छोटी कुछ और भी त्रुटियां हैं जोकि विधेयक के अन्य खंडों द्वारा दूर करनी चाहियें । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस का समर्थन करे ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : डा० खरे ने जो छोटे छोटे संशोधन रखे हैं उन के प्रति मेरी सहानुभूति है । विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के फलस्वरूप काफ़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । सम्पूर्ण अधिनियम सरकार के विचाराधीन था और सरकार का विचार सभा में एक विस्तृत संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का है । किन्तु कार्य भार के कारण ऐसा न हो सका । मैं डा० खरे को यह आश्वासन देता हूं कि उन के दो संशोधनों के साथ साथ अन्य छः संशोधन मजूरी भुगतान अधिनियम की स्थिति सुधारने में सहायक होंगे । इसलिये मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे वापिस लें और हमें राज्यों के परामर्श के आधार पर कुछ और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का अवसर दें । राज्य सरकारों से परामर्श मांगा गया है, क्योंकि आखिर विधि क्रियान्वित तो उन्हें ही करनी है । राज्यों ने कुछ कठिनाइयां हमारे सामने रखी हैं । 'मजूरी' की परिभाषा ने भी काफी जटिलतायें उत्पन्न कर दी हैं ।

इसलिये मैं डा० खरे से निवेदन करूंगा कि वे इसे वापिस लें और एक अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का अवसर हमें दें ।

सभापति महोदय : मान लीजिये कि वे अपना विधेयक वापिस नहीं लेते तो क्या सरकार अपना विधेयक प्रस्तुत नहीं करेगी और अगर सरकार अपना विधेयक प्रस्तुत नहीं करती तो माननीय सदस्य का विधेयक ज्यों-का-त्यों रहेगा ।

श्री के० के० देसाई : वे ऐसा कर सकते हैं । किन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि आगामी सत्र से बहुत पहले ही मैं ऐसा विधेयक प्रस्तुत करूंगा और उन्हों ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे भी उस विधेयक में निहित होंगे ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य का क्या विचार है ?

डा० एन० बी० खरे : सरकार के आश्वासन के फलस्वरूप मैं इसे वापिस लेने के लिये तो सहमत नहीं हूं किन्तु इस बात से सहमत हूंगा कि इस पर होने वाले विचार को स्थगित कर दिया जाय ।

सभापति महोदय : तो क्या आपका अभिप्राय यह है कि इस पर वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।

डा० एन० बी० खरे : जी हां । वाद-विवाद स्थगित किया जाय । मैं देखूंगा कि यदि सरकार की क्रिया सन्तोषजनक है तो मैं इस के बारे में आग्रह नहीं करूंगा, अन्यथा आग्रह करूंगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ में और आगे संशोधन करने वाले बिल को, राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार, श्री एच० वी० रामा राव श्री अमजद अली, डा० राम सुभग सिंह, श्री के० एस० राघवाचारी, पंडित द्वारका नाथ तिवारी, श्रीमती सुषमा सेन, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, डा० हरि मोहन, श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव, श्री बी० एच० खर्डेकर श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र, श्री सुशील कुमार पटेरिया, डा० डी० रामचन्द्र, श्री सी० रामस्वामी मुदलियार, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री ए० वी० थामस, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री उमा चरण पटनायक, श्री वीरेन्द्र कुमार सत्यवादी, सरदार इकबाल सिंह, श्री अमर नाथ विद्यालंकार, श्री बहादुर सिंह, डा० पशुपति मंडल, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री रघुनाथ सिंह, श्री बिमला प्रसाद चालिहा, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, डा० मन मोहन दास, श्रीमती इला पालचौधरी श्री एच० सी० हेडा, श्री आर० वी० धुलेकर, श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क, डा० एन० बी० खरे, श्री टी० मादिया गौडा, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री वी० पी० नायर, श्री वी० बी० गांधी और प्रस्तावक से बनी एक प्रवर समिति को सौंपा जावे और उसे २८ फरवरी १९५५ तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा जाये ।"

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ में विदेशी सरकार द्वारा, जो उस समय हमारे देश पर शासन कर रही थी, पारित किया गया था । इस विधान ने भारत को इंगलैंड की चिकित्सा परिषद् की ओर देखने वाला बना दिया और हमारे देश में चिकित्सा-वृत्ति में विभाजन कर के अति संकट उत्पन्न कर दिया है । इस ने भारत में लगभग ५०,००० चिकित्सा सम्बन्धी लाइसैंस

धारियों को अपने क्षेत्र से बाहर रखा है । इन लोगों को प्रान्तीय चिकित्सा परिषदों की तो पूर्ण मान्यता प्राप्त है परन्तु भारतीय चिकित्सा परिषद् इन्हें मान्यता नहीं देती । ऐसी असामान्य स्थिति संसार में और कहीं नहीं है । चिकित्सा परिषद् की स्थापना का मूल उद्देश्य देश में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का स्तर निर्धारित करना, उस का अधीक्षण करना और डाक्टरी करने वाले शिक्षित लोगों का एक रजिस्टर रखना था । परन्तु विधेयक में अन्तिम क्षण में परिवर्तन कर के उस का क्षेत्र 'आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा' तक ही सीमित कर दिया गया । इस प्रकार दो वर्ग बना कर फूट का बीज बोया गया ।

इस बात पर ध्यान देना उचित होगा कि जब इंगलैंड में साधारण चिकित्सा परिषद अधिनियम १८५८ में पारित किया गया तब सारे चिकित्सकों का, नीम-हकीमों समेत, पंजीयन हुआ । भारत में चिकित्सा कालेजों तथा स्कूलों में चिकित्सा पाठ्य क्रम एकसा था, सम्भव है कि रूप में कुछ अन्तर हो । पाठ्य पुस्तकें लगभग एक सी थीं, और अन्तर केवल यह था कि कालेजों के विद्यार्थियों को यह पाठ्यक्रम पांच वर्ष में जबकि स्कूल विद्यार्थियों को चार से साढ़े चार वर्ष में समाप्त करना पड़ता था । पूर्व-स्नातक शिक्षा (एम० बी० बी० एस०) के बारे में मोरे समिति ने सिफ़ारिश की थी कि अन्तिम शिक्षा काल के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी को एक वर्ष तक किसी जन स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करना चाहिये, और इस के पश्चात् ही उसे उपाधि दी जानी चाहिये । भारत में आज एक भी ऐसा लाइसैंसधारी नहीं है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा न करता हो ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् को चाहिये कि योरोपीय देशों तथा अमरीका में अन्य चिकित्सा परिषदों की भांति "चिकित्सा शिक्षा तथा अर्हताओं के समान न्यूनतम स्तर" निर्धारित करे और इस प्रकार अन्य उन्नत देशों में निर्धारित स्तर के अनुसार बनाये । इंगलैंड में चिकित्सा स्नातक और चिकित्सा लाइसैंसधारियों में कोई अन्तर नहीं है और दोनों को सेवा तथा पंजीयन में समान सुविधायें प्राप्त हैं । राजनीति तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की प्रथम अनुसूची के कारण उत्तम वृत्ति को हानि पहुंच रही है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की प्रथम अनुसूची में लाइसैंसधारी चिकित्सा अर्हता क्यों सम्मिलित नहीं की गई, इस का एक कारण यह है कि इस से भारतीय चिकित्सा उपाधियों के लिये विदेशी मान्यता प्राप्त में कठिनाई होगी । इस की १८ वर्ष की अवधि के पश्चात् भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष ने घोषित किया था कि यह विदेशों में सम्मान प्राप्त करने में असफल हो गया है । अपने ही अंग को, चिकित्सा सानुज्ञों को, मान्यता न दे कर अपने को ही घात पहुंचाने का परिणाम इस ढंग से प्रकट हुआ है । अतः प्रथम अनिवार्य बात यह है कि अधिनियम की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जाय ताकि वह यह बताये कि परिषद् का आवश्यक कार्य औषधियों में अर्हता के समान न्यूनतम स्तर स्थापित करना तथा उसे बनाये रखना है, और फिर ठीक दिशा में ठीक कार्यवाही करना है ।

चिकित्सा लाइसैंसधारियों के बारे में यहां कुछ कहना अनुचित न होगा । चिकित्सा लाइसैंसधारी राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले चिकित्सा स्कूलों की उपज है । यह एक सुविदित तथ्य है कि ये लोग ग्रामीण चिकित्सा सुविधा का सम्पूर्ण और नागरिक क्षेत्रों का ५० प्रतिशत भार संभाले हुए हैं और अनेकों कठिनाइयों के होते हुए भी चिकित्सा लाइसैंसधारियों ने चिकित्सा के

[सरदार ए० एस० सहगल]

प्रत्येक क्षेत्र में, शल्य क्रिया नेत्र चिकित्सा विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, निदान, आदि सहित अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया है । प्रति वर्ष २००,००० अन्धे लोग शल्य-क्रिया द्वारा दृष्टि प्राप्त करते हैं और उन में से १५०,००० का श्रेय चिकित्सा लाइसैंस-धारियों को जाता है । कदाचित भारत में चिकित्सा लाइसैंसधारी एक वर्ष में जो नये नेत्र शल्य क्रिया करते हैं उस का रिकार्ड संसार के अन्य देशों में होने वाली ऐसी शल्य क्रिया के सामूहिक रिकार्ड से अधिक है । यह कहना सम्मान का विषय है कि चिकित्सा पत्रकारिता में चिकित्सा लाइसैंस-धारी ही अग्रणी हैं । १९२० से १९४७ तक दिल्ली में उपलब्ध दो जीवाणुविज्ञान शास्त्री, जिन पर भारत के महाराज्यपाल निर्भर करते थे चिकित्सा लाइसैंसधारी वर्ग के ही थे । यह दुर्भाग्य है कि ऐसे वर्ग के सदस्यों को केन्द्रीय अधिनियम के अधीन पंजीयन के क्षेत्र से अलग रखा गया है । यह देश के हित में है कि चिकित्सा लाइसैंसधारियों तथा चिकित्सा स्नातकों दोनों का सम्मान किया जाय और अन्य देशों पर निर्भर रहने की बजाय उन की सेवाओं का पूर्ण उपभोग किया जाय ।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध किसी भी अन्य देश की ऐसे ही अधिनियमों के उप-बन्धों के समान नहीं हैं । इस का कारण यह है कि उस समय की सरकार हमारे देश में वृत्तिशिक्षा की उचित आवश्यकता की अपेक्षा जी० एम० सी० की मांग पूरा करना अधिक पसन्द करती थी । यदि स्वास्थ्य मंत्री इस बात से सन्तुष्ट हैं कि यह सत्य है तो मुझे विश्वास है कि वह अधिनियम में यथोचित संशोधन करने हेतु केबिनिट के अपने साक्षियों को सहमत कर सकेंगी । अब अपनी सरकार होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अखंडता, और इस के संविहित कार्यों की पूर्णता को पुनः स्थापित करने के लिये आधानयम म सशाधन किया जायेगा । मेरा ख्याल है कि प्रस्तावना में कुछ शाब्दिक परिवर्तन और अधिनियम के अन्य उपबन्धों में आनुषंगिक संशोधन करना पर्याप्त होगा । वर्तमान प्रस्तावना में चिकित्सा शिक्षा के स्तर के बारे में दो शब्द "उच्चतर न्यूनतम" दिये गये हैं । आज केवल स्नातक शिक्षा, जो राज्य के विश्व-विद्यालयों के नियंत्रण के अधीन होती है, शेष है । अतः शब्द "उच्चतर" सुगमता-पूर्वक हटाया जा सकता है । दूसरा पारवतन उसी प्रस्तावना के अन्त में "और चिकित्सा लाइसैंसधारियों सहित एक अखिल भारतीय चिकित्सा रजिस्टर बनाना और उसे बनाये रखना" जोड़ दिया जाय ।

अब तक मैं ने १९३३ के भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के सम्बन्ध में बहुत से तर्क दिये हैं । परन्तु, यदि हम कुछ सिद्धान्तों से समूचे प्रश्न पर वैज्ञानिक तथा वास्तविक तथ्य की दृष्टि पर विचार करें तो, इस से कुछ लाभदायक कार्य सिद्ध होगा ।

पहले हमें चिकित्सा अधिनियम की आवश्यकता और उस के कृत्यों पर विचार करना है, ब्रिटेन की सामान्य चिकित्सा परिषद् १८५८ में बनाई गई थी । उस का काम लोगों की जानकारी के लिये अर्हता प्राप्त चिकित्सकों की पंजिका रखना है, इंग्लैंड का चिकित्सा अधिनियम केवल पंजीयन के लिये आवश्यक प्रारंभिक अर्हताओं के पंजीयन की व्यवस्था करता है, परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में उन डिप्लोमों का भी पंजीयन किया जा सकता है जिन की इंग्लैंड में स्वीकृति नहीं है । पंजीयन के लिये केवल यह आवश्यक है कि पंजीबद्ध किये जाने वाले व्यक्ति को रोगियों का उपचार करने का थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त

हो, इस के अनुसार चिकित्सा पजीयन के किसी भी राष्ट्रीय अधिनियम में उन चिकित्सकों को पंजीबद्ध करने से रोकना उचित नहीं माना गया है जो न केवल निजी रूप से बल्कि सरकारी संस्थाओं और कार्यपालिका समितियों में काम करते रहे हैं ।

१९३३ के भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की प्रस्तावना में हमारे विश्वविद्यालय में दी जाने वाली चिकित्सा संबंधी शिक्षा को बहुत उच्च स्तर का कहा गया है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में वह कुछ भी नहीं है और अपने देश में भी इस का अधिक महत्व नहीं है ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । उन्हों ने कहा है कि चिकित्सा स्नातकों का कार्य बिल्कुल निरर्थक है । क्या प्रस्ताव का चिकित्सा स्नातकों के काम के साथ कोई सम्बन्ध है ? चिकित्सा स्नातकों के महत्व को हर कोई जानता है । यह तो अपनी अपनी राय है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मेरी तो यही राय है । युद्ध-काल में ब्रिटिश सरकार ने भी अनुज्ञप्ति प्राप्त चिकित्सकों को ब्रिटेन में अस्थायी रूप से पंजीबद्ध करना स्वीकार कर लिया था । जब उस समय उन को सक्षम समझा गया था तो कोई कारण नहीं कि अब उन को पंजीयन की स्वीकृति न दी जाये ।

अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि अनुज्ञप्ति प्राप्त चिकित्सकों के साथ तुरन्त ही न्याय किया जाये । चिकित्सक अनुज्ञप्ति पाठ्यक्रम कई वर्ष से बन्द हो चुका है इसलिये यदि यह मान्यता आज से दस वर्ष पश्चात् दी गई तो उस का कोई लाभ न होगा । १९३३ के अधिनियम को एक वास्तविक राष्ट्रीय अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है । हमें आशा है कि सरकार इस कार्य में अब और देरी नहीं करेगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : श्रीमान्, जानकारी के हेतु मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के विधेयक में प्रयुक्त बहुत से टैक्निकल शब्द हमारी समझ में नहीं आये इसलिये वह उन्हें स्पष्ट करें ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

राजकुमारी अमृतकौर : यदि और कोई व्यक्ति इस पर बोलना चाहे तो मुझे काइ आपात्त नहा ह । म एक हा बार सब को उत्तर दे दूंगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य एक दो बार पहले भी इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं । इसलिये सभा को इस बात पर विचार करना होगा कि यदि सरकार ऐसा कोई विधेयक तैयार कर रही है तो क्या इस विषय को अधिक समय देना उचित होगा । इसीलिये मैं चाहता था कि स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालें ।

राजकुमारी अमृतकौर : जैसे कि आप ने कहा है यह विषय एक दो बार सभा के सामने लाया जा चुका है । मैं पहले ही माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से और सभा में भी बता चुकी हूं कि गत दो वर्ष से सरकार एक संशोधक विधेयक लाने का विचार कर रही है । विधेयक प्रस्तुत करना सरकार के लिये इतना सरल नहीं है । हमें इस विषय में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से परामर्श लेना है और इस में बड़ी उलझन हैं । मैं भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं ताकि सभासदों को पता लग जाये कि भारतीय चिकित्सा परिषद् क्या है ।

सभापति महोदय : इस समय मैं चाहता हूं कि सभा इस तथ्य को सामने रखते हुए

[सभापति महोदय]

कि एक विधेयक तैयार किया जा चुका है और वह शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाने वाला है, इस बात पर विचार करें कि क्या हमें इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करनी चाहिये ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं तो केवल यही कह सकती हूं कि एक विधेयक तैयार किया जा चुका है । हम ने वर्तमान भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम का संशोधन करने के लिये व्यापक विधान बनाने का निश्चय किया है और उस में वे सब संशोधन सम्मिलित होंगे जिन का सरदार सहगल के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है । अतः इस बात को सामने रखते हुए, विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का मुझे विरोध करना पड़ेगा ।

सभापति महोदय : क्या विधेयक के अगले सत्र में प्रस्तुत किये जाने की कोई सम्भावना है या इस से अधिक समय लगेगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : मंत्रिमंडल विधेयक पर विचार कर रहा है और आशा है कि अगले सत्र में इसे पुरःस्थापित किया जायगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं बड़ी नम्रता के साथ यह अर्ज़ करूंगा कि जो मेडिकल कौंसिल ऐमेन्डमेन्ट बिल था वह करीब करीब यहां पर इस सदन के सामने आ चुका था और माननीय मंत्रिणी महोदया ने उसपर यह आश्वासन दिया था कि हम एक प्रोग्रेसिव बिल ला रहे हैं । मैं ने काफी अर्से तक उस का इन्तजार किया कि चलो वह बिल आने वाला है । यदि कोई भी आनरेबल मेम्बर यहां पर कोई चीज लाता है और उस को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह चीज सदन के सामने आयेगी तो वह मेम्बर भी यह उम्मीद करता है कि कम से कम जो चीज रक्खी जा रही है वह सरकार की तरफ़ से जरूर पेश की जायेगी । उस बिल को पेश किये जाने का जो आश्वासन अभी दिया गया है मैं उस का स्वागत करता हूं । लेकिन उस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं पहले भी आश्वासन दिया गया था और जब वह पूरा नहीं किया गया तो मुझे लाचार हो कर यह बिल लाना पड़ा । आज जब यह बिल मैं ने इस हाउस में पेश किया तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उन लाइसैंशिएट्स के बारे में बोलने का जिन के बारे में यह बिल पेश किया गया है । मैं तो जैसे माननीय मंत्राणी जी मुझे कहें करने को तैयार हूं क्योंकि आखिर काम तो उन्हीं ने करना है और इन सब चीजों की देख भाल उन्हीं को करनी है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा । इस बिल में सैकशंस ३, ५ और ८ में जो मेरे अमेंडमैंट्स हैं अगर उन पर सिलैक्ट कमेटी पहले विचार कर ले तो मैं समझता हूं मंत्राणी जी का काम हलका हो जायेगा और मेरे विचार में इस बिल पर पहले सोच विचार हो जाने से बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी । मैं बड़ी नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या यह ज्यादा अच्छा न होगा कि अगर आप का बिल आने से पहले यह बिल सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द हो जाय ताकि आप का बिल पब्लिक ओपीनियन के वास्ते भेजने से पहले ही इस बिल पर विचार खत्म हो जाय । अगर आप ऐसा नहीं करना चाहतीं तो क्या आप अपने बिल के साथ साथ इस बिल को भी पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने को तैयार होंगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : जैसा मैं ने पहले भी कहा है मुझे इस बिल को सब प्रान्तों के पास भेजना पड़ा और जब तक उन के जवाब नहीं आये मैं इस को कैबिनिट

के सामने पेश नहीं कर सकी । अब भी मद्रास प्रान्त से जोकि एक बहुत बड़ा प्रान्त है जवाब नहीं आया और मैं ने बगैर उस के जवाब का इंतज़ार किये इस बिल को कैबिनेट के सामने पेश कर दिया है । मुझे विश्वास है कि मैं अगले सैशन में इस बिल को इस हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकूंगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : म आप की इजाज़त से इस बिल के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं ....

सभापति महोदय : क्या आप इस बिल के मैरिट्स पर बोलना चाहते हैं ?

डा० सुरेश चन्द्र : जी हां ।

सभापति महोदय : तो आप, जब डिस-कशन होगा, तब बोल सकते हैं । अब तो यह फैसला होना है कि आया यह बिल आगे चलेगा या नहीं । माननीय सदस्य यह आश्वासन चाहते थे कि सरकारी विधेयक अगले सत्र में लाया जाये, जो कि उन्हें दिया जा चुका है और उन्हों ने यह भी कहा कि यदि जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करना है तो अभी भेज दिया जाये, ताकि समय नष्ट न हो, इस विषय में माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं जनमत जानने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकती । यह बड़ा टैक्नीकल विषय है । सब राज्यों और चिकित्सा प्राधिकारों का परामर्श लिया जा चुका है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य विधेयक सम्बन्धी चर्चा को स्थगित करने पर सहमत हैं ?

सरदार ए० एस० सहगल : मेरा निवेदन है कि विधेयक पर चर्चा उस समय तक स्थगित की जाये जब तक माननीय मंत्री विधेयक प्रस्तुत नहीं करतीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक सम्बन्धी चर्चा को स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निःशुल्क बलात अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम के लिये दंड का उपबन्ध करने वाले विधेयक को उस पर मार्च १९५५ के अन्त तक मत जानने के लिये परि-चालित किया जाये ।"

बहुत छोटा और सरल होते हुए भी यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलात् बेगार इस युग की भावना के विपरीत है और एक प्रकार की दासता है जो सामंत-शाही की प्रतीक है, इसलिये इसे हटाना ही चाहिये । प्रायः समस्त देशों में दासता को एक अपराध माना गया है, और किसी भी प्रकार की बलात् बेगार दासता है । इसलिये चाहे यह छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, इसे समाप्त करना चाहिये, यह इस विधेयक का पहला उद्देश्य है ।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि भारत के ८५ प्रतिशत लोग, जो गांवों में रहते हैं, उन को नागरिकता और मानवता का वही दर्जा प्राप्त होना चाहिये, जिस का संविधान में उपबन्ध किया गया है । गांवों में धनी, भूस्वामी और शिक्षित तथा प्रभाव-शाली व्यक्तियों का एक पृथक् वर्ग होता है जो गांवों के साधारण व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है । इसीलिये गांवों के साधारण व्यक्ति उस स्वतंत्रता और समानता का उपयोग नहीं कर सकते, जिस का नगरों के लोग उपयोग कर सकते हैं । गांवों में कई

[श्री डी० सी० शर्मा]

ऐसी जातियां होती हैं, जिन के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पंच वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के स्तर को उठाना है । मैं होशियारपुर और कांगड़ा जिले का प्रतिनिधि हूं, जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां सामाजिक शिक्षा का अभाव है । हमारे जिले की तीन तहसीलों में कई वर्ग ऐसे हैं जिन के पास बहुत थोड़ी भूमि है, जिस से वह अपनी रोज़ी भी नहीं कमा सकते । इसलिये वे शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और उन के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है । भारत के गांवों में और विशेषतया पिछड़े हुए क्षेत्रों में कई प्रकार की बेगार प्रचलित है । हमारा कर्तव्य है कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को ऊंचा उठाया जाय, और यह तभी हो सकता है जब हम वहां के लोगों में यह भावना पैदा कर देंगे कि किसी भी व्यक्ति से उस की इच्छा या मर्ज़ी के विरुद्ध कोई व्यक्ति काम नहीं करवा सकता ।

भारतीय दंड संहिता की धारा ३७४ में इच्छा के विरुद्ध सब प्रकार के श्रम या मजदूरी को अपराध माना गया है, परन्तु यह धारा इतनी अस्पष्ट है कि अंग्रेज़ों के शासन काल में दूसरों से बेगार लेना सरकारी कर्मचारियों का विशेषाधिकार समझा जाता था । किसी सरकारी अधिकारी के किसी गांव में जाने पर उस के लिये खाना बनाना, सामान उठाना, पंखा चलाना तथा दूर के स्थान से पानी लाना आदि बेगार का काम गांव वालों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता था । हमारे आज के अधिकारियों में भावना की अनुभूति है, परन्तु तो भी उन्हें कभी कभी पुराने दनों की याद आ जाती है, जब दूसरों से बेगार लेने में वे आनन्द अनुभव किया करते थे ।

इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक अभियोग नहीं चलाया गया है, क्योंकि पददलित व्यक्ति के अन्दर शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं हो सकता । शारदा अधिनियम के समान भारतीय दंड संहिता की यह धारा भी अप्रभावी रही है और इस धारा के द्वारा भारत की जनता को कुछ लाभ नहीं हुआ है । इस प्रकार के अनिवार्य श्रम का विरोधी हूं, क्योंकि इस के द्वारा मनुष्य का दर्जा भारवाहक पशु के समान हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य यह प्रस्ताव आज पास कराना चाहते हैं, तो अपना भाषण संक्षिप्त रखें । आज सभा स्थगित होनी है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मेरे भाषण जल्द समाप्त कर देने से जल्दी स्थगित हो जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा ५ बजे स्थगित होगी । यदि सरकार सहमत हो, तो इसे परिचालित किया जा सकता है । इस मामले में सरकार का क्या मत है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : यद्यपि विधेयक का उद्देश्य अच्छा है, परन्तु जहां तक बलात् श्रम के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह किसी क्षेत्र में अपवाद हो सकता है । संविधान का उपबन्ध बलात् श्रम का निषेध करता है । कुछ राज्यों की अपनी विधियां हैं और हम ने सब राज्यों को अनुदेश दिया है कि यदि वे विधियां संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण करती हैं, तो उन में संशोधन करना चाहिये । मैं इस रूप में इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि श्री डी० सी०

शर्मा इस में तीन या चार विभिन्न पहलुओं को ले आये हैं : अर्थात् पारिश्रमिक, काम का समय और अपराधों को हस्तक्षेप्य बनाना। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि जब सरकार भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन करेगी तो वह धारा ३७४ में उचित संशोधन करने का भी विचार करेगी। श्री डी० सी० शर्मा को यह ध्यान में रखना चाहिये कि उन्होंने जिन अवस्थाओं का वर्णन किया है, वे सात या आठ वर्ष पहले वर्तमान थीं। उस के बाद बहुत सुधार हो चुका है। संशोधन विचाराधीन है और विभिन्न राज्य संविधान के उपबन्धों को लागू करने के लिये अपनी विधियों में संशोधन कर रहे हैं। इन अपराधों को हस्तक्षेप्य बनाया जाय या नहीं, इस प्रश्न पर धारा ३७४ का संशोधन करते समय विचार किया जायगा। सामान्य दृष्टिकोण से इस आश्वासन के साथ, मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि यदि उन्हें इस से संतोष होता है और वह इस सभा के समक्ष भारतीय दंड संहिता के संशोधन के प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो वह इस विधेयक को वापिस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन का यह अभिप्राय है कि भारतीय दण्ड संहिता और इस धारा विशेष को विधि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने तीन बातें कही हैं पहली यह कि स्थिति में सुधार हो चुका है। मैं यह सुन कर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि सुधार बहुत बड़ा शब्द है। मैं तो सब प्रकार के बलात् श्रम को समाप्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधि आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि विधि आयोग धारा ३७४ पर विचार कर रहा है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या सरकार इस दिशा में सब से बड़ी अपराधिनी नहीं है, क्योंकि सरकार बेगार प्रथा को चला रही है; मुझे इस सम्बन्ध में कुछ मामलों की जानकारी है।

श्री के० के० देसाई : धारा ३७४ आप के विधेयक का मुख्य भाग है। दूसरी बातों का काम का समय, और पारिश्रमिक आदि से सम्बन्ध है। यह बड़ा बेढंगा विधेयक है इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि शायद यह विधेयक स्वीकार न किया जा सके। मुख्य बात इन अपराधों को हस्तक्षेप्य बनाने से सम्बन्धित है।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री मेरे विधेयक को बेढंगा विधेयक बताते हैं। आप को विदित है कि सरकारी सदस्यों द्वारा कैसे कैसे बेढंगे विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। अतः इस प्रकार के विशेषणों के प्रयोग से कोई लाभ नहीं है। मेरे विधेयक का धारा ३७४ के अतिरिक्त अन्य बातों से भी सम्बन्ध है अतः इस धारा में संशोधन होने पर भी मेरे विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत बड़ा है। यदि मंत्री महोदय उन उद्देश्यों की पूर्ति का आश्वासन देते हैं तो मैं इसे वापिस ले सकता हूं। यह विधेयक केवल अनिवार्यता के ही विरुद्ध नहीं है, अपितु अपर्याप्त मजूरी और साधारण काम के समय से अधिक समय तक काम करवाने का भी विरोध करता है।

मेरे विधेयक में ये सब बातें पूर्णतया स्पष्ट की गई हैं। बलात् या अनिवार्य श्रम में सभी प्रकार का काम या सेवा सम्मिलित

[श्री डी० सी० शर्मा]

है जो किसी व्यक्ति की मर्ज़ी या इच्छा के विरुद्ध उस से करवाया जाता है ।

बेगारी, वह अनिवार्य कार्य है, जोकि किसी को दण्ड का डर दिखा कर, उस व्यक्ति से कराया जाता है या उसे करने के लिये बाध्य किया जाता है । कोई कह सकता है कि आज भारत में बेगारी नहीं है, परन्तु श्री आर० के० चौधरी ने अभी अभी आप के सम्मुख बताया है कि आज भी भारत में कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है ।

निःशुल्क श्रम का अर्थ है कि मजदूरों को तत्स्थानीय तथा तत्कालीन दर के अनुसार पारिश्रमिक न देना । भारत में आज चारों ओर यही हो रहा है । उदाहरणार्थ बीड़ी बनाने वाले मज़दूर किस प्रकार से कठोर परिश्रम करते हैं, परन्तु क्या उन्हें पारिश्रमिक उन के परिश्रम के अनुकूल मिलता है ?

मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के अपराधों को हस्तक्षेप्य समझा जाय और इस प्रकार के अपराधियों पर एक दण्डाधिकारी के न्यायालय में अभियोग चलाया जाय । मज़दूर अपने अधिकारों से अपरिचित हैं, अतः, यदि इस प्रकार का कोई विधेयक जनमत के लिये परिचालित किया जाय, तभी मज़दूर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकेंगे ।

कार्य के घंटों के सम्बन्ध में, मैं ने कहा है कि बलात् अथवा अनिवार्य श्रम के लिये भी कार्य के उतने ही घंटे हों जितने घंटे स्वेच्छा से कार्य करने वालों के लिये होते हैं, और फिर अतिरिक्त कार्य करने के लिये, उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाय ।

पारिश्रमिक की दरों के सम्बन्ध में भी मैं ने कहा है कि हर प्रकार के, बलात् अथवा अनिवार्य, श्रम का पारिश्रमिक नक़द हो और किसी भी अवस्था में उस ज़िले में दिये जाने वाले पारिश्रमिक से कम न हो ।

भारत कृषकों तथा श्रमिकों का देश है, और उन के हित में ही भारत का हित है । अतः उन के अधिकारों की रक्षा के लिये हमें हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये ।

जहां तक स्वेच्छा से श्रमदान करने का सम्बन्ध है, यह एक माननीय कार्य है, और इसे हर प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिये ।

अतः यह एक ऐसा विधेयक है जो सामाजिक भेद-भाव को मिटाना चाहता है, सामाजिक न्याय की भावना को फैलाना चाहता है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित मानव के मौलिक-अधिकारों की रक्षा करना चाहता है । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस बिल के सिद्धान्तों को अवश्यमेव स्वीकृत किया जाय । यदि इस विधेयक में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, और वे इस में कोई सुधार करना चाहें तो भी मुझे कोई आपत्ति न होगी । परन्तु विधेयक के सिद्धान्तों और इस में अन्तर्निहित उद्देश्यों को स्वीकार किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव हुआ :

> "कि निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम के लिये दण्ड की व्यवस्था करने वाले विधेयक को मार्च, १९५५ के अन्त तक राय जानने के लिये भेजा जाय ।"

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, मेरा एक ऐसे राज्य से सम्बन्ध है, जहां पर इस प्रकार की प्रणाली प्रचलित है जिसे आप बेगार अथवा बलात् श्रम कहते हैं । परन्तु वास्तव में वहां पर इस प्रणाली का अनुसरण करना ही पड़ता है, नहीं तो राज्य का कार्य नहीं चल सकता । आसाम में भी यही स्थिति है । वहां वन-विभाग में बलात् श्रम के लिये लोगों को बाध्य करना ही पड़ता है । वहां पर वन-ग्रामों को बसाने के लिये लोगों से बलपूर्वक काम लिया जाता है, ऐसा न करें तो काम ही कैसे चले ।

अतः हमें दोनों ओर अच्छी प्रकार से सोच-विचार कर लेना चाहिये । एक ओर सरकारी कार्य है और दूसरी ओर मानव-अधिकार । इन पर अच्छी प्रकार से सोच-विचार करना चाहिये ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, राज्य-सभा के सचिव से ये दो सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(१) "राज्य-सभा ने २४ दिसम्बर, १९५४ की अपनी बैठक में, २३ दिसम्बर, १९५४ को लोक-सभा में पारित परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक, १९५४ को, बिना किसी प्रकार के संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

(२) "१५ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पारित किये गये हिन्दू विवाह विधेयक, १९५४ की एक प्रति भेजी जाती है ।"

हिन्दू विवाह विधेयक

सचिव : श्रीमान्, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, हिन्दू विवाह विधेयक को मैं सभा-पटल पर रखता हूं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुई ।